Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १६ वां दिवस { संख्या १२

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५९

...न सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे ...सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

...ामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, उद्योग, राजस्व, बुनियादी शिक्षा, योजना तथा समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ३४८

श्री हुक्मसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४९

श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५०

श्री मूलचंद डागा

(अनुपस्थित)

राजस्थान शिक्षा सेवा

३५१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा की भांति राजस्थान शिक्षा सेवा भी प्रचलित की है ?

(२) यदि हां, तो उक्त सेवा के लिये क्या आधार अथवा योग्यता निर्धारित की है ?

(३) क्या उक्त सेवा में शिक्षकों को लेना भी आरम्भ कर दिया है ?

(४) यदि हां, तो उसमें अब तक कितने शिक्षक लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक लिये जाने की संभावना है।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) जी हां।

(२) इस सेवा में जिस आधार पर अथवा जिन योग्यताओं वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, वे राजस्थान एजूकेशनल सर्विस (कॉलेजियेट ब्रान्च) रूल्स १९५८, की धारा १३ में दी हुई है।

Page No.2

(श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई)

(३) राजस्थान एजूकेशनल सर्विस (कॉलेजियेट ब्रान्च) रूल्स १९५८ के अनुसार जितने स्थायी शिक्षक कॉलेजों में कार्य कर रहे हैं वे सब इस सेवा में मेम्बर माने गये हैं।

(४) जितने भी स्थायी शिक्षक कॉलेजों में कार्य कर रहे हैं वे सभी इस सेवा के मेम्बर बन गये हैं। नये शिक्षक राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लिये जा रहे हैं। नियुक्त हो जाने के उपरान्त स्थायी हो जाने पर वे भी इस सेवा के मेम्बर माने जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या जो शिक्षा सेवा में लिये गये है उनको वेतन और सुख सुविधायें अन्य जो पुलिस आदि प्रशासनिक सेवाओं में हैं उनके समान दी जाती हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : सुविधाओं के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पुलिस में और एजुकेशन में अलग अलग हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वेतन ग्रेड्स बराबर हैं उनके या अलग अलग ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अलग अलग पोस्ट्स होती हैं और उनके वेतन और ग्रेड्स में समानता नहीं रह सकती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शिक्षा में अधिक योग्यता के लोग हैं जैसे कई डॉक्टरेट किये हुए हैं और प्रशासनिक सेवा में इतनी योग्यता आवश्यक नहीं है लेकिन इन दोनों में वेतन ग्रेड्स भिन्न हैं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : किस ओहदे के लिए आप फर्माना चाहते हैं वह बतावें ताकि मैं इसके लिए आपको बता सकूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जैसे आर. ए. एस. के अधिकारी हैं और शिक्षा के अधिकारी हैं तो इन दोनों के वेतन समान हैं या अन्तर है इनमें ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आपके फर्माने का यह मतलब हो कि उनको शुरूआत क्या दी जाती है तो २५०) पर दोनों ही शुरू होते हैं लेकिन आर. ए. एस. ७५० तक समाप्त होता है और उनकी ६५० पर ही ग्रेड समाप्त होती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आर. ए. एस. को ज्यादा सीनियर मानते हैं या आई. ए. एस. को ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : दोनों पोस्टें अलग अलग हैं लेकिन दोनों को एक ही वेतन से शुरू करते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वेतन स्तर में इतना अन्तर रहता है तो दोनों को एक बनाने का क्या प्रयोजन है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आई. पी. एस. और आई. ए. एस. के वेतन स्तर में भी अन्तर है। सेन्ट्रल सर्विसेज हैं। दोनों के अलग अलग कोर्सेज हैं। कोई ज्यादा एट्रेक्टिव है तो कोई कम एट्रेक्टिव है। इन पोस्ट्स के लिए फर्क है तो इनके लिए भी यही कहा जा सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप शिक्षा सेवा को आकर्षक बनाना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवा को ?

Page No.3

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैं निवेदन कर दूँ कि हम शिक्षा सेवा को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। दूसरे राज्य के मुकाबले में हमारे यहां स्तर ऊंचा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आर. ए. एस. के मुकाबले में स्तर ऊंचा है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फिर किस प्रकार ऊंचा बनाना चाहते हैं शिक्षा सेवा को ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो अलग अलग पोस्ट की इम्पोर्टेन्स है, अब एट्रेक्टिव कौन किसको मानता है, यह इस पर डिपेन्ड करता है। यह नहीं कह सकते कि दोनों पोस्ट्स बराबर हैं इसलिए दोनों की एक पे होनी चाहिए। मैं निवेदन करूं कि एक पुलिस कॉन्स्टेबिल की इतनी ही इम्पोर्टेन्स है, जितनी की आई. जी. पी. की। सब पोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैं, पे स्केल्स अलग अलग होते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या आप शिक्षा सेवा को कम इम्पोर्टेन्स दे रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फिर तनख्वाह कम रखने का क्या मतलब है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने कॉलेजियेट ब्रान्च के लिए कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रान्च है, वह एजूकेशनल सर्विस में नहीं आती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : उसको इसमें नहीं लेने के क्या कारण हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो नीति का दृष्टिकोण है, और एजूकेशन की जो पॉलिसी है, उसके अनुसार सरकार एजूकेशनल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनमें से किसको अच्छा समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अच्छा समझने का प्रश्न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बिना एजूकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स रन नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं होगी तो तनख्वाह कहां से बंटेगी। सभी की इम्पोर्टेन्स है अपने अपने दायरे में। यह नहीं कह सकते कि खेती अच्छी है या इन्डस्ट्री अच्छी है। सिर्फ यह है कि कौन कितना स्पेशियलाइजेशन करता है, उसके आधार पर तनख्वाह बढ़ती है घटती है।

श्री पी० के० चौधरी : एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को एजूकेशन सर्विस में नहीं लाने के कारण क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एजूकेशनल सर्विस में क्वालिफिकेशन वगैरह कम है। दोनों का स्थान बिल्कुल अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है इसलिए अलग अलग रखा गया है।

Page No.4

श्री पी० के० चौधरी : एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की क्वालिफिकेशन क्या है ? मेरी जानकारी के अनुसार कॉलेजियेट ब्रान्च की क्वालिफिकेशन है वह ज्यादा है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेंट में बहुत पोस्ट हैं, उनके अलग अलग पे स्केल्स हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन्स हैं । एक्सपीरियेन्स वगैरह भी देखते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्वालिफिकेशन अलग अलग कहां है । It is not merely by your saying. Tell me qualifications of the Inspectors ?

श्री अध्यक्ष : He says that he wants notice for that.

श्री पी० के० चौधरी : It covers that.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Put another question.

प्रश्न संख्या ३५२

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५३

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५४

श्री मंगलसिंह

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल

उद्योग के महत्व को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु कताई बुनाई के अध्यापकों को प्रोत्साहन देना ।

३५५. श्री सूरजमल (फलोदी-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शिक्षा में उद्योग को भी महत्व दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सही है कि दूसरे विषय अनिवार्य समझे गये हैं, उसी भांति उद्योग का विषय भी अनिवार्य रखा गया है ?

(२) जोधपुर, नागोर, बाड़मेर एवं पाली आदि इन डिस्ट्रिक्टों में ऐसी कितनी मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोली गई हैं, जिनमें कताई-बुनाई का विषय अनिवार्य रखा गया है ?

(३) उपरोक्त स्कूलों में कौन कौन अध्यापक कताई-बुनाई का विषय कब से पढ़ा रहे हैं ?

(४) उन बुनाई अध्यापकों को पहिले क्या वेतन मिल रहा था और अब हायर सेकेन्डरी कक्षाओं को पढ़ाने पर क्या वेतन दिया जा रहा है ?

(५) क्या उन अध्यापकों का कार्य संतोषजनक है ? यदि हां, तो उनके विषय का परिणाम बोर्ड की परीक्षा में कितने प्रतिशत रहा ?

(६) उपरोक्त अध्यापकों में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो नौ, दस साल से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं ? क्या उन

Page No.5

(श्री सूरजमल)

अध्यापकों को सरकार ने उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या सरकार ने उन अध्यापकों को कभी वीविंग की ट्रेनिंग में भेजा है ? यदि हां, तो किन किन को और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(८) क्या यह सही है कि ९,१० और ११ वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले बुनाई अध्यापकों को ४०,५० रु० वेतन दिया जाता है, जब कि दूसरे विषय के अध्यापकों को २०० रु० दिये जा रहे हैं ?

(९) क्या सरकार उद्योग को महत्व देते हुए कताई-बुनाई के अध्यापकों को प्रोत्साहन देकर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने का अवसर दे रही है ? यदि हां, तो क्या और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए इसके लिए आगे समय दिया जाय ।

श्री सूरजमल : यह मुझे पहले ही जानकारी थी, अध्यक्ष महोदय, मैं जब कभी क्वेश्चन रेज करता हूँ तो यह रहता है कि उत्तर आगे दिया जायगा । दो महीने हो गये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पहला है, यह तो पॉलिसी का सवाल है ।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल : यह तो छोटा सा क्वेश्चन है ।

(?)

जोधपुर फिदूसर क्षेत्र की पत्थर की खानें

३५७. श्री सूरजमल (फलौदी-सु०) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर फिदूसर एरिया के पत्थर की खानों के प्रत्येक ठेकेदार को कानूनन कुल कितनी कितनी खानें अलॉट की जाती हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जोधपुर की फिदूसर की खानें हर ठेकेदार को नियमतः २००×१०० वर्गफीट का क्षेत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम के अन्तर्गत दिया जाता है और एक ही व्यक्ति को ५ ऐसे क्षेत्र दिये जा सकते हैं ।

श्री सूरजमल : जिन ठेकेदारों के पास ५ से अधिक खानें प्राप्त हैं, उनके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप नाम बताइये, तब उसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा है भी या नहीं । जब तक यह मालूम न हो, हमारी जहां तक जानकारी है

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पांच से अधिक नहीं दी गई हैं। अगर ऐसे केसेज हैं तो आप बतायें, उसके बारे में मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री सूरजमल : मैं आपकी दी हुई तालिका हाउस में पेश करूंगा, तो क्या उस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब आप दे देंगे, और उसके बाद अगर देखेंगे कि नियम के खिलाफ कोई बात है तो जरूर विचार करेंगे।

प्रश्न सं० ३५८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ३५६

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

सं० २००६ में ग्राम अजबपुरा (लालसोट) में दिये गये पर्चे (चकबन्दी)

३६०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या संवत् २००६ में ग्राम अजबपुरा, तहसील लालसोट के पर्चे (चकबन्दी) दिये गए थे ?

(२) क्या उजरात के कारण चकबन्दी लौट गई और उसमें १००० रु० की कमी हुई ?

(३) क्या अभी तक सही पर्चा नहीं मिला और उसी चकबन्दी के अनुसार वसूल हो रही है, जो असल से १००० रु० ज्यादा है ?

(४) क्या सरकार अब तक की अधिक वसूली वापिस लौटायेगी और दूसरी चकबन्दी के पर्चे देगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां।

(२) सम्वत् २००६ की चकबन्दी खत्म करके दुबारा चकबन्दी की जा रही है। उसका क्या नतीजा होगा, अभी कहा नहीं जा सकता।

(३) नये पर्चे अभी तक नहीं दिये गये हैं न अभी तक रिपोर्ट आई है। कितनी कमी बेशी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) चकबन्दी होने पर वसूली निर्धारित शरह के अनुसार बांटे हुए पर्चों के मुताबिक होती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक ज्यादा जवाब दिया है।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६३

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६४

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता आन्दोलन

३६५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रौढ़ व साक्षरता आन्दोलन के कार्यो का विवरण रखा जाता है ? यदि हां, तो सन्-१६५७-५८ व चालू वर्ष में इस दिशा में विभाग द्वारा कहां कहां, क्या क्या कदम उठाए गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस समय राजस्थान में कितने व्यक्ति साक्षर नहीं हैं और सरकार द्वारा उनको साक्षर बनाने की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : (१) जी हां। सन् ५७-५८ में प्रत्येक विकास खण्ड में विकास अधिकारियों द्वारा छाया विकास खन्डों में जिला शिक्षणालय निरीक्षकों के सहयोग से अखिल भारतीय समाज शिक्षा दिवस-समाज शिक्षा सप्ताह मनाया गया। स्थान स्थान पर गोष्ठियां, सभायें आयोजित हुईं। प्रभात फेरियां, फिल्म प्रदर्शन तथा मैजिक शो का आयोजन किया गया। इसी प्रकार, ५८-५६ में किया गया।

(२) साक्षर व्यक्तियों की संख्या सन् ५७-५८ तक १,५१, ८६० थी और सन् ५८-५६ में २, ००, ५८३ हो गई।

निरक्षर व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। आगे यह योजना है कि विकास खण्ड का प्रत्येक प्राथमिक शाला का अध्यापक अवश्य ही एक समाज शिक्षा केन्द्र को सम्भाले, जिससे इस दिशा में उन्नति हो।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि छाया विकास खडों में काम किया गया, १६५७-५८ में विकास खंड नहीं थे। दूसरे जो सूची मांगी गई थी, वह नहीं मिली है। तीसरी बात यह है कि जो आंकड़े मांगे थे वे कि साक्षर व्यक्ति नहीं हैं उनके मांगे गये थे, उनके बारे में आंकड़े नहीं है, कितने साक्षर हुए हैं यह बताया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने पोजीटिव रिप्लाई दिया है कि इतने साक्षर कर दिये हैं। साक्षर नहीं हैं, इसके लिए मैं निवेदन करूं कि राजस्थान की पॉपूलेशन घटती बढ़ती रहती है, १० साल में कितने प्रौढ़ हो गये, क्या डेफीनेशन है प्रौढ़ की, यह मुश्किल है जानना।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह पोजीटिव बता दीजिये कि किस प्रकार साक्षर बनाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके लिए प्रचार करते हैं, ताकि लोगों में चेतना आये कि हमें भी पढ़ना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जहां ब्लॉक नहीं हैं, वहां प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां भी शालायें चलाई जाती हैं। अब तो सैंकड़ों ब्लॉक होते हैं। नहीं तो पहले स्कूल के अध्यापक प्रौढ़ शालायें चलाते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, जहां ब्लॉक नहीं हैं, वहां प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्र खोले जाते हैं सरकार की तरफ से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : कहां कहां पर खोले गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान बहुत बड़ा है, इसलिये आप अलग से प्रश्न पूछें, सैंकड़ों जगह हैं, मुझे याद नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो प्रौढ़ शालायें दी एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको बन्द कर दिया गया है। अब ब्लॉक की तरफ से हो गई हैं तो जहां ब्लॉक नहीं है, वहां क्या प्रबन्ध है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रबन्ध है। मैंने निवेदन किया।

श्री शंकरलाल : जो सूची मांगी गई थी, वह उपलब्ध नहीं हुई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, कि गांवों के अन्दर प्रभात फेरियां, फिल्म प्रदर्शन तथा मैजिक शो का आयोजन किया गया। अब इस सब की सूची मिलना मुश्किल है।

श्री शंकरलाल : क्या यह माना जाय कि सूची उपलब्ध नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : इतनी बड़ी है कि रखी नहीं जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास

अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की योजना

३६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सरकार ने राज्य में सन् १९५८, ५९ में कितनी बुनियादी पाठशालायें खोली हैं व उन पाठशालाओं में कितने बुनियादी शिक्षा के ट्रेन्ड शिक्षक रखे गये हैं ?

(२) क्या सरकार ने सन् १९६१ के समस्त राजस्थान में बुनियादी शिक्षा अनिवार्य रूप से देने का निर्णय किया है ?

Page No.9

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३) यदि हां, तो उनके लिये सारे राज्य में कितनी पाठशालाओं की व कितने ट्रेन्ड शिक्षकों की आवश्यकता होगी ?

(४) शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उप-मंत्री, बेसिक शिक्षा(श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ५०० प्राथमिक शालायें जूनियर बुनियादी शालाओं में परिवर्तित की गई । ऐसी शालाओं में साधारणतः बुनियादी शिक्षा ट्रेन्ड अध्यापक ही रखे जाते हैं, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर अन्य अध्यापक भी रखे जाते हैं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) २५ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और ६० तृतीय योजना में खोलने की योजना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मुख्य मंत्री जी की ओर से इस प्रकार की घोषणा की गई है -शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री की ओर से १९६१ तक राजस्थान के अन्दर अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से कर दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक का टारगेट रखा गया ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

गवर्नमेंट कालेज अजमेर में टाइप की नई कक्षाओं का प्रारम्भ

३६७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : Will the Edúcation Minister be pleased to state :—

(a) Were any new typing classes introduced in the Government College, Ajmer recenty ?

(b) Was Mr. Dani, P. A to the Principal, who is not yet a graduate, made incharge and teacher in the typing classes, when highly qualified and experienced person in the line was available and denied this opporatunity ?

उप-मंत्री, शिक्षा(श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६९

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

Page No.10

गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के विद्यार्थियों और स्टाफ का दार्जिलिंग का दौरा

३७०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) Whether a tour to Darjeeling of the Students of Government College, Ajmar was organised in October, 1958 ?

(b) Was any previous notice circulated among the members of the staff and students announcing such a tour ?

(c) What was the criterion fixed for selecting the students and staff members for this tour ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) इस प्रकार के टूर पर जाना विद्यार्थियों और अध्यापकों की इच्छा पर है इसलिये चुनाव के लिये कोई निश्चित नियम नहीं रखे गये।

डॉ० बहादुरसिंह : पहले से कोई प्रिविअस नोटिस क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा कि यह इच्छा पर है, जो जाना चाहते थे वे चले गये साथ में।

श्री शंकरलाल : यह टूर किस उद्देश्य से की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एजूकेशन टूर थी। घूमें, देखें, समझें कैसी दुनिया है, क्या है, क्या प्रगति हो रही है, क्या ज्योग्राफी है।

श्री अध्यक्ष : भारत दर्शन।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रिंसिपल अपनी खुशी से स्टूडेन्ट्स को ले जाना चाहते थे इसलिये प्रीविअस नोटिस नहीं निकाला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रिंसिपल की खुशी के लड़के जायं, ऐसी बात नहीं। जिनको ठीक समझा, उनको साथ ले गये।

श्री बहादुरसिंह : प्रीवियस नोटिस नहीं निकालने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा नियम नहीं है कि निकाला जाय।

डॉ० चन्द्रकला : प्रीवियस नोटिस निकाले बिना सूचना कैसे मिले ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रिंसिपल को इतनी पॉवर होनी चाहिये कि किसको ले जाय और किसको नहीं ले जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : प्रीवियस नोटिस तो होना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में दो हजार विद्यार्थी हैं, उनसे एप्लीकेशन्स मांगें और फिर १५, २० को लेकर जायं, दूसरों को निराशा हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए प्रिंसिपल ने अपनी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

मर्जी से तय कर लिया। प्रिंसिपल जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास इतनी भी रेस्पान्सिबिलेटी न हो। सारी चीजों के टेन्डर हों, नोटिस हों, यह ठीक नहीं है।

श्री शंकरलाल : टेन्डर का प्रश्न कहां उठता है?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

असामयिक वर्षा से नष्ट खरीफ की फसल से ग्रसित किसानों को राहत कार्य

३७१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की प्रत्येक तहसील की औसत वर्षा कितने इन्च है और इस वर्ष प्रत्येक तहसील में औसतन कितने इन्च वर्षा हुई? तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस वर्ष राजस्थान के कई इलाकों में असामयिक वर्षा खरीफ की फसल पकने के बाद हुई, जिससे फसल को नुकसान हुआ? यदि हां, तो कहां कहां कितना कितना नुकसान हुआ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) तुलनात्मक आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) इस वर्ष राजस्थान में जिला चितौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर, जयपुर एवं सिरोही में असामयिक वर्षा खरीफ की फसल पकने के समय एवं पकने के बाद हुई पर उससे कहीं भी कोई विशेष हानि नहीं हुई।

(३) अभी गश्त गिरदावरी की संकलित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गश्त गिरदावरी की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कहीं आवश्यकता समझी जावेगी तो सहायता अवश्य दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कोई विशेष हानि नहीं हुई, दूसरी तरफ कहा जाता है कि गिरदावरी से आंकड़ें उपलब्ध नहीं हुए। उपलब्ध होने पर आवश्यकता हुई तो सहायता की जा सकती है। यह जो उत्तर दिया गया कि विशेष हानि नहीं हुई वह किस आधार पर दिया गया है-तो विशेष हानि से क्या तात्पर्य है आपका?

श्री सम्पतराम : विशेष हानि से मतलब यह है कि कलक्टर गवर्नमेंट को समय समय पर सूचना देते हैं। जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से किसी क्राप का एक्सेप्शनली नुकसान होता है तो इमीजियेटली कलेक्टर देता है। दूसरा यह है कि किसी जगह ६ आना, ७ आना लास हुआ तो कितना किस गांव में हुआ, किस वजह से हुआ तो उस हिसाब से जितने रूल्स के मुताबिक पाने के मुस्तहक होंगे, वह दिया जायगा। जहां ज्यादा नुकसान हुआ तो रिलीफ के काम चलू किये जा सकते हैं। जब गश्त गिरदावरी नहीं आती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि जहां वर्षा ज्यादा हुई और नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजी जाय?

श्री सम्पतराम : आर्डर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफिसर की ड्यूटी है कि इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी हों एग्रीकल्चर के संबंध में तो इमीजियेटली तहसीलदार कलक्टर को और कलक्टर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे। तहसीलदार अपने आदमियों को भेजकर उनकी रिपोर्ट लेता है। इसमें इन्स्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है।

श्री शंकरलाल : गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट ६ महीने में आयेगी तो उन गरीबों का क्या होगा ?

श्री सम्पतराम : उन सब के नियमानुसार कायदे कानून हैं।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक आ जायगी ? कोई निश्चित अवधि है क्या ?

श्री सम्पतराम : मैं नहीं समझता कि इतनी परेशानी का सवाल कहां है। इस प्रकार का कोई लास नहीं हुआ है जिसमें राजस्थान सरकार को बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल मेजर्स लेने की जरूरत हो। जब गश्त गिरदावरी आ जायगी तो उससे मालूम होगा कि कितना नुकसान हुआ। वह इन ड्यू कोर्स आफ टाइम में हो जायगा।

श्री शंकरलाल : परेशान तो वे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी फसलें नहीं हुई। जो लिस्ट मुझे दी गई है उसमें विशेषकर पाली जिले की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर बारिश कितनी कितनी हुई है- उसके आकड़े नहीं हैं, और दूसरे जिलों के आकड़े हैं। जो मकसद प्रश्न पूछने का था वह पूरा नहीं हुआ।

श्री सम्पतराम : इसमें, अध्यक्ष-महोदय, आंकड़े प्राप्त करने की बात थी तो आंकडे प्राप्त करने की पूरी कोशिश की गई। जोधपुर का लम्बा-चौड़ा इलाका है उसमें इधर उधर से आकड़े आने में टाइम लग गया है। कार्यवाही जारी है और ज्योंही आकड़े प्राप्त होंगे, पेश किये जा सकते हैं।

श्री शंकरलाल : जिन जिन जिलों में असामयिक वर्षा हुई है—मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पाली जिले में बहुत अधिक वर्षा हुई है और उससे बहुत सी जगह फसलों को काफी नुकसान हुआ है। न पूरा जवाब दिया है और न पूरे आंकडे है। जिस उद्देश्य से प्रश्न किया गया उसकी पूर्ति नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : फसलों को नुकसान बाढ़ से हो या बारिश से हो—किस तरह से राहत मिलेगी, कितने परसेन्टेज नुकसान होगा तो राहत मिलेगी। यह सारी रूल्स में कन्डीशन्स हैं। उनके अन्तर्गत नुकसान हो तो रेवेन्यू आँथोरटीज तय कर सकती हैं।

प्रान्त में शुगरमिल्स खोलने हेतु सम्भावित क्षेत्र

३७२ श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कहां कहां शुगरमिल्स खोली जा सकती हैं, क्या इसकी जांच करने के बाबत कोई कमेटी सरकार ने बैठाई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है ?

Page No.13

(श्री शंकरलाल)

(३) यदि हां, तो उक्त कमेटी को रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कहां कहां पर शुगर मिल्स खोलने की संभावनाएं हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) गजसिंहपुर, मांडल, बारां, कोटा, में। उन्होंने स्माल स्केल के लिए भी रिकमन्डेशन की है बारां, बूंदी और झालावाड़ के लिए ।

श्री सोहनलाल भटनागर : कब तक लगेंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कहना बहुत मुश्किल बात है । उनकी ऐसी रिकमन्डेशन है कि चम्बल भाखरा दोनों प्रोजेक्ट से जो कैनाल आयेगी उनमें गन्ना होने पर स्थान सजेस्ट किया जायगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह सरकारी में सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में होंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी तो कोई रिकमन्डेशन नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेटर सेक्टर में हो । दोनों सेक्टर में हो सकती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार अभी जो शुगर केन ग्रो होता है उसको एग्जिस्टिंग मिल्स खपत नहीं कर सकती है उस स्कोपा को बढ़ाने का विचार करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, ऐसे स्थान जरूर हैं कि जहां पर शुगर केन काफी होता है लेकिन वह मिल पूरा गन्ना नहीं पेल सकती है । विजय नगर मिल है वह भी बन्द है—ऐसे स्थान भी मौजूद हैं । कोशिश यह की जा रही है कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी दूसरी मिल्स वहां पर स्थापित होजायं ।

श्री पी० के० चौधरी : किस किस स्थान के लिये सिफारिश की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह मैंने बता दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : बता दिये गये हैं ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : भीलवाड़ा जिले में मांडल के पास में मिल खोला जाने वाला था उसकी संभावना है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन्होंने सजेशन दिया है कि मांडल के पास में कोऑपरेटिव बेसिस पर मिल खोला जाना चाहिये । उसके लिये आवश्यक रुपया इकट्ठा हो जाय सब लोगों से तब बात की जा सकती है । उसमें कुछ प्रगति हुई थी लेकिन बाद में बात आगे चली नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या रिकमन्डेशन नहीं की थी कमेटी ने कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में खोले जायं ? उनकी क्या राय थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई राय नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि शुगर मिल होने चाहिये वहां की पैदावार को देखते हुए ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह किसी में हो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में या कोऑपरेटिव बेसिस पर स्टार्ट कर सकेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है वह चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए ।

श्री श्रीभानसिंह : प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट करने के लिए कोई डिसीजन लेकर यह मांग की है कि जो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में शुगर मिल खोलना चाहें वे एप्लाई करें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : काफी कोशिश की।

श्री पी० के० चौधरी : क्या एग्जिस्टिंग शुगर मिल की केपेसिटी के बारे में इन्क्वायरी करने को कहा था कमेटी को ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका कोई प्रश्न नहीं था।

श्री पी० के० चौधरी : विजयनगर शुगर मिल के बारे में क्या रिपोर्ट है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसकी मशीनरी खराब होने के कारण वह इकॉनामिक युनिट नहीं है। जब तक उसकी मशीनरी का मोडर्नाइजेशन नहीं हो तब तक वह चल नहीं सकता। वहां पर तीन मिल हैं।

श्री पी० के चौधरी : राजस्थान में कितने शुगर मिल हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि तीन हैं। भोपालसागर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल और विजयनगर शुगर मिल ।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट के रेकॉर्ड में चार लिखे हैं, यह मैंने देखा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका ध्यान गलत हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : आपका रेकॉर्ड गलत है।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, विजयनगर शुगर मिल को गवर्नमेंट ने काफी मदद की है उसके बाद में वह बन्द क्यों पड़ा है ?

श्री श्रीभानसिंह : खा गये क्या करें ?

(हंसी)

श्री रिखचन्द धारीवाल : मदद की थी लेकिन उसकी मशीनरी इतनी खराब है कि वह इकॉनामिक युनिट है नहीं। जब तक उसकी मशीनरी का मोडर्नाइज़ेशन नहीं कर लिया जाय तब तक स्टार्ट नहीं हो सकेगी ।

श्री श्रीभानसिंह : इकॉनामिक युनिट नहीं था तो हैल्प क्यों दे दी ? Did the Government enquire about it ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : All the enquiries were made and it was recommended कि अगर इनको इस प्रकार से इतनी मदद की जाय तो शायद चल सकेंगे, लेकिन उसमें भी नाकामयाब हुए।

Page No.15

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या यह ऋण वापिस वसूल कर लिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां कार्यवाही चालू है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : विजयनगर शुगर मिल्स को कितना रुपया दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : That is not in question here.

श्री तेजमल बापना : Whether the Government is contemplating to take over the Sugar Mill ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No.

श्री अध्यक्ष : Next Question.

बन्ध जसवन्तसागर (बिलाड़ा) में भूमिहीनों को जमीन अलॉट करना

२७३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५७-५८ व ५८-५६ में बन्ध जसवन्तसागर, तहसील बिलाड़ा, में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि, किस ऑथोरेटी ने अलॉट की ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष उक्त बन्ध में भूमिहीनों को अभी भूमि अलॉट नहीं की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पीचियाक के भूमिहीनों ने राजस्व मंत्री को भी प्रार्थनापत्र पेश किये, फिर भी तहसीलदार बिलाड़ा ने अभी तक उनके आदेश को न मानकर भूमि अलॉट नहीं की ?

(४) क्या यह भी सही है कि बहुत से लोगों ने कानून के खिलाफ उक्त जमीन पर काश्त भी शुरू करदी है ? यदि हां, तो सरकार भूमिहीनों को जो जमीन अलॉट करना चाहती है, वह कैसे जमीन अलॉट करना चाहती है ?

(५) अलॉट करने में देरी करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्रीसम्पतराम) : (१) सन् १६५७-५८ व १६५८-५६ में एस० डी० ओ०, जोधपुर द्वारा जसवन्तसागर बन्ध के पेटे की भूमि अलॉट की गई थी, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां, क्योंकि भूमि पानी से बाहर नहीं आई है ।

(३) जी हां, वांछित भूमि पर खातेदार किसानों का कब्जा होने से इन भूमिहीनों को भूमि अलॉट नहीं की जा सकी ।

(४) जी हां । इस संबंध में राजस्व मंडल में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है । सरकार के पक्ष में निर्णय होने पर अनाधिकृत काश्तकारों को बेदखल किया जाकर भूमिहीनों को नियमानुसार भूमि आवन्टित की जावेगी । उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त जो भूमि प्राप्त है उसका नियमानुसार आवंटन किया जा रहा है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : लैंड अलॉटमेंट रूल्स के अनुसार पहले जो गांव में भूमिहीन होते हैं उनको भूमि अलॉट की जाती है। लेकिन जो सूची दी है उसमें एस० डी० ओ०, जोधपुर ने ज्यादातर भूमि उन लोगों को दी है जो कि लैंडलैस नहीं हैं और लैंडलैस टिनेन्ट्स भूमि के लिये चिल्लाते हैं।

श्री सम्पतराम : यह सवाल राज्य सरकार के सामने बहुत दिनों से आ रहा है। सन् १९४२ में उस समय सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने बीस साल के लिए लीज़ पर दे दी और उसके बाद में जब लीज़ खत्म होने लगी तो जब दुबारा सेटलमेन्ट का सवाल आया तो फिर सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने २५-७-५६ को फिर खातेदारों के पर्चे दे दिए। ऐसी सूरत में जब एक सेटलमेन्ट डिपार्टमेंट से किसी व्यक्ति को खातेदारी के पर्चे दे दिए तो उनको बेदखल करना आसान नहीं था। इसके बाद में असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास केस गया और फिर रेवेन्यू बोर्ड में गया और मामला सबजुडिस है और जब तक कोई डिसीज़न नहीं होगा तब तक किसी को नहीं दे सकते। बाकी जो जमीन पड़ी है उसके लिए २०-१-५९ को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर्स जारी किये हैं कि लैंड अलॉटमेन्ट रूल्स के मुताबिक जितनी जमीन पड़ी है जो कि दूसरे आदमियों के पजेशन में नहीं है उसको अलॉटमेन्ट कमेटी की सलाह से दे दी जाये और उसको तहसीलदार ने २०-१०-५९ को एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी पर वहां कोरम नहीं था इसलिए उसको नैक्स्ट मीटिंग में रखा है। जो भूमि निकलेगी उसको नियमों के अनुसार अलॉट की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कुछ अनधिकृत रूप से अधिकार कर रखा है। क्या उन अधिकार करने वालों के मामले भी रेवेन्यू बोर्ड में हैं ?

श्री सम्पतराम : अनधिकृत का सवाल नहीं है लेकिन सेटलमेन्ट ने पर्चे दे दिए।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो जवाब दिया उसके बारे में कह रहा हूँ।

श्री सम्पतराम : जमीन जो पेटे में आती है तो टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी के राइट्स नहीं मिल सकते लेकिन जब पर्चे मिल गए और जब तक फैसला नहीं हो जाये तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी उत्तर दिया प्रश्न ४ के उत्तर में कि हां, कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से इस जमीन पर अधिकार कर रखा है। मेरा प्रश्न यही है कि जब यही मामला रेवेन्यू बोर्ड में सबजुडिस है तो ऐसा उत्तर कैसे दे दिया अनधिकृत रूप से कुछ व्यक्तियों ने अधिकार कर रखा है ?

श्री सम्पतराम : अन-ऑथेराइज्ड पजेशन किया, इस तरह से नहीं क्योंकि उन्होंने इल्लीगल रूप से कर रखा है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है अनधिकृत रूप से कुछ व्यक्तियों ने अधिकार कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : Alleged illegal way...

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : That is right Sir. I will draw the attention, Sir, that it is not what the Hon'ble Member thinks. The wordings are, अनधिकृत काश्तकारों से and not 'Kabja'. और वह इसलिए कि because no

(श्री दामोदरलाल व्यास)

khatedari rights accrue in the tanks and therefore, the Government considers that they are not authorised.

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह नहीं था मैंने निवेदन इसलिए किया है जो सूची माननीय मंत्री महोदय ने दी है उस सूची में दर्ज किसी भी काश्तकार को न तो सैटिलमेंट के पर्चे जारी किये गये हैं और न पहले के बन्दोबस्त से हुए हैं। लेकिन जो सूची दी गई है उनको नये सिरे से जो एस० डी० ओ० जोधपुर ने अलॉट किया है। तो उस गांव के लैंडलैस टिनेन्ट्स को तो जमीन नहीं दी और दूसरे गांव के लोगों को जिनके पास कि जमीन ऑलरेडी है उनको भूमि अलॉट करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Government considers that they are not authorised and that is why the Government has gone to the Board of Revenue and therefore, we say that they are unauthorised cultivators. This allotment is of 57-58 and this is not recent accoring to the......

श्री अध्यक्ष : 58-59 ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 57-58 Sir. But ofcourse not 59-60. For 1959, we have already issued diffrent rules and they are being followed by every Tehsil. So far as these two are concerned, the Government by their order dated 14-4-53 they were according to the terms allotted and were actually in possession. Under Section 60, Rules have been framed and then it will be covered by those rules...

श्री अध्यक्ष : What the Hon'ble Member says is that these allottees are not the persons who were in prior possession.

श्री दामोदरलाल व्यास : They were, Sir.

श्री तेजाराम गहलोत : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि लैण्ड अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं होने की वजह से अलॉटमेंट नहीं किया जा सका, लेकिन लैण्ड अलॉटमेंट रूल्स के अनुसार तहसीलदार को अधिकार हैं कि अगर मेम्बर्स नहीं आयें तो तहसीलदार उनको इनफॉर्मेशन देने के बाद में अलॉट कर सकता है। फिर भी अलॉट क्यों नहीं की गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

बालनिकेतन स्कूल, बनीपार्क, जयपुर

३७४. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बालनिकेतन स्कूल, बनीपार्क, जयपुर को सरकारी मान्यता प्रदान हो चुकी है ? यदि हां, तो कब, तथा इसकी व्यवस्था किन किन के हाथ में है ?

(२) इस स्कूल का वार्षिक खर्चा कितना है तथा इसमें कितने छात्र एवं छात्राए

(श्री भैरोंसिंह)

विद्याध्ययन करते हैं ? जब से मान्यता प्राप्त हुई है, उस सैशन से प्रत्येक सैशन की संख्या बताई जावे।

(३) मान्यता प्राप्त होने के बाद किस किस वर्ष में कितनी कितनी सहायता सरकार द्वारा किस किस तारीख को दी गई ?

(४) इस स्कूल का ऑडिट कब कब और किसके द्वारा हुआ तथा इसकी ऑडिट रिपोर्ट कब कब सरकार के समक्ष पेश हुई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, २६ जुलाई, १६५६ से इसकी व्यवस्था निम्न व्यक्तियों के हाथ में है :

१. श्री नाथूराम मिर्धा – अध्यक्ष

२. श्री बजरंगलाल शर्मा – कोषाध्यक्ष

३. श्रीमती पुष्पा शर्मा – मंत्री

४. श्री शम्भूलाल शर्मा– सदस्य

५. श्री बी० एन० काक– सदस्य

६. श्री मोतीलाल – सदस्य

७. श्रीमती गौरी पूनिया– सदस्य

(२) सन् ५८–५६ का वार्षिक खर्चा १६,६२२ रुपये हैं।

छात्र संख्या १६५७–५८ में – ११७

,, ,, १६५८–५६ में – १३१

,, ,, १६५६–६० में – १४३

(३) सन् १६५७-५८ में १२४६ रु०

,, १६५८-५६ में २३३२ रु०

यह सहायता १६५७-५८ में १०३.८४रु० प्रति माह के हिसाब से व १६५८-५६ में १६४.३३ रुपये प्रति माह से दी जाती है।

(४) इस संस्था का ऑडिट १६५७-५८ व १६५८-५६ में चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट द्वारा तथा विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया गया। विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा हिसाब की जांच १६५७-५८ व १६५८-५६ में क्रमशः ११-८-५८ व २७-७-५६ को हुई व उसी रोज रिपोर्ट पेश की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस संस्था का कोई विधान बना हुआ नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विधान बना हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जो सरकारी सहायता दी जाती है उसका प्रतिशत क्या है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ३५ प्रतिशत।

श्री भैरोंसिंह : यह किस की सिफारिश के ऊपर तय किया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह शिक्षा अधिकारी हैं, इन्स्पेक्टर, डिप्टी डाईरेक्टर, उसके बाद में दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी डाइरेक्टर जब कि इस संस्था के पार्टनर हैं और साथ ही

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

इस संस्था के सदस्य भी हैं तो दूसरे अधिकारी क्या करने के लिए गये थे या उन्हीं की रिपोर्ट पर संस्था को ३४ प्रतिशत सहायता दे दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्स्पेक्टर ने की थी उसके बाद में डिप्टी डाइरेक्टर ने और ग्रान्ट-इन-एड कमेटी है उसके पास में केस जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह सहायता स्वीकार की गई और सहायता के पहले वर्ष के समय क्या सरकार के पास इस संस्था की ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन एक साल तक संस्था चल चुकी थी और नियम यह हैं कि अगर संस्था एक साल चल जाये और उसके बाद में जो अप्रूव्ड एक्सपेंन्डीचर हो उस पर ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि नियमों की अवहेलना करके ग्रान्ट-इन-एड दी गई हो ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सहायता देने के पहले नियमों के अनुसार यह जरूरी है कि संस्था की पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट देखकर किस प्रकार से सहायता दी जाये, कितनी सहायता दी जाये आदि निर्धारित किया जाता है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, यह जरूरी हो जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : पहले वर्ष सहायता दी गई थी तो क्या वह ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद में दी गई और ऑडिट रिपोर्ट के बिना कोई सहायता नहीं दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं यही समझता हूँ कि नियमों की अवहेलना करके ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि पिछले वर्ष जो सहायता दी गई वह बिना किसी ऑडिट रिपोर्ट के देखे दी गई है क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब आपने सूचना दी है तो जरूर जांच की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

गुलाब बाग के पास की भूमि

३७५. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गुलाब बाग के पास की भूमि सरकार रनवीरसिंहजी को महाराज धौलपुर ने दी थी ?

(२) यदि हां, तो किस कार्य के लिए ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि में अब पैट्रोल पम्प लगाया गया है ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से ?

(४) क्या उक्त भूमि को कृषि से आबादी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में आज्ञा दे दी गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) यह भूमि बाग लगाने, मकान बनाने व दरख्तान दूरी करने तथा अन्य किसी भी कार्य के लिए उपयोग करने का अधिकार सनद में दिया गया है।

(३) जी हां। जिलाधीश की आज्ञा से।

(४) यह कृषि भूमि नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० बहादुर सिंह : जो भूमि रनवीरसिंहजी को दी गई थी क्या उसे उसको बेचने का अधिकार था ?

श्री सम्पतराम : जी हां, बेचने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

मोअज्जमाबाद के इलाके में हाई स्कूल की मांग

३७६. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि मोअज्जमाबाद के आसपास के इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस इलाके में कोई हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं। तहसील दूदू विधुन में उच्चतर माध्यमिक शाला है और मोअज्जमाबाद से लगभग १० मील दूर है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मोअज्जमाबाद में चौतरका का इलाका है काफी में और बगरू में यह सवाल कई दिनों से चल रहा है यह काफी मामला है। मैं यह कहूंगा कि इसकी बहुत आवश्यकता है और आज तीन वर्ष हो गए बराबर यह प्रश्न आता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई गौर नहीं हो रही है। मकान भी वहां पर मौजूद है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी मालूम है कि इस इलाके में किसी हाई स्कूल का नहीं होना निहायत ही दिक्कत की चीज है, मोअज्जमाबाद में।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सवाल पूछा मैंने कहा कि वहां पर दस मील के अन्दर अन्दर सुविधा उपलब्ध है। वैसे बारह मील के फासले में गांव में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलते हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह फासला बहुत दूर है। मेरे ख्याल से आपका यह नाप

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

का हिसाब गलत रहा होगा लेकिन फागी के आसपास के हिस्से में कहीं नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या दुबारा नाप करा लिया जायेगा ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्या इतना ही फासला है ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ही होगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : किशनगढ़ से जयपुर तक और मालपुरा से जोबनेर तक एक भी हाई स्कूल नहीं है उस अहाते में । क्या मैं उम्मीद करू कि ऐसा हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कम से कम विचाराधीन तो रखिये ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कुछ आशा तो दिलाओ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब विचार करेंगे ।

प्रश्न संख्या ३७७.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्घाटन के अवसर पर नागौर कैम्प में प्रयुक्त बिजली के बल्ब

३७८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : will the Chief Minester be pleased to state:—

(a) How many electric bulbs were used for the purpose of lighting at Nagaur camp sites on the occasion of the inauguration of democratic decentralisation on 2nd October, 1959, and what was the total cost of hiring these bulbs ?

(2) From which firm these bulbs were hired and whether any tender was called for the same ?

(3) If so, who are the various tenderers and what were the rates offered ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (1) On the occassion of inaugural function of the scheme of Democratic Decentralisation at Nagaur on the 2nd of October, 1959, the total number of light point including flood and tube lights was 599+ excluding 46 wall plugs. The hire charges for all the light and plug points amounts to Rs. 29,500/-

2. The bulbs and other Electric material for the purpose was hired from M/s Girdhar Ganesh Trading Co., Jodhpur after obtaining tenders for the same.

Page No.22

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

3. The names of the tenderers are given below :

Per point per day.

	Light.	Wall plug.	Tube.	Flood light
1. M/s PremUnivsalRe. Stores, Jodhpur.	1/-	0.87N.P.	3/-/-	2/-/-
2. M/s HeeraLal-Motilal Tak.	Re. 1.25 NP.	1/-	2.75 NP.	3/-
3. M/s ManakChand & Sons, Bikaner.	1.06 NP.	1/-	2.62 NP.	2.25NP.
4. M/s Girdhar Ganesh Trading Co. Jodhpur.	Re. 0.54 1/2 NP.	0.75 NP.	2.50 NP.	2.00 NP.

श्री पी० के० चौधरी : यह जो आपने लाइट्स और बल्ब लिए इसका एक रुपया के हिसाब से दिया—एक रुपया ६४ नया पैसा—और उसकी कास्ट प्राइस क्या होती है ? आप पर्चेज करते हैं तो What would have been the Cost Price ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने एक रुपया नहीं दिया है। ५४॥ नया पैसा जो टेन्डर मंजूर हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : ६४ नया पैसा दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५४॥ नया पैसा।

श्री पी० के० चौधरी : पर डे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : What is the cost of that bulb ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is per point per day.

श्री पी० के० चौधरी : What would have been the cost of the bulb ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : In includes wiring also.

श्री पी० के० चौधरी : It is wiring ?

श्री अध्यक्ष : They say so many points.

श्री पी० के० चौधरी : The point is given separately. This is a hire charges of the bulb 54 1/2...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It includes the specimen and points and maintenance and so many things.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted the hire charges of the bulb I don't ask for the points. My information is that it is-/10/-per bulb per day. Cost of the bulb is -/8/-

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is nearly-/8/- but it does not include bulb.

श्री पी० के० चौधरी : The hire charges-I have never asked for the points.

श्री अध्यक्ष : There is no wrong information.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Bulb is not material. Suppose they are fused. Bulb may amount to annas ten or so.

श्री पी० के० चौधरी : I never asked for the wiring charges...

एक माननीय सदस्य : Are there separate items of wiring and hiring.

श्री पी० के० चौधरी : I never asksd for that.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Bulbs are never hired as such.

श्री पी० के० चौधरी : They were hired. That is what I asked the Hon'ble Minister. Hiring of bulb and hiring of point and he say's 'no'.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I said it is per point.

श्री पी० के० चौधरी : You have given information about per bulb.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If after serving for hours it is fused,...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Is it a fact that a separate tender was invited ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Common tender was invited. There were four tenderers and the lowest was that of M/s Girdhar Ganesh Trading Co, Jodhpur which was accepted.

श्री पी० के० चौधरी : Charges for the bulbs are 51...

श्री अध्यक्ष : Next Question please

स्थगित प्रश्नोत्तर

समाजकल्याण विभाग द्वारा गजेटेड व नान-गजेटेड पदों के लिए की गई नियुक्तियों में हरिजनों व आदिवासियों का अनुपात

३६. श्री अमृतलाल यादव (जालोर सु०-श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

पिछले पांच सालों में समाज कल्याण विभाग में कुल कितनी गजेटेड और नॉन-गजेटेड पोस्ट्स पर नियुक्तियां की गई तथा उनमें से गजेटेड पोस्टों पर कितने और नॉन-गजेटेड पोस्टों पर कितने हरिजन और कितने आदिवासी नियुक्त किये गये हैं ?

Page No.24

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखा भाई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये ।)

श्री लक्ष्मण हीरात : इस पोस्ट पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । कौनसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सूची थोड़े ही मांगी थी नाम मांगे थे ।

श्री अध्यक्ष : कितनी बड़ी सूची है ।

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि यह पांच साल का हिसाब । है हिसाब बहुत छोटा । सन् १९५५ में गजेटेड पोस्टों पर ४ नियुक्तियां हुई, जिनमें कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था । सन् १९५६ में १२ नियुक्तियां हुई जिनमें अनुसूचित जाति का एक भी नहीं और अनुसूचित जन जाति की एक नियुक्ति हुई । सन् १९५७ में ५ नियुक्तियां हुई जिनमें से एक भी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का नहीं था । सन् १९५८ में ७ नियुक्तियां हुई जिनमें से एक भी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था । इसी तरह से १९५९ से ४ नियुक्तियां हुई इसमें से एक भी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : ९ सालों में गजेटेड ऑफिसर्स कितने बनाये गये, उनका कुल नम्बर बता दीजिये ?

श्री भीखाभाई : यह ५ साल का ब्यारा है ।

श्री अध्यक्ष : ५ साल का बता दिया है न ।

श्री शंकरलाल : पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री अध्यक्ष : आप हिसाब लगा लें ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि गजेटेड ऑफिसर्स की संख्या एक हजार है, यदि नहीं तो कितनी है ?

श्री भीखाभाई : आप अलग प्रश्न पूछिये ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो खाली समाज कल्याण विभाग का है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : कोटा पूरा हो गया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : कोटा ही पूरा नहीं हुआ बल्कि एक्सीड कर गया । १३३८ में से २०७ नियुक्तियां शिड्यूल कास्ट की हुई हैं । २५ पर्सेन्ट करीब बनता है । अनुसूचित जन जाति की संख्या १९५ बनती है जो ९॥ पर्सेन्ट होती है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : गजेटेड पोस्टों के बारे में बताइये ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार १२॥

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

पर्सेन्ट पोस्ट्स रिजर्व रखी हैं, गजेटेड ऑफि-सर्स का कोटा पूरा हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया है कि ३२ में से १ लिया है।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : वह एक पोस्ट भी स्थायी है या अस्थायी ?

श्री भीखाभाई : यह नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : उस पोस्ट पर वह आदमी कितने अर्से से काम कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कितने ही अर्से से काम कर रहा हो लेकिन पी. एस. सी. के ध्यान में है।

छात्र वृद्धि अभियान

६२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष छात्रवृद्धि अभियान के दौरान में प्रत्येक जिले के कौन कौन से गांवों को उक्त संबंध में पुरस्कृत किया गया तथा वहां पर कितने प्रतिशत छात्रवृद्धि हुई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : २२ जिलों की सूची संलग्न है। शेष ४ जिलों की सूची प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखदी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन : गत वर्ष प्रत्येक जिले में कितने पुरस्कार दिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

भाखरा नहर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आनेवाले गांवों के व्यक्तियों की जमीन के तबादले

१४५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

भाखरा नहर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आनेवाले गांवों में निम्न तरीके पर किन व्यक्तियों के कुल कितनी जमीन के तबादले, किन किन कारणों से मंजूर किये गये तथा किन किन कारणों से अस्वीकृत किये गये:

(१) एक ही गांव की जमीन के तबादले,

(२) एक गांव से दूसरे पड़ोस के गांव में,

(३) एक गांव से किसी अन्य दूर के गांव में और

(४) एक गांव से दूसरी तहसील में ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री संपतराम) : विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रक्खी गई)

सीमेंट व चद्दरों का वितरण, जिला टौंक

१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) टौंक जिले में १९५७, ५८ व ५९ में कितना सीमेन्ट व कितनी चद्दरें (कोरोगेटेड आयर्न सीट्स) सालवार आई ?

(२) जो कोटा टौंक जिले के लिये आता है, वह कहां कहां पर जाकर बिकता है ?

(३) क्या टौंक जिले के लिये कोई डीलर्स हैं ? यदि हैं, तो उनके क्या नाम हैं और ये डीलर्स क्या सिर्फ टौंक नगर के लिए ही हैं ? यदि हां, तो तहसीलों व सब-डिवीजन के लिए क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) टौंक जिले में सन् १९५७, ५८ व ५९ में निम्न तादाद में नालीदार चद्दरें प्राप्त हुई :

सन्	नॉन-एग्रीकल्चर	एग्रीकल्चर
१९५७	—	३,४५८
१९५८	३,५३४	५,६१४
१९५९	१,६२०	५,१२१

सीमेन्ट : यद्यपि सीमेन्ट के भाव पर कन्ट्रोल है किन्तु उसके वितरण पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, अतः सीमेन्ट के स्टॉकिस्ट अपनी आवश्यकतानुसार सीमेन्ट वाला वाला ही फैक्टरियों से मंगवाकर निर्धारित दर से बेचते रहते हैं। टौंक जिले में सन् १९५७, ५८ व ५९ में कितनी कितनी सीमेन्ट प्रति वर्ष आई, उसके आंकड़े जिलाधीश से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(२) चद्दरों का कोटा जिले के हैडक्वार्टर्स पर ही बिकता है। कोटे का लाभ सब नागरिकों को उचित रीति से मिले इसको ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर कोटे का वितरण जिला कृषि अधिकारी द्वारा विभिन्न विकास अधिकारियों की सिफारिश से होता है और और नॉन एग्रीकल्चर कोटे का वितरण प्रत्येक तहसील में बनाई हुई वितरण कमेटियों की सिफारिश के अनुसार जिलाधीश द्वारा किया जाता है।

(३) टौंक जिले के लिये लोहे व सीमेन्ट के जो डीलर्स हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

सीमेन्ट १. मेसर्स शिवरतनजी मोहता, टौंक

२. माणकलाल रामप्रकाश, टौंक

३. दानमल सिद्धकरण, निवाई

४. केशरलाल फूलचन्द, निवाई

५. मेसर्स नथमल धन्नालाल, निवाई

६. मेसर्स कमला ट्रेडिंग कंपनी, मालपुरा

७. मेसर्स भंवरलाल सिन्धी, मालपुरा

८. मेसर्स जगदीशप्रसाद घीया, टोडा-रायसिंह

लोहा : मेसर्स शिवरतनजी मोहता, टौंक।

सीमेन्ट के स्टॉकिस्ट उनके आगे बताये हुए स्थान पर सीमेन्ट का स्टॉक रखते हैं और जिले की अन्य जगह के किसी भी व्यक्ति को सीमेन्ट बेच सकते हैं।

लोहे का स्टॉकिस्ट जो टौंक में अपना स्टॉक रखता है, केवल टौंक नगर के लिये ही नहीं बल्कि वो समस्त जिले के लिये है और

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

स्थानीय अधिकारियों के पर्मिट से ही माल का वितरण करता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह स्थगित प्रश्न है। टौंक यहां से नजदीक ही है फिर भी आप कहते हैं कि इत्तिला नहीं आई है इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सीमेन्ट के लिये कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके बारे में कह दिया गया है कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सीमेन्ट खुली तादाद में मिलती है इसके लिये किसी को दिक्कत नहीं है लेकिन रेट निर्धारित है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने कोटा के लिये जानकारी चाही थी। तहसील की मार्फत वितरण होता है या कैसे होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनियारा के लिये भी किसी को बनवा दीजिये, हमको एतराज नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने दूसरी तहसीलों के लिये दिया है........

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपके यहां से कोई दरख्वास्त ही न दे तो उसका हम क्या करें। आप दिलवा दीजिये दरख्वास्त उनको दे देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार तहसील समितियों के द्वारा वितरण कराने को तैयार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक लोहे के सामान का सवाल है, आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर, कलकत्ता नियुक्त करते हैं इसलिये हमारे हाथ की बात नहीं है। सीमेन्ट का स्टॉक कोई भी रख सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चद्दरों की काश्तकारों को ज्यादा चाहना होती है इसलिये सरकार मंगा कर दे या पंचायत समितियों की मार्फत देने में आपको क्या एतराज है ?

मंत्री, रसद (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : काश्तकारों के लिये अलग कोटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की मार्फत दिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं पूछना चाहता हूँ कि किसकी मार्फत दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की मार्फत दिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एग्रीकल्चर विभाग द्वारा काश्तकारों को तहसील की मार्फत दिया जाता है या पंचायत समितियों की मार्फत दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके डीलर्स नियुक्त हैं।

श्री सम्पतराम : हर एक तहसील के लिये नहीं है, जिलों के लिये है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप क्या जवाब देते हैं और कन्सर्निंग मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं, किसको सही मानें ?

Page No.28

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सरकार तहसील पंचायतों द्वारा वितरण करने का प्रबन्ध कर सकती है ? तहसील समिति की सिफारिश पर वितरण करने का इन्तजाम करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसानों का कोटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनका इससे ताल्लुक है वे क्या जवाब दे रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हर तहसील में डीलर हो यह बात नहीं है। कम से कम हर जिले में डीलर रहते हैं, यह उनका उत्तर है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोहे के लिये जिले के लिये एक ही डीलर होता है और सीमेन्ट के लिये कितने ही हो सकते हैं। एग्रीकल्चर का कोटा है उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट तकसीम करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

खसरा गिरदावरी, लूणकरणसर

१७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसीलदार, लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने पटवारियान को आदेश दिये कि खसरा गिरदावरी में केवल काश्तशुदा रकबे को ही काश्तकारान के नाम से दर्ज किया जावे व बाकी बंजड़ रकबा, जो काश्तकारान के कब्जे में है, को आराजी काश्त दर्ज किया जावे ? अगर हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : तहसीलदार ने ऐसी कोई आज्ञा पटवारियान को नहीं दी कि खातेदारान व मंजूरशुदा आरजी काश्तकारान के बंजड़ पड़े रकबे की गिरदावरी काबिज काश्तकारान के नाम दर्ज न की जावे व ऐसे रकबे को आराजी राज दर्ज किया जावे।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना बिल्कुल गलत है। तहसीलदार ने ऐसा ऑर्डर दिया है, उसके आधार पर जांच करा ली जाय।

श्री सम्पतराम : इसकी जांच कर लेंगे और अगर तहसीलदार ने इस प्रकार की आज्ञा दी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

रतनगढ़ एस. डी. एम. द्वारा फैसला दो बार लिखा जाना

२०७ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ के एस. डी. एम. ने मुकद्दमा मिसल नं० ३४८/५८ उनवानी बालू बनाम गणपत वगैरह का फैसला दो बार अलग अलग तारीखों में लिखा था तथा कोर्ट में फैसला प्रोनाउन्स करने के बाद फाड़ कर फैंक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि यह फैसला अदालत में प्रोनाउन्स करने के बाद लिखवाया गया।

(३) क्या यह सही है कि इस संबंध में सरकार को शिकायत भी की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) २४ नवम्बर, १९५८ को फैसला इस मामले में प्रोनाउन्स किया गया वह कुछ जगहों पर फट जाने के कारण उसकी नकल एस. डी. ओ. ने खुद करके लगाई थी। यह फैसला एस. डी. ओ. ने किया था न कि एस. डी. एम. ने।

(२) यह सत्य नहीं है। तारीख १६-२-५६ को केवल फैसले की नकल ही एस. डी. ओ. द्वारा की गई थी।

(३) शिकायत की गई और जांच करने पर निराधार पाई गई। फिर भी यह केस एस. डी. ओ., चूरू को हस्तान्तरित कर दिया गया। फैसले की नकल ११. २. ५६ को एस. डी. ओ., रतनगढ़ ने स्वयं अपने हाथ से की है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What were the circumstances...क्या सर्कमस्टांसेज थी जिनमें फैसला फट गया ? जो नकल की, वह फैसले से टेली करती थी कि नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जो फैसला प्रोनाउन्स किया था वही था, कागज फट गया इसलिये उसकी नकल एस० डी० ओ० ने स्वयं कि जो मिसल में लगा हुआ है। फर्क इतना है कि जो कागज फट गया उसको रिप्लेस कर दिया।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government satisfied with that explanation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not satisfied with that explanation and, therefore, I have asked the Collector to conduct the enquiry himself. मैं खुद इस एक्स्प्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं और कलेक्टर को आर्डर दे दिया गया है कि वह इसमें इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो फैसला फटा था वह मिसल में शामिल कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जवाब आया है, उसको निवेदन कर दिया है लेकिन- I am not satisfied with that, I have already said so.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार की तसल्ली कर ली है कि फैसले के कागज को फाड़ा गया था, एक बार ही फाड़ा गया था, दूसरी बार नहीं फाड़ा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने फाड़ने के लिये नहीं कहा। मैंने साफ बता दिया है कि यह जवाब आया है और यह भी बता दिया है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं, कलेक्टर को इसमें फुल फ्लेज्ड इन्क्वायरी करने के लिये कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी जवाब दिया है कि वह फैसला फट गया था, इस-

(श्री भैरोंसिंह)

लिये दूसरा फैसला रिप्लेस किया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही बार फैसला फटा है या फैसला दूसरी बार भी फटा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने साफ जवाब दे दिया है, एस. डी. एम. के जवाब की सूचना दे दी, इन्क्वायरी का आर्डर दे दिया है। मेरे पास इस समय पूरे डिटेल्स नहीं हैं, जब इन्क्वायरी होकर सूचना आयेगी जो डिटेल्स माननीय सदस्य पूछना चाहेंगे दी जायगी। माननीय सदस्य और सूचना देंगे I would be very glad to take that material. If you can furnish any information, I will be grateful to you.

श्री भैरोंसिंह :तो इससे अभी यह मानना चाहिये कि जो कुछ जवाब आपने दिया है, वह पूरा नहीं है अधूरा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको इन्डिपेन्डेन्स है कि जो चाहें मान लें; मैंने तो जो जवाब आया वह अर्ज कर दिया और यह बता दिया है कि मैं उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कलेक्टर को इन्क्वायरी के लिये कह दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): When you yourself are not satisfied with the information, how can you expect the House to be satisfied ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is why I have said that I have ordered fresh enquiry in the matter.

श्री अध्यक्ष : He has said that he has ordered fresh enquiry in the matter.

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी जवाब दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट एस० डी० ओ० के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस स्थिति में नहीं है कि अभी इसका पूरी तरह से उत्तर दे....

श्री अध्यक्ष : यही तो कहा था।

श्री भैरोंसिंह : यह कहा है कि एक फैसला फट गया था उस फैसले की नकल करके रख ली गई और जजमेंट में कोई फर्क नहीं है। अभी माननीय उपमंत्रीजी द्वारा यह कहा गया कि शिकायत की जांच की गई और निराधार पाई गई। मैंने पूरी तरह से सुना नहीं पर ऐसा कहा है तो, यह किस आधार पर कहा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact when a judgment is pronounced, a copy of it is kept on the record and entry is made in the cause list also. That entry tallied with the judgment also. Therefore, prima-facie, it was considered by the Collector that the judgment was only copied by the S. D. O. but when the matter was brought to my notice, I was not satisfied and, therefore, I have ordered a fresh enquiry to be held by the Collector. I will request the Hon'ble Member that if he can furnish some information to me, I shall be thankful to him.

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है, अभी माननीय उप राजस्व मंत्री जी जवाब में कह गये थे कि शिकायत हुई थी उसकी जांच की गई और वह शिकायत निराधर पाई गई। यह उन्होंने किस आधार पर कहा

(श्री भैरोंसिंह)

जब कि माननीय राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो जवाब एस० डी० ओ० ने दिया है उससे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर ने इसकी इन्क्वायरी की है और उनकी जांच से निराधार पाई गई पर जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, मैं खुद इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : शिकायत किसकी तरफ से हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : These facts are not in my knowledge. किसने शिकायत की और किस तरह इन्क्वायरी हुई, यह मैं अभी नहीं बता सकता पर इतना कह सकता हूँ कि कलेक्टर ने इन्क्वायरी करके भेजा है ....

श्री श्रीभानसिंह : What purpose will be served by entrusting the enquiry to the same Collector who has already given his opinion to the Government ? वह निराधार पाई गई, फिर उन्हीं कलेक्टर को इन्क्वायरी देते हैं ....

श्री दामोदरलाल व्यास : That Collector has been transferred and now there is another Collector.

श्री श्रीभानसिंह : Before instituting the enquiry, why don't you transfer the S. D. O. also ? It is outrageous that the S. D. O. should tear his judgment in the court.

श्री दामोदरलाल व्यास : Who has said that he has torn the judgment in the court ?

श्री श्रीभानसिंह : It was torn by him.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not correct. In any case, I have ordered a fresh enquiry into the matter.

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० ओ० ने जजमेंट को दो बार फाड़ कर फेंका है और उनके टुकड़े,पुर्जे मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको सदन में पेश करता हूँ । शिकायत निराधार बताई जाती है तो मैं जानकारी देता हूँ कि शिकायत बिलकुल सही है । एक जजमेंट तो यह है और दूसरा जजमेंट यह है । दोनों पर अदालत की मोहरें लगी हुई हैं और एस० डी० ओ० के दस्तखत हैं । जांच करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य यह जजमेंट कलेक्टर के पास पेश कर देते तो क्या ठीक नहीं था ?

श्री श्रीभानसिंह : Under the circumstances, it is proved that the Collector also connived in the matter. It shows that the Government is treating the matter very lightly. It is a very serious matter.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a serious matter and we are treating it as such.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री पी० के० चौधरी : When an Hon'ble Member puts a question, why do you believe a government officer against an Hon'ble Member ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member has not given any information. He only says......

श्री पी० के० चौधरी : You give more credence to the damn S. D. O. than the Hon'ble Member's information.

श्री अध्यक्ष : Order, please.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये इतना और कहता हूँ कि वे दोनों जजमेंट की कॉपीज़ मैंने माननीय उप राजस्व मंत्री जी को दिखाई और उनको राजस्थान के मुख्य सचिव ने अपनी आंखों से देखी हैं और देखने के बाद कलेक्टर को जांच के लिये लिखा था। उस वक्त मुझे यह कहा था कि लिख कर शिकायत दें। मुझे जिसने ये दोनों फटी हुई कॉपीज़ दी, उसको मैंने हिदायत कर दी कि वह लिख कर शिकायत दे, उसके बाद मुझे पता नहीं कि उसने लिख कर शिकायत की कि नहीं। वे दोनों जजमेंट के फैसले की फाड़ी गई कॉपीज़ मैंने अपने कब्जे में रख रखी हैं, जिसके जवाब में राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि पहले वाले कलक्टर ने जांच करके बताया था, तीन महीने उनका तबादला किये हुए हो गये, अगर सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसा कि कहा गया, तो क्यों नहीं इस अर्से में जांच कराई गई ? मेरे पास से कॉपीज़ को देखना था तो क्यों नहीं देखी गई ? जब कि जनता की उसके खिलाफ यह शिकायतें रही हैं कि वह फैसले लिख लिख कर फाड़ देता है और लोगों से पैसे ठगता है। पर लोगों की शिकायतों के बावजूद भी उसको जबरदस्ती रतनगढ़ में डिटेन किया था। और अब उसको बचाने के लिये ट्रान्सफर कर दिया।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी ने यह शिकायत मेरे सामने की थी और मैंने फौरन उसी वक्त उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्स देते हुए कार्यवाही की भी थी।

श्री पी० के० चौधरी : You did not give it any importance.

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री सम्पतराम : कम्प्लेन्ट करते ही मैंने करीब १५ मिनिट के अन्दर अन्दर चीफ-सेक्रटरी को अपने कमरे में बुलाया था और कहा था कि यह एक प्रकार की सीरियस कम्प्लेन्ट है, इसकी जांच की जाय। उन्होंने कलेक्टर को फोन पर बुलाया और इन्क्वायरी करने की हिदायत की। मैंने काफी देर तक बातचीत की। श्री भैरोंसिंहजी ने मुझे दोनों कापीज़ जजमेंट की दिखाई, उनके पास फोटोज़ भी थे। मैंने इनको कह दिया था कि शिकायत दे दीजिये। बाकायदा कम्प्लेन्ट दें तो इसकी पूरी तरह से जांच हो जायगी। उन्होंने कहा कि सारे फैक्ट्स दे देता हूँ पर इसके बाद कोई फैक्ट्स नहीं दिये। पर जो कुछ मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा था, उनके आधार पर कलेक्टर ने इन्क्वायरी की और

(श्री सम्पतराम)

उसी इन्क्वायरी के आधार पर यह जवाब दिया गया ।

अगर माननीय सदस्य बाकायदा कम्प्लेन्ट दे देते और ये सभी चीजें दे देते तो कम्प्लीट इन्क्वायरी हो जाती और न जाने आज क्या फैक्ट्स होते ।

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, उप मंत्री महोदय ने पूछा वह ठीक है But it becomes very difficult for an M.L.A to get implicated in a case. He has brought it to the attention of the Hon'ble Minister and he has shown the facts, and the Government machinery could have been moved for verifying those facts An M.L.A cannot be expected to bring evidence and...

श्री पी० के० चौधरी : Moreover, it appears from the statement of the Deputy Minister that the enquiry was conducted after the facts were brought to his notice. If the result of that enquiry is that this was a false report, then God save the Government.

श्री दामोदरलाल व्यास : God will save the Government, you dont worry about that. I will let you know the facts after the fresh enquiry is conducted.

I will submit, Sir, that I am giving a statement on the floor of the House and to speak in these terms that 'God save the Government', it is certainly improper. I have given a statement that I have ordered the Collector to hold a fresh enquiry himself, and the Hon'ble Deputy Minister has observed...I will read his orders dated the 8th December, 1959, when the complaint was made to him...

श्री भैरोंसिंह : यह तारीख ८ दिसम्बर १६५८ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : 8th December, 1958. Subsequently immediately it was ordered that an enquirys hould be held and we should go deep into the matter...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : Order please. One member at a time.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार सूचना दी कि इस प्रकार की दो कोपी जजमेंट की हैं और दोनों पर एस. डी. एम. के हस्ताक्षर हैं तो फिर माननीय मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि ये सारी बातें निराधार हैं । सब कुछ माननीय मन्त्री के नोटिस में लाने के बाद ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि यह एक बुरी परम्परा है । मालूम होता है कि उन लोगों को बचाने के लिये गलत जवाब देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : किसी को बचाने का सवाल नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यों तो प्रूफ ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जब फैक्ट

Page No.34

(श्री मुरलीधर व्यास)

एम. एल. ए. लाते हैं तो हमेशा इस प्रकार की बातें कह दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : वे खुद इस बात को कहते, हैं कि जो जवाब उन्होंने दिया है वह स्पष्ट नहीं है। जब माननीय सदस्य ने जो बात बताई he was the first person to admit that he is not satisfied about it.

(श्री मुरलीधर व्यास के बीच में बोलने

श्री अध्यक्ष : Order please, One member at a time.

Order please. और उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं इसके बारे में जांच कराऊंगा। आपके कहने से पहले उन्होंने कहा है। अब माननीय सदस्य के संतोष का प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन के सामने सबसे पहले इन्होंने यह इन्फोर्मेशन दी कि यह निराधार हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो।........

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने पर)

आर्डर आर्डर। उनके पास जो सूचना आई थी वह उन्होंने दी। जब सप्लीमेंट्री प्रश्नों में ऐसी बातें पूछी तो उनको यह महसूस हुआ कि सूचना ठीक नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसका पता लगावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी The facts were known to him one year before. After that how did he say that the complaint was baseless.

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह आता है कि जब दो डॉक्युमेंट बताये गये तो उनको देखने के बाद यह कैसे कहा गया कि शिकायत निराधार है। जांच के बाद क्या रिज़ल्ट आवेगा, यह डिफरेन्ट मेटर है। यह कैसे कहा कि मामला निराधार है। उन्होंने दोनों कागज़ात देखे थे फिर इस प्रकार का कैसे जवाब दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) · माननीय सदस्य से कहा गया कि आप दोनों डॉक्युमेंट्स दे दें। उन्होंने नहीं दिये। इसलिये उनको जीनाइन कैसे माना जा सकता है। जब आपको कहा गया कि डॉक्युमेंट दे दीजिये आपको दे देने चाहिये थे।

श्री श्रीमानसिंह : I think this is not a Municipal matter that he is interfering.

श्री मुरलीधर व्यास : उनको बचाने के लिये ऐसा किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह बचाने का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. One question should be replied by the one Minister concerned. Not that the entire Cabinet should rise up and reply to the question.

(श्री पी० के० चौधरी और श्री बद्रीप्रसादगुप्ता दोनों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Order please. Order.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. I have raised a point of order.

श्री अध्यक्ष : Order please. Please take your seat. He is replying to that.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ कहा गया है ....

श्री पी० के० चौधरी : He is nobody to give a ruling. It is for the Speaker to give a ruling on a point of order.

श्री अध्यक्ष : But he can speak on the point. Why should you be so excited about nothing ?

श्री पी० के० चौधरी : I want Speakers, 'ruling on it whether...

श्री अध्यक्ष : But can't an Hon'ble Member make a reflection on your point of order ?

श्री पी० के० चौधरी : No Sir.

श्री अध्यक्ष : Why 'No Sir' ? You have raised a point of order and every Hon'ble Member has a right to say whether it is well taken or not.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर हूँ कि उन्होंने मेरे से रेकॉर्ड मांगा और मैंने उनको रिकॉर्ड दिया (नहीं-यह अलग फेक्टर है।) मगर मैंने कागज नहीं दिये इस पर माननीय मंत्री यह जवाब दे दे कि यह मामला निराधार है। वे पहले मेरे से मांगते उसके बाद सदन में जवाब दे सकते थे। लेकिन उनकी जांच नहीं की और पहले वाली जांच पर यह कहना कि यह निराधार है, जब उन्होंने कागज़ देख लिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपको इतना जोश क्यों पैदा हो गया है जो बात प्राइमरी इन्क्वायरी से निराधार पाई गई उसके बेसिस पर यह कहा गया और मैंने खुद ने कह दिया कि I am not satisfied. मैंने खुद ने कलक्टर को इन्क्वायरी के ऑर्डर दिये हैं। 'निराधार' शब्द पर ही आपको एतराज है। कलक्टर ने उसको निराधार मान लिया। आपका एलिगेशन कि उसने फाड़ कर फेंक दिया और और दूसरा लिख दिया Then of course I think it is a very serious allegation. It may be against anybody...मगर एक एस० डी० एम० वहां लिखते लिखते यह देखता है कि यह ठीक नहीं है तो उसको फाड़ कर दूसरा लिख देता है। There is nothing wrong in it. अगर उसके आप के पास टुकड़े हों तो उन टुकड़ों के बेसिस पर उसको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। (श्री भैरोंसिंह के बोलने के लिये खड़े होने हैं पर)

श्री दामोदरलाल व्यास : बैठिये आप मेरी बात सुनिये।

श्री भैरोंसिंह : आपको बैठिये कहने का कोई हक नहीं है। I am not to obey your orders in this defamatory language. This is not a Minister's business to say, 'Sit down and hear me'.

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना और हम भी चाहते हैं एक्शन लेना। कागज उनके पास भेजते। आपने कागज वादा करने पर भी

Page No.36

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं भेजे । उनको आपसे मिलने पर ही जो बातें मालूम हुई उस पर चीफ सेक्रेटरी को उसी वक्त इत्तला दी । यह बात नहीं कि हम एक्शन लेना नहीं चाहते-हम भी एक्शन लेना चाहते हैं । आप यहां सदन में इन्फोर्मेशन पेश कर सकते हैं कि उनका फैसला है । फैसला वही ठीक माना जाता है जिस पर उनके दस्तखत होते हैं....

श्री भैरोंसिंह : दस्तखत हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आखिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट के खिलाफ इन्क्वायरी करते हैं तो मेटीरियल होना चाहिये । आपको यह साबित करना होगा । सदन में पेश करते हैं और कहते हैं कि सरकार उनको फोड़ करती है, फेवर करती है । मैं खुद कहता हूँ कि हमने इन्क्वायरी करा दी है । इसके पहले चीफ सेक्रेटरी ने इन्क्वायरी के लिये कहा और प्रूव नहीं हुआ। आपकी इन्क्वायरी से साबित नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : मुझसे किसने पूछा था ।

श्री श्रीभानसिंह : If the allegations are not proved, why have you ordered a fresh enquiry ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because I am not satisfied.

श्री श्रीभानसिंह : Then the reply should have been that the Government is not satisfied and the Government has ordered another enquiry, but you have categorically stated that it is निराधार ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने क्या कलक्टर को इस प्रकार से सूचना दी थी कि माननीय सदस्य ने उनको जजमेंट की कापीज बताई थीं उनको देखने से स्पष्ट होता है, इस प्रकार की सूचना दी थी और उसके बाद उसने इन्क्वायरी करके लिखा है या आपने यह सूचना उनको नहीं दी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will read out the order of the Hon'ble Deputy Minister concerned...जो उप मंत्री ने लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ : श्री भैरोंसिंहजी ने स्वयं कार्यालय में आकर इस व्यक्ति की शिकायत की थी और कुछ डॉक्युमेंन्ट्स भी दिखाये थे । चीफ सेक्रेटरी को उसी वक्त मैंने सारी स्थिति से अवगत करा दिया था और जिलाधीश शुरू से पूरी जांच कराने को कहा था । मुख्य सचिव के यहां से मालूम किया जावे कि जिलाधीश ने क्या जांच की ....

इस पर जवाब दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं चाहता हूँ कि दोनों फैसले हैं जिस पर....

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह आता है कि जांच के सम्बन्ध में मेरा हवाला दिया गया है और मेरे हवाले से कलक्टर को लिखा गया है, कलक्टर ने या और किसी अधिकारी ने क्या मेरे से जानकारी लेने की कोशिश की जिससे कि शहादत पेश की जा सकती । बिना मेरे से जानकारी किये, शहादत लिये सरकार

Page No.37

ने यह कैसे निष्कर्ष निकाल लिया कि यह निराधार है।

श्री अध्यक्ष : मामला गम्भीर है इसमें दो राय नहीं हो सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा और माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मामले की गम्भीरता को मालूम करके ही दुबारा जांच करने की कोशिश की जारही है। जांच का जो परिणाम आयेगा वह माननीय सदस्यों को बता दिया जायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न।

पंचायत केबारे में है। इसको सरकुलेट कर दिया है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : We don't have the copies.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Should I read the question, Sir?

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़ दीजिये सब को मालूम हो जायगा।

ग्राम मन्डावरी तहसील फागी के हरिजनों को सरपंच ग्राम मेंदवास द्वारा परेशान किया जाना

श्री लादूराम सुलाणिया [दूदू-सु०- श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है, कि सरपंच ग्राम मेंदवास, तहसील फागी, ग्राम मंडावरी में बसे हुये हरिजनों को नाजायज परेशान कर उन्हें जबरदस्ती ग्राम छोड़ने को मज़बूर कर रहा है ?

(२) क्या थानेदार, मालपुरा थाना (जिला टोंक) ५ हरिजनों को पकड़ कर भी ले गया है ? यदि हां, तो किस किस को ?

(३) क्या सरपंच, ग्राम मेंदवास ने कई बार हरिजनों से नाजायज जुर्माना भी वसूल करने की धमकियां दी हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इनकी (हरिजनों) अपील तहसील पंचायत में चल रही है ?

(५) यदि हां, तो फिर नाजायज नोटिस देने, पुलिस से पकड़वाने, तथा जुर्माने की धमकी देने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासनमंत्री, (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : यह सही नहीं कि सरपंच, मेन्दवास तहसील फागी, ग्राम मंडावरी में बसे हुये हरिजनों को नाजायज परेशान कर रहे है और उन्हें जबरदस्ती ग्राम छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं।

ग्राम मंडावरी में २०-२५ घर हरिजनों व चमारों के हैं। वह अपने घर चरागाह भूमि में बढ़ाते जा रहे हैं।

अधिकृत सूचना पर यह प्रकट हुआ है कि नाजायज कब्जे को न छोड़ने के अभियोग में पंचायत द्वारा जुर्माना किया गया और जुर्माना वसूल नहीं हुआ तो पुलिस की सहायता ली गई। ६-१२-५९ को श्री मूलिया, श्री-हरनाथ, श्री ओंकार, श्री लादिया एवं श्री-भागीरथ को गिरफ्तार भी किया गया। तहसील पंचायत द्वारा स्टे ऑर्डर देने पर पुलिस द्वारा पकड़े गये उन पांचों व्यक्तियों को छोड़ दिया गया।

सरपंच द्वारा धमकियां देने सम्बन्धी तथ्य प्रकट नहीं होता। हां, यह सही है अपील

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तहसील पंचायत में चल रही । लगभग २०, २५ हरिजन चमार चरागाह की भूमि को आबादी के उपयोग में लेने के लिये प्रयत्नशील हैं तथा दूसरी ओर ग्राम पंचायत ने नाजायज कब्जेको हटाने की कार्यवाही चालू कर रखी है । जुर्माना माफ करने की कार्यवाही तहसील पंचायत में चल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : किसी दफ़ा के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि जमीन का नाजायज कब्जा न छोड़ने की हालत में पंचायत ने उन पर जुर्माना कर दिया और जुर्माना वसूल नहीं हुआ तो उसके लिए पुलिस की सहायता ली गई और पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया ?

श्री भैरोंसिंह : किस कानून के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जुर्माना अदा नहीं किया तो जेल भी भेज सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व अदालत द्वारा पुलिस को वारन्ट जारी करना पड़ता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास इस सम्बन्ध की डिटेल्ड जानकारी नहीं है । जुर्माना अदा न करने पर व पुलिस को लिखने पर उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में अपील पर स्टे ऑर्डर हो जाने से उनको छोड़ दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे पंचायत के हुक्म से गिरफ्तार किये गये या एस०डी०ओ० की ओर से हुक्म आया कि जुर्माना नहीं देते हैं इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एस० डी०-ओ० की मार्फत जाना चाहिये था । किस की मार्फत पुलिस को लिखा गया यह मुझे इस समय जानकारी नहीं है । पुलिस से पूछना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : This may be further deferred, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शार्ट नोटिस क्वेश्चन की पंचायत से सूचना मंगाई हुई है, अन्य जगह से नहीं मंगाई हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : गिरफ्तार करने के बाद कितने दिन तक उनको लॉक-अप में रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६-१२-५९ को उनको गिरफ्तार किया गया था । कितने दिन रखा, यह मुझे नहीं मालूम है । तहसील पंचायत के स्टे ऑर्डर से उनको छोड़ दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितना जुर्माना है जो उन्होंने अदा नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : कोई जानकारी नहीं है ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो मेरे पास सूचना आयी वह मैंने पेश कर दी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वह मामला अभी तक तहसील पंचायत के विचाराधीन है और तहसील पंचायत ने जुर्माने की रकम को एप्रूव नहीं किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जवाब में मैंने आपको 'हां' कहा है। तहसील पंचायत ने स्टे ऑर्डर कर दिया और उनको छोड़ दिया।

श्री भैरोंसिंह : तहसील पंचायत में जुर्माना एप्रूव हो गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने इसका कानून देखा नहीं है। तहसील पंचायत ही जुर्माना मंजूर करती है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब पूरा नहीं आया है इसलिए इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वे खुद ही स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसको कल के लिए रख लिया जाय। बड़ा सीरियस केस है। पंचायत ने पुलिस वालों को बुला कर हरिजनों को गिरफ्तार करा दिया।

श्री अध्यक्ष : फेक्ट्स हैं वे रख दिये।

श्री भैरोंसिंह : एस. डी. ओ. ने कोई वारन्ट जारी किया था या नहीं, या पुलिस वालों ने अपने आप गिरफ्तार कर दिया। जुर्माना तहसील पंचायत मंजूर करती है, कानून के वे ही जानकार नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा यदि कन्फर्म नहीं होता है तो कन्वेन्शेन क्या है वे यह बता दें। एस. डी. ओ कोई वारन्ट इश्यू नहीं करता है जब तक कि जुर्माना तहसील पंचायत स्वीकार न कर ले और तहसील पंचायत के फैसले का वह इन्तजार करता है। कितना जुर्माना हुआ, कितने दिन उसको हवालात में रखा आदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है इसलिए इसको एक दो दिन के लिए डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच और करा लीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एक दो दिन में तो हो नहीं जायगा क्योंकि आखिर पंचायत की फाइल को मंगवा कर देखना पड़ेगा, पुलिस से भी इन्फोर्मेशन मंगानी पड़ेगी। शार्ट नोटिस क्वेश्चन के बजाय इसको यदि रेगुलर क्वेश्चन में रख दिया जाय तो इन्फोर्मेशन पूरी तरह से उपलब्ध हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आप इन्फोर्मेशन मंगवा लीजिये, रेनवाल २६ मील है कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हरिजन काफी डरे हुए हैं, जा-बेजा कार्यवाही उनके साथ हो रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मामला सबजुडिस है और इसमें बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : जुर्माना वसूल कर लिया, सबजुडिस होने का सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह।

स्थगित प्रश्नोत्तर

विभिन्न कार्यों (activities) की फीस

१८६. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to answer the following :—

(मेजर श्री फतेहसिंह)

1. What were the rates of the different activities fees collected from the students of different classes reading in the G. H. S. S, Ajmer, G. H. S. S, Beawar, G. H. S. S, Jodhpur and G. M. P. S, Jaipur during the session 1958-59 ? Please place the details on the table of the House, giving the information separately for each school.

2. What are the orders and circulars issued from time to time authorising the collecting of the activities fees in the Government educational institutions ? Please place copies of these orders and circulars on the table of the House.

3. What was the total amount of the activities fees collected in the Government Girls Higher Secondary School, Beawar, during the session 1958-59 ? Please give details separately for each type of the activity fee, showing income and expenditure and place them on the table of the House.

4. Is it a fact that the Head Mistress of Government Higher Secondary School, Beawar, collected the handwork fee of Rs. 6/-per head from all students in May, 1959, and spent the whole or part of the amount in meeting the entertainment expenses of the annual function of the school held on 14th May, 1959 ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : १. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

४. जी हां, लेकिन हैंडवर्क के सम्बन्ध में ली गई राशि स्कूल के वार्षिक उत्सव के कार्य में खर्च नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

मेजर श्री फतेहसिंह : Regarding the Government Girls Multipurpose Higher Secondary School, Beawar, is the statement of activities fees, that is laid on the table of the House, according to the old rates or according to the new rates ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Some are according to the old rates and some are according to new.

मेजर श्री फतेहसिंह : Have they been recovered according to the correc rates ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : According to the rate prevailing on t' at date in that year.

मेजर श्री फतेहसिंह : My question is specific, Sir. Have they been recovered correctly ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

Page No.41

मेजर श्री फतेहसिंह : I challenge it, Sir. They have not been recovered correctly. According to the order dated 17. 2. 1958 (laid on the table of the House) activities fees upto 8th class are to be charged at the old rates, where as the fees have been recovered at the new rates, and here the mistake has been made.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I will read out paragraph (2) of that letter :—

"2. No tution fees is to be chargd upto class VIII. Activity Fee is to be charged on old rates. Heads of institutions vide circular letter No. F. 20 (2) Edu./B/53 dated 30. 11. 57, were empowered to determine the rates of Activity Fees with the concurrence of the Students' union and heads of the institutions can use their discretion in the case of classes IX to XI only."

This is simply a clarifying letter of the earlier orders. The earlier order was dated 6th July, 1957, which says:-

"1. Education will be free in all Government educational institutions upto and including class VIII.

2. As to classes above VIII, tution fees will be charged at the rates given n the enclosod statement No. I in all Government educational institutions including those of erstwhile Ajmer State.

3. As regards girl students studying in Government educational institutions, the rate of tution fees will be at half the rates of those levied for male students.

4. Besides the tuition fees, the rate for other charges will be as given in the enclosed statement II. This will apply equally to male and female students."

Thereafter, this order was amended on 2. 8. 1957 which reads as under:—

"Office bearers of the various Students' unions waited on the Chief Minister, Rajasthan and submitted that a number of students find it difficult to pay fee - tuition and other fees - at a time because it amounts to a sufficiently big sum. They requested that fees which are paid for specific activities and are spent by the college/school authorities in consultation with the students may be revised.

It would have been in fitness of things if other fees as prescribed by the Government recently were available to school and college authorities for arranging games, libraries and reading rooms and such other activities..."

मेजर श्री फतेहसिंह : We want the latest order on the point, Sir.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : As regards activities fees, this is the latest order and others are merely clarifying. In the last paragraph it says :—

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

"This order will cover the following items of fees only :—

(1) Games fee, (2) Library fee, (3) Reading room fee, (4) Magazine fee, (5) Union fee, (6) Entertainment fee."

This covers only six sorts of fees. That means that regarding other activities fees, the rates shall be as mentioned in the order dated 6th July, 1957. The order dated 6th July, 1957, was amended but only in respect of these six fees. The handwork fee is not included in it. The handwork fee was to be charged as in the order dated 6th July, 1957, and not at the old rates.

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the meaning of 'old rates'?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Those prevailing before July, 1957.

श्री पी० के० चौधरी (कुचेरा) : What were those old rates prevailing before July, 1957? And what is the difference between old rates and new rates?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There is only one difference. Handwork fee was not to be charged according to the Code before 6th July, 1957, but according to the order dated 6th July, 1957, Handwork fee was to be charged along with certain other activities fees. In the order dated 2. 8. 57, only six of these activities fees were amended, which did not include Handwork fee. Therefore, in respect of Handwork fee, the Government order dated 6th July, 1957 stood, and the rates were those which were mentioned in the order dated 6th July, 1957. Therefore, the institution was perfectly justified in charging the fees at enhanced rates.

श्री श्रीभानसिंह : Please state the old rates and new rates of activities fees for class 8th.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We may take up Handwork fees about which there is a dispute.

श्री श्रीभानसिंह : I want to know all the activities fees. Not Handwork fee only.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The activities fees include so many fees and Handwork fee is only one of them. Before July, 1957, no Handwork fee was charged and it was a new item introduced in the order dated 6th July, 1957. the Schedule incorporated in the order dated 6th July, 1957, was partially amended by the order dated 2. 8. 57, where in it was mentioned that the maximum fees shall be the new rates and the minimum shall be the old rates and the heads of the institutions were required to fix their rates of fees between these two points in consultation with their students' unions. But that amendmnet did not affect the Handwork fee which was excluded from that, and continued to

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

remain as mentioned in order dated 6th July, 1957. Subsequently more letters were issued, but they were only clarifications and they did not change the rates of fees.

श्री श्रीमानसिंह : My question upto 8th class only. According to the new circular, he says that the fees were to be decided by the institutions in consultation with the students' unions, and he is making confusion worse confounded. I want to activities fees were to be charged upto class 8th only according to the old as well as new rates

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : For which of the activity fees ?

श्री श्रीमानसिंह : All the activities fees charged upto 8th class, whether they were according to new rates or old rates.

श्री अध्यक्ष : There are different rates for different activities fees.

मेजर श्री फतेहसिंह : The question can be divided into two parts. Wha were the activities fees for classe beyond 8th and what were the activi ties fees for classes upto 8th. For clea sses upto 8th, the order is very clear that they will be charged at the old rates. I will invite your attention to para 17 of the circular dated 17.2.1958, which reads :—

"17. As regards fees other than tuition fees in classes upto VIII, Government order No. F. 1 (992) Edu./B/57 dated 2.1 1958 is very clear on the point which says that fees should be charged at the old rates for the time beings."

And the old rates were the rates charged before 6th July, 1957, which ar laid down in the Education Code and there is no mention of Handwork fees in the Education Code.

For other fees, there is a difference between the old rates and new rates. For example, games fee was Rs. 2/- in old rates for classes 6th to 8th, but new rate is -/6/- only. According to old rates, Union fee was Nil but they are recovering Rs. 1/- according to new rate. Social Gathering fee was Nil according to old rates, and Handwork fee was also Nil according to the old rates, but according to new rates they are recovering Rs. 1/- per annum and -/8/- per month respectively. Caution money according to the old rate was Nil, but they are charging Rs. 5/- as Caution money. There is a material differnce between the two, and the Hon'ble Minister should admit that the institution has made a mistake.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have given a very clear reply, Sir.

श्री अध्यक्ष : By old rates you mean those embodied in the order of 6th July, 1957 ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No Ser those prevailing before that as laid down in the Education Code. There after circular was issued on 6th July, 1957.

श्री अध्यक्ष : So the old rates mean as mentioned in the Code ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Old rates mean those which are in the Code and new rates mean as embodied in the 6th July, 1957, and amended means as amended by the order dated 2.8 57.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Governor also order that only those students should be charged enhanced fees whose parents are paying incometax and that those whose parents are not paying income-tax should be charged at the old rates ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That relates to tuition fees.

मेजर श्री फतेहसिंह : No, no regarding all fees. The Hon'ble Minister is not aware. It says : "The fees at enhanced rates will be charged from the wards of those persons who pay income-tax." "Fees" means all fees, and not tuition fees only.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That was only for tuition fees.

मेजर श्री फतेहसिंह : The question is a only regarding the activities fees, and here is the Education Code which can be looked into. There is a difference between the old rates and new rates. The old rates have not been modified.

श्री अध्यक्ष : Questions are over.

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the result, Sir ?

श्री अध्यक्ष : You asked so many questions.

मेजर श्री फतेहसिंह : But he is giving deliberately wrong answers.

श्री अध्यक्ष : That is a question of opinion.

श्री श्रीभानसिंह : But the words 'old rates' have not been clarified. What is the interpretation of the 'old rates' ?

श्री अध्यक्ष : He has replied to that.

मेजर श्री फतेहसिंह : Old means those obtaining prior to July, 1957 and as laid down in the Education Code. It is here that the mistake has been made and they are recovering activities fees according to new rates. Even the statement of fees which has been laid on the table of the House is very clear. The Central Girls Higher Secondary School, Ajmer is recovering fees at correct rates. They are not recovering either Magazine fees or Handwork fee upto class 8.th.

मेजर श्री फतेहसिंह : एक ही जगह दो तरह के किस तरह नियम चल रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : All institutions are charging according to rules.

मेजर श्री फतेहसिंह : They are not charging.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस स्टेटमेन्ट के अनुसार अजमेर में फीस वही चार्ज की जा रही है जो पहले की जाती थी। ओल्ड रेट के हिसाब से तो क्या इनका इस तरह से फीस चार्ज करना आपके इन्टरप्रिटेशन के हिसाब से गलत है। जो आपने स्टेटमेन्ट दिया है उनके अनुसार एक स्कूल में, ब्यावर में जो फीस चार्ज की जाती है उसे आप ठीक मानते हैं, पर अजमेर में उस तरह से चार्ज नहीं की जाती तो क्या वह गलत चार्ज कर रहे हैं ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Regarding this, different institutions can give different interpretation to this circular.

श्री अध्यक्ष : Then please issue one circular clarifiying every thing and treat that as final.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What do you mean by 'old rates' occurring in the circular dated 2.8.57 ?

श्री अध्यक्ष : He has replied to that. I have asked that question myself

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अब तक तो यह कहा कि ओल्ड रेट वे ही हैं जो एजुकेशनल कोड में हैं। हम स्पेसिफिकली यह जानना चाहते हैं कि ५८ का क्लैरिफाइंग सरकुलर जो निकला है उसमें बताई गई ओल्ड रेट का क्या मतलब है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका जवाब मैंने दे दिया। इसका उत्तर बिलकुल साफ दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : I think we cannot throw any more light on this, excepting generating more heat.

मेजर श्री फतेहसिंह : The answer must come from him, Sir.

श्री अध्यक्ष : He has answered it.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका उत्तर बिलकुल साफ दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : वे ओल्ड रेट्स एजुकेशन कोड में जो दी हैं वे ही हैं न ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे नहीं हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : कौन सी है फिर ये ओल्ड रेटें ?

श्री अध्यक्ष: डिमान्ड नम्बर....

श्री भैरोंसिंह यह फीस की डिमान्ड चल रही है अध्यक्ष महोदय।

(हंसी)

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सूचना प्राप्त करने के लिये है। पर ऐसा मालूम होता है कि एक के बाद दूसरा डिस्कशन चल रहा हो। अगर माननीय सदस्य यह महसूस करते हों कि जवाब इन्कम्पलीट है अथवा इन्करेक्ट है तो हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर में उसके लिये दूसरे जरिये भी हैं जिनके द्वारा वे अपना प्रश्न साफ करा सकते हैं। उस जरिये को किया जाना चाहिये बनिस्बत इसके कि यहां अधिक डिस्कशन हो।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया, ठीक है। इन्फार्मेशन गेदर करने के लिये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन इतना था कि १७-२-५८ को जो क्लेरिफाइंग सरकुलर निकला है उसमें वर्णित ओल्ड रेट से मतलब क्या एजूकेशन कोड में जो रेटें दी हुई हैं उनसे है? यह सीधा सा क्वेश्चन है जवाब दे दें। हमें भी सन्तोष हो जायगा, हमें हमारा जवाब मिल जावेगा, और चीफ व्हिप की भी परेशानी दूर हो जायगी।

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: उसका मैं उत्तर दे चुका हूं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य बुनकर सहकारी संस्थाओं की बकाया रकम

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे—

(क) राज्य बुनकर सहकारी संघ के हैन्ड लूम विक्रय केन्द्र, बीकानेर के मारफत सन् १९५७–५८ व ५८–५९ में किन–किन बुनकर सहकारी संस्थाओं का कुल कितनी-कितनी कीमत का कपड़ा सरकारी विभागों को दिया गया है? उसमें से कितना पेमेन्ट कब से रुकाया है?

(ख) डी० आई० ओ० बीकानेर ने इस पेमेन्ट को दिलाने में क्या प्रयत्न किये? अगर सम्बन्धित विभागों को कोई तकाजे के लिये पत्र लिखे हों तो उनके नम्बर व तारीखें बताने का कष्ट करें।

उत्तर

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ का हैन्ड-लूम विक्रय केन्द्र बीकानेर में २४–१–५९ से स्थापित हुआ है। अतः ५७-५८ में विभागों द्वारा इस बिक्री केन्द्र से कपड़े की खरीद का प्रश्न नहीं उठता। ५८–५९ में इस केन्द्र द्वारा कोई कपड़ा सरकारी विभागों को नहीं दिया गया। अतः पेमेन्ट के बाकी रहने का प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि यह बिक्री केन्द्र राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर के अधीन है अतः जिला उद्योग अधिकारी बीकानेर से उसका कोई संबन्ध ही नहीं है।

पाली तहसील में खातेदारी अधिकार

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:–

(श्री मूलचन्द)

पाली तहसील में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत १९५५ से लेकर आज तक किस-किस को असिस्टेन्ट कलेक्टर, पाली ने पत्र लगान (खातेदारी-हक) दे दिया है।

उत्तर

किसी को नहीं।

वूल प्लान्ट

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में किसी पार्टी को १००० स्पिण्डल्स का वूल प्लान्ट लगाने का लाईसेन्स (अनुज्ञा-पत्र) दिया है? अगर हां, तो किसको?

(ख) उपरोक्त प्लान्ट कहां लगाया जायेगा तथा इसकी एम्पलोयमेन्ट पोटेन्शलिटी क्या है?

उत्तर-

जी हां। श्री तेजपाल ओसवाल लुधियाना को जयपुर में राजस्थान फाईन वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स के नाम से एक वूल प्लान्ट १००० स्पिन्डल्स का लगाने का सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिला है।

यह मिल जयपुर में लगाई जावेगी और इसमें करीब ८० आदमियों को काम मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : डिमान्ड नम्बर ६२।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वादविवाद

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ...

श्री अध्यक्ष : कल बतावेंगे आपको इसके बारे में।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कारण थे? मैंने तो ठीक ही समय पर....

श्री अध्यक्ष : सरकार से उस बारे में जानकारी चाही है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्वयं मंत्रीजी के घर जाकर मैंने जानकारी ली है, कहा है वहां की हालत देख कर आप कुछ कहें। बाकी कल किसी की डेथ हो जावेगी—वहां पर दो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत देखने के बाद में मैं उनके घर गया—मंत्री महोदय को भी सारी इन्फार्मेशन दी और साथ ही समय पर स्थगन प्रस्ताव रक्खा। अब नियमानुसार मुझे इसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नियम के अनुसार ही तो उत्तर देते हैं। तसल्ली करने के लिये पूछा है और इसलिये पेंडिंग में रक्खा है। इसके बाद जवाब दे देंगे। यही मैंने कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने समय पर दिया है, कल कोई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को कितनी बार जवाब दे चुका हूं, कह चुका हूँ कि इस तरह के प्रश्न न उठावें।

(१२.३९ म० प०)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री पी. के. चौधरी।

मांग संख्या ६२—विविध

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं जो डिसप्लेस्ड

(श्री पी० के० चौधरी)

पर्सन्स की यह जो डिमान्ड है क्लोदिंग फूडिंग की २,६०,०००) का पेमेन्ट करने को, उस पर बोल रहा था। उस सम्बन्ध में यह बताया गया कि सप्लीमेन्टरी डिमान्ड में कि यह अमाउन्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से रिकवर करेंगे।

कल भी बताया था कि बजट मेमोरेन्डम में भी पेज २५ पर इसका जिक्र है कि २० लाख रुपया कन्ट्रीब्यूशन फ्राम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया-Contribution from Goverment of India on account of displaced persons - 20 lakhs. इसको भी पेज ६ पर दिया हुआ है। "In the original estimate figures, a contribution of 20 lakhs has been admitted as proposed by the Director of Rehabilitation. The same has been repeated for the next year also. The actual receipt will depend on the expeditious disposal of the audit objections and the sancton iof the Government of India."

मैंने इसीलिये पढ़कर सुनाया कि कल मैंने कहा था कि २० लाख रुपये का रीएम्बर्समेंट हमको गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से नहीं मिल रहा है। और इस वजह से नहीं मिल रहा है कि उस टाइम में रिफ्यूजीज़ के कैम्प में जो खर्चा किया था उसके बराबर वाउचर्स मेन्टेन नहीं किये। उसको वाइन्डअप करने के लिए एक तरीका हमने निकाला है कि इस तरह से स्माल सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के ज़रिये डेबिट अकाउन्ट्स को हम करना चाहते हैं। मेरे कट मोशन लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आज से ६, ७ साल पहले जो एक्सपेन्डीचर हुआ, और जिनकी आज हम रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं- सिर्फ इस वजह से कि बराबर वाउचर्स और अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं हुए तो जो व्यक्ति इसके लिए रेस्पोन्सिबल थे Whatever his designation may be और जो रिटायर हो गये हैं, तो गवर्नमेंट को उनके केसेज़ को परश्यू करना चाहिये और जो लोग इसके लिए रेस्पोन्सिबल थे, उस समय जो इक्सपेन्डीचर हुआ उसको इन्कर करने के लिए, उनसे वाउचर्स लिये जायं, पूरा अकाउन्ट लिया जाय, उसके बाद में आकर इस बात की डिमान्ड की सेंक्शन ली जायं, और उसके बाद में उसका पेमेन्ट किया जाय। तो यह कट मोशन सिर्फ इसी वजह से लाया था कि इसकी तरफ आपका और सदन का, सब का ध्यान आकर्षित करूं। इसके ऊपर ऑडिट डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

अब जो एग्जीबिशन, डी० पी० आर० के संबंध में मेरा जो कट मोशन है That the demand No. LXII, Major Head-57, Miscellaneous be reduced by Rs.100/- to discuss the non-maintenance of proper accounts of the expenditure incurred on exhibitions by Public Relations Department. उसके संबंध में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन उनके अकाउन्ट्स वगैरह के संबंध में है, और एक पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड जयपुर में स्टेट लेवल पर रखने के लिये है। अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्जीबिशन है वह एक पर्मानेन्ट फीचर जैसा हो गया है। पहले तो हम समझते थे कि कभी कभी एग्जीबिशन हुआ करती थी, लेकिन आजकल एग्जीबिशन हमारा एक

Page No.49

(श्री पी० के० चौधरी)

नॉर्मल फीचर हो गया है, और मैं समझता हूं कि आज वहां पर फन्ड्स हर साल नये नये एग्जीबिशन करने में लगता है उसको काफी कट डाउन कर सकें अगर हमारा एक पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड हो जाय तो । जैसा कि मिसाल के तौर पर पिछले तीन साल से जयपुर में एग्जीबिशन हो रही है, और तीनों दफे ही अलग अलग साइट पर हमने किया है। वहाँ हम फेन्सिग वगैरह खड़ी करते हैं । उसके लिए पर्चेज़ेज़ होती हैं, उसके बाद में जाकर डिसमेन्टल करते हैं तो डबल एक्सपेन्डीचर इन्कर करते हैं। एक तो ग्राउन्ड प्रिपेअर करने में एक्सपेन्डीचर, उसका डिसमेन्टल करने में एक्सपेन्डीचर, फिर फेन्सिंग चार्जेज, और जो मेटीरियल इकट्ठा करते हैं उनके लाने ले जाने में डबल चार्जेज होते हैं और फिर Next year then again next year we go in for an exhibition तो मेरा यह सजेशन था। तो एग्ज़ीबिशन का खर्चा देखते है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और सदन को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि किस रेट से हमारा एग्ज़ीबिशन का एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है । १९५७-५८ में एग्ज़ीबिशन का बजट रखा था हमने २७,०००) का लेकिन ५७-५८ में हमारा एक्सपेन्डीचर लगभग ३०,०००) का एग्ज़ीबिशन पर हुआ ।-५८-५९ में हमारा बजट एस्टीमेट था २७,४००) रु० का लेकिन खर्च किया लग- -भग ८४,०००) Rs 84,000,/- we spent on exhibition in 1958-59. और ५९-६० में हमारा बजट एस्टीमेट था ५७,०००)रू० का । ५७,०००)रू० का बजट पिछली फरवरी में माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया था और उसके साथ साथ और आइटम रखे थे, नये आइटम्स के अन्डर में और न्यू आइटम्स के अन्डर में ४,००,०००) रु० रखा था लम्पसम में Lump sum non-recurring grant of 4 lakhs to be spent on exhibitions under the directions of Exhibiton Committee. हमने जाँच की थी कि यह जो चार लाख रुपया अनस्पेसीफाइड एग्जीबिशन के लिये और एग्ज़ीबिशन कमेटी के डाइरेक्शन के अन्डर में खर्च करने के लिये रखा था तो किस वजह से रखा था और चार लाख रुपये रखने का मतलब क्या है ? हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने का प्रिन्सिपल होता है ।

(१२.५२ म० प०)

(श्री निरंजन नाथ आर्चय उपाध्यक्ष पदासीन

It has got a continuity पिछले साल के साथ कन्टीन्युटी रहती है। उसके बेसिस पर बनाते हैं या कोई नया आइटम होता है तो किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले साल ४ लाख न्यू आइटम्स के अन्डर में एग्ज़ीबिशन के खातिर रखा गया जब कि उससे पहले हम देखते थे कि ३० हजार, २७ हजार एग्ज़ीबिशन के लिए खर्चा हर साल करते थे, और पिछले साल ५७,०००)रू० का रखा था तो नेचुरली किसी को भी उत्सुकता होती है जानने के लिए कि ५७ हजार से चार लाख का क्यों रखा है ? तो ऐसी कुछ इन्फार्मेशन दी गई थी कि यह जो ४ लाख रुपया रखा गया है वह वर्ल्ड फेअर वगैरह होगा और तरीके से उस

(श्री पी० के० चौधरी)
का रुपया हम खर्च करेंगे, और वह एक पर्मानेन्ट कमेटी गवर्नमेंट की है वह उस खर्च का इन्तजाम करेगी।

आज फिर हमारे सामने सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड आई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि साढ़े दस लाख एग्ज़ीबिशन में खर्चा होगा। राजस्थान एग्ज़ीबिशन में सवा दो लाख खर्च हुआ है। अब इसमें हमको यह भी देखना होगा कि किस रेट से एग्जीबिशन के खर्चे में प्रगति हो रही है। पहले साल में ३०,०००) खर्च हुआ और पिछले साल में ८४,०००) खर्च हुआ और इस साल सिर्फ राजस्थान एग्जीबिशन हो रही है उसमें सवा दो लाख का खर्च हुआ है तो मोर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एग्जीबिशन का खर्चा जो है उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वह लीप्स एन्ड बाउन्ड्स से हो रही है। अब एग्ज़ीबिशन में हमें यह देखना है कि आया इतना खर्चा करना उचित है ? Whether we can afford to spend so much merely on Exhibitions ? दूसरी बात उसमें ६ लाख वर्ल्ड फेअर का खर्चा रखा है। नागोर एग्जीबिशन में ५०,०००)रू० बंगलोर एग्जीबिशन में ७५,०००)रू० का, कलकत्ता एग्ज़ीबिशन में ७५,०००) रु० का और दूसरों में लगभग ४०,०००) रु० कुल मिला कर इस साल में in the year of grace 1959-60 साढ़े दस लाख एग्जीबिशन के खर्चे का इन्तजाम रखा है जब कि अभी तक खर्चा २७,०००) से शुरू करके ८४,०००) तो पिछले साल का बेसिस था। इस साल ८४,०००)रु० से We are making a very big jump साढ़े दस लाख खर्च करेंगे सिर्फ एग्जीबिशन में। जब बजट में हम अलाँटमेंट करते हैं और बाद में सेंक्शन देते हैं तो यह जरूरी होता है कि there are other competing demands. एग्जीबिशन से जो बेनिफिट मिल रहा है whethere there are other demands of the society, हमारी और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि इस बात पर हम पैसे का बेटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिये मेरा सुझाव था कि एग्ज़ीबिशन एक पर्मानेन्ट फीचर हो गया है।

अब दूसरी बात यह है कि मैंने जो पर्मानेन्ट एग्जीबिशन का ज़िक्र किया है तो वह इस लिहाज से किया है कि जो इस दफा एग्जीबिशन चौगान में लगी है, मैं समझता हूँ कि इस चौगान को आयन्दा के लिये कम से कम पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड कन्वर्ट किया जा सकता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड नहीं होता है तो for each and every exhibition it is an established fact और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंन्ट की यह पॉलिसी बन गई है कि हर साल एक स्टेट लेवल की एग्जीबिशन जरूर होगी और हर साल स्टेट लेवल पर एग्जीबिशन करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि हर साल महीने भर के लिए एग्ज़ीबिशन करें ? उसके पहले जमीन को साफ़ करने में और फिर बाद में उसको डिसमेंटल करने में काफी खर्चा होगा। वहां पर चीजों को दिखाने के लिए पर्चेज किया जाय और फिर उसके डिस्पोजल में झगड़ा हो, यह सारी बातें मैं आगे बताऊंगा यानि, मेटीरियल के परचेंजेज में और उसके डिस्पोजल में after the exhibition is over

श्री रामकिशोर व्यास (सार्वजनिक संपर्क मंत्री): I am agreeable to your suggestion on

(श्री रामकिशोर व्यास)

this point. पर्मानेन्ट एग्जीविशन ग्राउन्ड के बारे में I am agreable to your suggestion.

(१ म० प०)

श्री पी० के० चौधरी : Thank you very much.

तो अब जो चौगान में एग्जीबिशन कान्स्ट्रक्चर रेज किया उसके बारे में मुझे यह स्ट्राइक हुआ है कि इसको पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड कायम कर दिया जाय। पिछली बार हमारा जितना वेस्टेज हुआ एग्जीबिशन ग्राउन्ड को प्रिपेयर करने में उसको डिस्मेन्टल करने में और दुबारा ११ महीनों बाद फिर नया बनाने में जितना एक्सपेन्डीचर होता है यह व्यर्थ जाता है। इस एग्जीबिशन के लिये २। लाख रुपयों का बजट है। उसका जो खर्चा है वह ग्राउन्ड प्रिपेयर करने के लिये, लेवलिंग करने के लिए और फेन्सिंग आदि करने के लिये जो खर्चा लगता है वह सारा खर्चा उसमें आता है। क्योंकि स्टॉल्स वगैरह सेल्फ मेन्टेनिंग हैं, उनके लिये गवर्नमेन्ट को खर्चा नहीं करना पड़ता है और जो भी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट रेज करती है एग्जीबिशन के अन्डर में चार्ज आयेगा वह डाइरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की तरफ से है।

पर्मानेन्ट एग्जीबिशन ग्राउन्ड रखने के लिए जो मैंने सजेशन दिया उसके पीछे दूसरा मेन आइडिया यह है कि एग्जीबिशन में विथ मिनिमम ऑफ एक्सपेन्डीचर मेग्जीम ऑफ एडवान्टेजेज किस तरह से मिल सकते हैं, यह देखना चाहिये न कि मेग्जीम ऑफ एक्सपेन्डीचर से मिनिमम ऑफ एडवान्टेजेज मिलें। गवर्नमेन्ट डिपार्टमेंट ने आज तक २७हजार का खर्च किया उसी पर्सनल को आज आप १०।।लाख रुपये खर्च कर सके, ऐसा ऑथराइज करते हैं? Same person has been authorised to spend so much money तो एफिशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिन्सिपल हैं Sudden jump for a particular standard should not be there and it should be avided इसलिये मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि इतना ज्यादा खर्चा इस पर हो रहा है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो वर्ल्ड एग्जीबिशन फेयर है उसका अंदाज पहले भी था और उसमें ४ लाख के नये आइटम्स रखे थे। इसके बारे में मेरा खयाल था जब बजट पेश हुआ था ४लाख, ५७ हजार का बजट प्रोविजन किया था, कि इतने रुपये से इस साल में काम हो सकता है। अब सरप्राइजिंग चीज हो जाती है जब कि गवर्नमेन्ट हमारे सामने आती है १०।। लाख रुपयों की डिमान्ड लेकर। यह अनप्रिसिडेन्टेड है। आज तक कभी ऐसा नहीं किया गया है। पिछली साल १५ हजार से ८४ हजार तक पहुंचा था और इस साल वही खर्चा १०।। लाख तक पहुंचे तो यह मुझे एलार्मिंग लगता है.......

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, There is no quorum in the House.

(गणपूरक घंटी)

श्री पी० के० चौधरी : अब जहां तक अकाउन्टिंग का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हर साल एग्जीबिशन होती है और हर साल एग्जीबिशन के लिये, आज तक किसी भी एग्जीबिशन के लिये फाइनेन्स से कोई पर्टि-

(श्री पी० के० चौधरी)

कुलर अमाउन्ट एस्टिमेंट होकर सेंक्शन नहीं हुआ। हमेशा डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को एक टोकन अमाउन्ट एडवान्स कर दिया जाता है १० हजार या १५ हजार रुपयों का और उन १५ हजार रुपयों को लेकर डाइरेक्टर अधिक से अधिक ३० हजार तक खर्च कर दिया करता है। पिछले साल ५८-५९ में ८० हजार रुपये खर्च हुए थे। उस समय भी १० हजार रुपये एडवान्स किये थे लेकिन खर्च करने की ऑथरिटी ८० हजार की रही। मैं समझता हूँ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को विदाउट सेंकशन ऑफ दि गवर्नमेंट इतनी वाइड पॉवर नहीं दी जाती है कि १० हजार की सेंक्शन पर एक लाख रुपया खर्च कर दे। राजस्थान एग्जीबिशन के लिए आज डिमान्ड आती है २लाख, १० हजार की लेकिन बजट में २७ हजार रुपये सेंक्शन किये थे। मेरे खयाल से गवर्नमेंट ने अभी तक इससे अधिक के लिये सेंक्शन नहीं दी है। They have not fixed any ceiling फिर भी हम इससे ज्यादा रुपये खर्च नहीं कर सकते। इस साल राजस्थान एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। हमने हमेशा पिछले सालों से यह नोट किया है कि सीलिंग फिक्स नहीं किया जाता है। He has to confine himself between the ceiling इससे ज्यादा खर्चा without Govt. senction he can not do, यह डाइरेक्टिव आज तक गवर्नमेंट ने डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को दिया नहीं है कि सीलिंग में ही खर्च करे। जिस साल १० हजार रुपये सेंक्शन किये उस साल ८४ हजार तक खर्चा पहुंचा और इस साल ५७ हजार सेंक्शन किया तो २। लाख रुपये तक पहुंचा और जहां ४॥ लाख रुपये थे वहां १०॥ लाख का बजट बनता है। मैं समझता हूँ कन्ट्रोल ऑन एक्सपेन्डीचर नहीं है। इस तरह से फ्लेक्सिबल बात रहेगी तो एक्सपेन्डीचर पर कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे और आज डेवेलप्ड इकोनोमी में हम एक्सपेन्डीचर काफी कर रहे हैं चारों तरफ से। हम उस पर कन्ट्रोल नहीं करते हैं Control of the Government on the expenditure, then we will come to gift some day. इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा और पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। वेरटेज ऑफ पब्लिक मनि होगी Worst will be out come.

मैंने कहा था कि मैं पर्मानेन्ट एग्जीबिशन क्यों चाहता हूँ ? पिछले साल ग्राउन्ड साफ करने आदि पर काफी खर्चा किया था और जो मेटीरियल पर्चेज किया था जैसे बम्बूज, कोरिगेटेड आयर्न शीट्स आदि आज तक उसका कोई स्टाक रजिस्टर मेन्टेन नहीं होता है और उसके बाद डाइरेक्टर को पूछेंगे कि जो सामान पर्चेज किया है did you dispose it of तो आपको पता चलेगा कि डिस्पोजल का कोई रजिस्टर नहीं है, इतने हजार बम्बूज और कोरिगेटेड शीट्स लिये थे How did you dispose it of...

श्री रामकिशोर व्यास : कोरीगेटेड शीट्स चोरी की गई थी।

श्री पी० के० चौधरी : दूसरा मेटीरियल भी तो आप लेते हैं। Whatever material is purchased but no stock register is maintained. डिस्पोजल का हिसाब नहीं रहता है नतीजा यह होता है Probably the same material is purchased and repurchased on each occassion.

(श्री पी० के० चौधरी)

आर्टिकल वे ही रह जाते हैं जो पर्चेज हो गये ५७-५८ में और जो डिस्पोज ऑफ हो गये उसका पता नहीं लगा। फिर ५८-५६ में पर्चेज किया, इससे doubt is created । शक यह होता है कि उसी सामान को फिर से यूज करते हैं लेकिन बता दिया जाता है कि फ्रेश मेटीरियल पर्चेज किया है । To avoid all this मेरा सुझाव था कि पर्मानेन्ट एग्जीबिशन होना चाहिये ।

दूसरी, अकाउन्ट के बारे में और भी बातें बताऊंगा । इसके टिकट बेचते हैं उसका भी प्रोपर अकाउन्टिंग नहीं है । जो बुकिंग ऑफिस के लोग हैं वे बता देंगे कि इतने रुपयों के टिकट बेचे गये उसको मान लिया जाता है । हालांकि अरण्ड फाइनेन्शियल रूल्स इसका तरीका है कि किताब के जो टिकट बिकते हैं उनका हिसाब काउन्टर पर ही अकाउन्टेन्ट को दिया जाता है और वह उसको चेक करता है फिर माना जाता है कि कुल किताब में से इतने टिकट बेचे और इतने रह गये । काउन्टर पर से ही प्रोपर अकाउन्टिंग उसका होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दो किताबें हैं अलवर एग्जीबिशन की १०२ नम्बर की किताब है १० नये पैसे की और ६६ नंबर की किताब है १० नये पैसे की । इनकी काउन्टर फाइल मेरे पास है । Amount has been verified without counter foil लेकिन काउन्टर फॉइल के बिना अमाउन्ट को कैसे वेरिफाई किया ?

अब टिकट बेचे गये । What is the guarantee ? काउन्टर फॉइल मेरे पास है । इस पैसे का अकाउन्ट दिया या नहीं, यह किसी को मालूम नहीं होगा........

श्री रामकिशोर व्यास : I think reply has been given on this point.

श्री पी० के० चौधरी : You have admitted that.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the same issue which was raised last time ?

श्री पी. के. चौधरी : No sir. It was on a question that I referred. तो यह अकाउन्ट का सिस्टम है । उपाध्यक्ष महोदय, these are the counterfoils with me. यह साफ जाहिर करता है कि अकाउन्टिंग कितना डिफेक्टिव है । जो टिकट बेचे जाते हैं, उनकी काउन्टर फॉइल रहती नहीं है । और अकाउन्ट फार कर देते हैं । मैं समझता हूं फन्डामेन्टली this is wrong. आप उसको चेक करके देखेंगे, तो काउन्टर फॉइल आपको इधर उधर मिलेगी पड़ी हुई । तो क्या वह अकाउन्ट, 'अकाउन्ट फार हो गया है, यह पता नहीं है । जो टिकट बेचे गये उसका पैसा अकाउन्ट फार नहीं हुआ, This is an indication. यह इन्स्टान्स साफ जाहिर करता है कि किस ढंग की यहां पर अकाउन्टिंग में गड़बड़ी चलती है । फिर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा इन्स्टान्स दूं, वह है एक्सपेन्डीचर का एग्जीबिशन के नाम पर कैसे खर्च होता है । एक दफा एक इन्क्वायरी की गई । उसमें बताया गया कि एक मेले में जा रहा है पब्लिसिटी वान । वह मेला में जाता है......

श्री उपाध्यक्ष : महिला में....

श्री पी. के. चौधरी : मेला, फेअर में, उपाध्यक्ष महोदय, आर. जे. ए. ६७३, पब्लिसिटी वान है। पिछली १३ जुलाई को भरतपुर के पी. आर. ओ. को टेलीफोन करके बुलाया, आर. जे. ए. ६७३ को लेकर जयपुर बुलाया। जयपुर आने पर उसको इन्स्ट्रक्शन दिया गया। ऐसा मुझे बताया गया, धौलपुर में एक फेअर हो रहा है उसमें पहुंच जाओ। वह हो रहा था १६, १७ जुलाई, १९५९। आप वहां पहुंच जाओ। वह वान यहां से रवाना होता है १५-७-५९ को। वह आगरा होता हुआ धौलपुर जाता है, ऐसा कहां जाता है। उसका माइलोमीटर, मुझे मालूम पड़ा, उसके भेजने के पहले निकाल दिया गया। मैंने होम सेक्रेटरी से कहा- Either you accept my statement as correct ? इमीजियेटली एक ट्रंक काल बुक करके भरतपुर से वेरीफाई कीजिये whether the milimeter is there or not ? उन्होंने एक्सेप्ट किया कि माइलोमीटर निकाल दिया गया है क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। बियोन्ड उसके आज यहां पर उससे आगे कोई एक्शन नहीं हुआ अब उसको क्यों बुलाया गया था, क्या हुआ ? था, यह मैं सदन में बताना नहीं चाहता। I know the details. अगर उसको भरतपुर से बुलवाने के बाद धौलपुर भेजना था, तो जयपुर नहीं बुलाया जाता। वह जयपुर से आगरा गया माइलोमीटर को छोड़ करना, आगरा से फिर जाय धौलपुर। अब मैंने यह इन्क्वायरी की कि धौलपुर में कोई फेअर था या नहीं.......

श्री रामकिशोर व्यास : There is no other route except via Agra.

श्री पी. के. चौधरी : But from Bharatpur they could have gone. भरतपुर से जयपुर आने की कोई जरूरत नहीं....

श्री रामकिशोर व्यास : Some instructions might have been given.

श्री पी. के. चौधरी : वह मुझे मालूम है। भरतपुर टेलीफोन करके उसे जयपुर बुलाया धौलपुर भेजने के लिये। तो उसको धौलपुर सीधे भेज सकते थे। माइलोमीटर खराब हो जाता है, दो दिन ठहर कर भी वह बिना उसके जाता है........

श्री शंकरलाल : माइलोमीटर ठीक कब हुआ ?

श्री पी० के० चौधरी : पता नहीं उसको रिप्लेस किया या नहीं। यह एक इन्स्टान्स है, कि किस तरह फंक्शनिंग होता है फेअर के नाम पर, एग्जीबिशन के नाम पर। प्रोपर अकाउन्ट्स नहीं रखते। इसलिए मैं यह कटमोशन लाया था, इस चीज को कहने के लिए कि जो एक्सपेन्डीचर है उसका अकाउन्ट्स नहीं है। जैसा मेरे पहले बोलने-वाले माननीय सदस्य ने पॉइन्ट आउट किया है कि एक्सपेन्डीचर का अभी तक अकाउन्टिंग नहीं किया गया... ....

श्री उपाध्यक्ष : This will do for the present.

श्री पी० के० चौधरी : This will do for the present Sir, but yes एक बात और रह गई है। यह जो जयपुर एग्जीबिशन है, जो अब चल रही है उसको देखने के लिए मैं गया था। इस एग्जीबिशन को सब लोग अच्छा कहते हैं लेकिन मुझे इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी। मैं कई स्टाल में गया। मैं इर्रिगेशन की स्टाल में गया, वहां राजस्थान की

Page No.55

(श्री पी० के० चौधरी)

नक्शा लगाया गया है, उसके अन्दर इलेक्ट्रिक इन्डीकेटर है कि कहां कहां इर्रिगेशन हुआ । How much has been irrigated during the first Five Year Plan, how much has been irrigated during the 2nd Plan उस नक्शे के नीचे लिखा गया है । वहां लाइट का अरेन्जमेंट ऐसा है जिससे समझ में नहीं आता कि फर्स्ट प्लान में कितना इर्रिगेटेड हुआ, सेकिंड प्लान में कितना इर्रिगेटेड हुआ और....

श्री उपाध्यक्ष : But how are we concerned with the details exhibited in the exhibition ?

श्री पी० के० चौधरी : There may be something in so many items...

श्री रामकिशोर व्यास : Thy are the exhibits of different departments.

श्री पी० के० चौधरी : I am saying this thing because उस एग्जीबिशन के लिए हम सेंक्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम चाहते हैं कि जो एग्जीबिशन होती है उससे पर्पज सर्व हो । मैंने एक इन्स्टान्स देकर इर्रिगेशन के स्टाल के लिए बताया । इसलिए बताया t gives an indication that... हमने इतना पैसा खर्च किया...

श्री रामकिशोर व्यास : लाइट ठीक नहीं थी ?

श्री पी० के० चौधरी : जो मेप टांग रखा है वहां इन्डीकेटर में लिख रहा है- First year- before plan-this much, During first p an-this much...

श्री उपाध्यक्ष : We will do well if we bring this into the notice of the Hon'ble Minister in his Chamber.

श्री पी० के चौधरी : I am only saying the points Sir, लेकिन वह पॉपुलराइज नहीं होता । मैं एक इन्स्टान्स और दूँगा । उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा ...

श्री रामकिशोर व्यास : Let it also come.

श्री पी० के० चौधरी : मैं जेल डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन को देखने गया । उपाध्यक्ष महोदय, वहां सारी एग्जीबिट्स में सबसे पहले यह नजर आता है कि कनविक्ट्स को फार ब्रीकिंग जेल डिसीप्लेन कैसे पेनल्टी दी जाती है । एक कनविक्ट को ऐसे (दोनों हाथ उठा कर संकेत करते हुए) टांग रखा है on a triangular wooden stand and one...

श्री उपाध्यक्ष : I think it may be a difference between the past and the present.

श्री पी० के चौधरी : No indication of past and present Sir. This is general.

श्री रामकिशोर व्यास : History has been traced from the beginning.

श्री उपाध्यक्ष : This may be the previous procedure.

श्री पी० के० चौधरी : All these penalties are shown and this beating is there, putting them into wooden

(श्री पी० के० चौधरी)

arms is there. Exhibition is not meant for exhibiting these things. अल्टीमेटली यह जो १० लाख रुपया सैंक्शन करते हैं एग्जीबिशन के लिए, यह डिस्प्ले करने के लिए नहीं है inside the Jail was penalty imposed on the prisoners. यह डिस्प्ले करने के लिए नहीं है....

श्री रामकिशोर व्यास : जरूरी है।

श्री पी० के० चौधरी : Not necessary.

श्री उपाध्यक्ष : This is a mino difference.

श्री शंकरलाल : लोगों को बताने के लिए कि कैसे सजा दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : No.Have valuable information from Shri P. K. Chaudhary rather to discuss on these minor details.

श्री पी० के० चौधरी : एग्जीबिशन करने का हमारा पर्पज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, हम मान लेते हैं कि एग्जीबिशन होनी चाहिए Whether the items and articles which are displayed there whether they serve a particular purpose or not...

जैसा एक कट मोशन मेरे पहले एक माननीय सदस्य ने रखा था, नागोर का जो खर्चा हुआ है, उसके सम्बन्ध में। मैं उसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन आज जो क्वेश्चन था, उसके आन्सर में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके सम्बन्ध में जरूर कहना चाहता हूँ। मेरी यह डेफीनेट इन्फार्मेशन है, आपने एक्सेप्ट किया है कि लाइट के बाल्ब के लिए आपने २६ हजार रुपये किराये के दिये हैं जब कि आधे पैसे से इतने बल्ब–With less amount you could have purchase amore than that... इस तरह तो एग्जीबिशन में इस तरह खर्च करते हैं और मैं देखता हूँ not discreetly they spend. They spend like spend thrift. आज एग्जीबिशन में पैसा खर्च करते हैं; They are spending like a spend thirft without maintaining proper accounts, without maintaining proper stock registers.

तो इसलिए मैंने जो यह कट मोशन रखा है कि प्रोपर अकाउन्ट्स रहने चाहिएं और स्टेट लेवल का पर्मानेन्ट एक्जीबिशन ग्राउन्ड रखा जाय, जिससे हर साल दो लाख, सवा दो लाख रुपया खर्च नहीं करना पड़े। इसको करने के लिए मैंने कट मोशन मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी कट मोशन है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : It has been circulated to all the Members.

श्री रामकिशोर व्यास : बोल लें, उसमें क्या है ?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ही बोलेंगे।

श्री शंकरलाल : बिल्कुल संक्षेप में। मैंने इस डिमान्ड में एक कट मोशन रखा है That the demand no. 62, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the inadequate grant-in-aid to Panchayat Samitis for shadow Blocks). उपाध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ पंचायत समितियां राजस्थान में बनी और जिनकी संख्या २३२ है। उनके अन्दर १०१ पंचायत समितियां शेडो ब्लॉकस की हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में जिस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई। उसमें साधन समान रूप से नहीं मिल सके। हमें मानना पड़ेगा कि अर्थ के साधन के कारण हम विकास का रिजल्ट उस प्रकार का नहीं ला सकेंगे जिस प्रकार के लाने की हम अपेक्षा करते थे।

जहां विकास खण्ड नहीं है वहां पर शेडो ब्लॉकस की व्यवस्था रखी गई है। अगर शेडो ब्लॉक की व्यवस्था करें या किसी प्रकार के ब्लॉक्स की व्यवस्था करें जब शेडो ब्लाकस रख देते हैं तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि जितनी स्कीम्स शेडो ब्लॉक्स को दी जाय। उन स्कीम्स को कार्यान्वित करें। और उन स्कीम्स को कार्यान्वित करने के लिये उन शेडो ब्लॉक्स को उसी प्रकार के साधन दें। इस डिमान्ड में ५०,००० रू० की धनराशि ग्रान्ट-इन-एड एक शेडो ब्लाक के लिये रखी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह काफी नहीं है। इसके उदाहरण के लिये कहना चाहूंगा कि पाली जिले में ३ शेडो ब्लॉक्स हैं, दूसरे ५ ब्लॉक्स हैं इनको यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि शेडो ब्लाक्स नाम मात्र खोले गये हैं। वहां किसी भी प्रकार के साधन नहीं हैं, न वहां स्टाफ है, न बी. डी. ओ. हैं और न जीप का ही साधन है। तो या तो शेडो ब्लॉक्स का नाम बिल्कुल हटा दीजिये या फिर जिस तरह दूसरे ब्लॉक्स को साधन देते हैं उसी तरह के साधन इनको भी दीजिये। स्कीम्स वही की वही रखते हैं और वही का वही टार्गेट रखते हैं, फिर साधन सीमित रखते हैं तो जिस प्रकार का विकास हम चाहते हैं वह नहीं हो सकता। इसलिये मैं संक्षेप में कहूंगा कि शेडो ब्लॉक्स में ग्रान्ट देना वैसे ही बढ़ाना चाहिये जिस प्रकार कि दूसरे ब्लॉक्स में है, जिस प्रकार के साधन दूसरे ब्लॉक्स में हैं उसी प्रकार के साधन इन शेडो ब्लॉक्स में भी हों ताकि ये विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें। यही मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : सपोर्ट में बोलना चाहते हैं ? किसी दूसरे मसले पर बोलते तो अच्छा रहता।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को जो लैंड रेवेन्यू का हिस्सा दिया है उसके सम्बंध में मुझे कुछ कहना है। जिस समय यह बिल पास हुआ था उस समय भी इस सदन में यह कहा था कि पंचायत समितियां को ज्यादा से ज्यादा सहायता सरकार की ओर से दी जाय और वह सहायता अगर लैंड रेवेन्यू का पूरा का पूरा हिस्सा पंचायत समितियों को दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका काम अच्छी तरह से चल सकेगा और वे विकास के कार्य अच्छी तरह से चल सकेंगी यदि यह नहीं देते हैं तो उनको और टैक्स लगाने पड़ेंगे। आज कल जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा हर साल राजस्थान सरकार की ओर से कुछ न कुछ नया टैक्स जनता पर लगाया जाता है और वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी नये टैक्स लगा देती है, तो हमें सोचना है कि आखिर कब तक इस तरह के नये टैक्स जनता पर लगाते जायेंगे। यदि पंचायत समिति जनता पर टैक्स नहीं लगाती है तो वह निर्माण सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकेंगी और इस तरह से डीसेंट्रलाइजेशन की स्कीम सफल नहीं हो सकेगी।

इसलिये जरूरी है कि निर्माण के कार्यों को चलाने के लिये पैसा इकट्टा किया जाय। जनता पर टैक्स इम्पोज किये बगैर निर्माण सम्बन्धी कार्य नहीं हो सकते; तो या तो टैक्स लगाना छोड़ दें या फिर निर्माण सम्बन्धी कार्य करना छोड़ दें। इसके बारे में मेरे दो सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि आज दिन सरकार इन पंचायत समितियों को लैंड रेवेन्यू का पूरा का पूरा हिस्सा दे दे और जिन लोगों के पास पैसा है और जो साधन-सम्पन्न हैं उन्हीं लोगों से पैसा ले।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो टैक्स वसूल किये जाते हैं, जनता की गाढी कमाई के पैसे लेते हैं टैक्स के रूप में उनका अपव्यय नहीं हो। आज दिन यह स्थिति नहीं है कि पूरा का पूरा अपव्यय होता हो पर फिर भी पूरा का पूरा पैसा ठीक काम में आये, ऐसी स्थिति भी आज नहीं है। तो इसलिये यह बहुत जरूरी है कि जो पैसा टैक्सेज के रूप में जनता से वसूल करते हैं उसका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कई जागीरदार, राजा-महाराजा थे तो जनता जो विकास के कार्य करती थी उनमें सरकार की ओर से खूब सहायता मिलती थी। आज भी हमने वही परिपाटी डाल रखी है और इससे अच्छे काम जरूर हुए हैं पर इस परिपाटी के कारण जनता की मनोवृत्तियां खराब हुई हैं। हर व्यक्ति हर काम के लिए सरकार की ओर देखता है, सरकार का मुंह ताकता रहता है अगर इस प्रकार की जनता की भावना रही तो टैक्स लगते जायेंगे और इसका फल यह होगा कि जनता का, गरीब लोगों का दिवाला निकल जायगा और एक दिन यह आयेगा कि जनता पैसा बिल्कुल देगी नहीं और जब जनता पैसा नही देगी तो निर्माण सम्बन्धी कार्य भी एक दम बन्द हो जायेंगे।

आज हमें इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देनी चाहिये कि हर आदमी हर गांव को अपना गांव समझे, हर तहसील को अपनी तहसील समझे और मेहनत-मजदूरी से काम करे। यदि हम यह भावना पैदा नहीं करेंगे तो निर्माण सम्बन्धी कार्य कभी पूरे नहीं होंगे।

पंचायत समितियों को २५ नये पैसे (Par)व्यक्ति सहायता दी है, यह काफी नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल)

इससे और टैक्स लगाना पड़ेगा और इस प्रकार पंचायत समितियों के प्रति जनता का विश्वास हट जायगा। इसलिये पूरी को पूरी लैंड रेवेन्यू पंचायत समितियों को दे देनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करताहूँ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माननीय उपाध्यक्ष, इस डिमान्ड में कुछ कट मोशन्स पब्लिसिटी से सम्बन्धित थे, उनके सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष कुछ निवेदन करूंगा। सबसे पहले एक सवाल नीति का है, और वह सवाल सदन में उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना उचित समझूंगा। वह सवाल यह उठाया गया है कि इस समय की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए एग्जीबिशन्स करना मुनासिब है कि नहीं। अगर एग्जीबिशन्स की जाय तो जो रुपया खर्च किया जाता है उतना खर्च नहीं किया जाकर साधारण रूप से खर्च किया जाना चाहिये। जैसे कि वर्ल्ड (world) फेग्रर एग्जीबिशन के लिये यह ६ लाख की डिमान्ड रखी गई है, इतना खर्चा नहीं करके एक लाख में ही कर लेना चाहिये।

मैं सदन को निवेदन करूं कि इस बारे में दो राय नहीं हैं कि एग्जीबिशन्स बहुत ही उपयोगी साधन है। जनता को हर तरह का ज्ञान कराने के लिये और यह बताने के लिये कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से विकास हो रहा है। वैसे इन बातों का प्रचार लिखित रूप से, पुस्तकों से किया जा सकता है पर एग्जीबिशन्स के जरिये यह काम अच्छी तरह से और आसानी से किया जा सकता है। जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं वे भी इनसे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और एग्जीबिशन्स को देख कर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कहां क्या हो रहा है, कहां किस प्रकार की प्रगति हो रही है, कहां किस प्रकार का विकास हो रहा है। तो इसकी उपयोगिता के बारे में यह राय देना कि नहीं करनी चाहिये, यह बहुत कम लोगों की राय होगी।

अब इस पर मतभेद हो सकता है कि रुपया कितना खर्च करना चाहिये, कितना नहीं खर्च करना चाहिये। यह बात ठीक है कि किफायतसारी से चलना चाहिये पर कहीं छोटी सी रकम को किफायतसारी माना जा सकता है, कहीं उससे भी कम रकम को किफा-यतसारी माना जा सकता है और तीसरी जगह उससे भी छोटी रकम को, कम रकम को किफायतसारी माना जा सकता है। तहसील लेवल पर कोई काम किया जायगा तो वहां छोटी रकम खर्च होगी, जिला लेवल पर वही काम किया जायगा तो वहां इससे ज्यादा रकम खर्च होगी, वही काम स्टेट लेवल पर होगा तो उससे भी ज्यादा खर्चा आयेगा और यदि आल इन्डिया लेवल पर करते हैं तो और भी उससे अधिक खर्चा आयेगा और यदि उसी काम को वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो उससे कहीं अधिक खर्चा होगा।

तो ६ लाख रुपया इस डिमान्ड में मांगा गया है, ४ लाख का प्रोविजन पहले था,- ६ लाख और मांगे हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन देहली में हो रही है, उसके लिये ६ लाख मांगा है, इस पृष्ठभूमि में देखेंगे तो यह ज्यादा नहीं है। बहुत से विदेशियों

(श्री रामकिशोर व्यास)

ने मंडप लगाये हैं, उनकी बात छोड़ दीजिये, उनकी तो कहीं तुलना ही नहीं करते हैं। भारत के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान के बारे में कहा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे कम किया है। दूसरे प्रान्त हैं उन्होंने हमसे १॥, दुगुना खर्च सैंक्शन किया है। अगर हम वहां पर ५० हजार की सैंक्शन की एग्जीबिशन लगाते हैं तो या तो एग्जीबिशन लगाना नहीं चाहिये और लगाते हैं तो वह परिस्थितियों के अनुकूल ही लगाना होगा। जिससे राजस्थान की बात अच्छी मालूम हो और जो प्रदर्शनी हो उसमें राजस्थान की कमी मालूम न हो। इसलिए ६ लाख भेजे हैं कोई ज्यादा नहीं हैं।

और बातें जो कट मोशन में आई हैं उनमें मुख्य तीन बातें आई हैं। एक तो यह कि हिसाब देरी से पेश किया जाता है, दूसरी यह की पेश नहीं किया जाता और किया जाता है वह गलत है और तीसरा यह कि स्थाई एग्जीबिशन होना चाहिये। मैं एक एक पॉइन्ट पर कहूँगा। पहला यह कहा जाता। है कि हिसाब देरी से या नहीं पेश किया जाता। इससे पहले कि इसके बारे में मैं आपको कुछ कहूँ मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि पहले एग्जीबिशन साधारण होती थी। लेकिन आज दो तीन वर्षों में जब से विकास का कार्यक्रम बढ़ा है तो एग्जीबिशन्स की संख्या भी बढ़ने लगी है। सन् १९५६ में एक, सन् १९५७ में ५ एग्जीबिशन हुए, ५८ में दो और सन् ५९ में करीब ७ या ८ होने का अनुमान है। इससे आप अनुमान लगावें कि जिस प्रकार प्लान का काम बढ़ता जाता है उसी प्रकार प्रदर्शनियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस तरह से इसके खर्च के लिये १० लाख रुपया रखा है। हर साल हम पंच-वर्षीय योजना में २३-२४ करोड़ रुपया खर्च करते हैं उसमें से अगर १० लाख रुपया एग्जीबिशन में खर्च करें तो उनकी इम्पोर्टेन्स को देखते हुए ज्यादा नहीं है। मैं आपसे यह कह रहा था कि यह धीरे धीरे बढा है और और इसके लिये पहले अलग से स्टाफ नहीं रखा गया था। अब तक जो स्टाफ था वही स्टाफ जिस समय एग्जीबिशन होता उसमें भेज दिये जाते और जब एग्जीबिशन समाप्त होती तो अपनी नोरमल ड्यूटीज के अलावा वे इसका हिसाब तैयार करते और इसलिये इसमें देर होती थी। न इसमें अलग से अकाउन्टेन्ट था। लेकिन जब एग्जीबिशन्स की तादाद बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया। इसमें कोई अकाउन्ट्स ऑफिसर नहीं था। हमने बजट में अकाउन्ट्स ऑफिसर और अकाउन्टेन्ट भेजा। हमने एग्जीबिशन के लिए सेपरेट स्टाफ के लिये रिकमन्डेशन किया ताकि हिसाब-किताब में देरी न लगे। उनका यह कहना यहां तक ठीक है कि हिसाब को पेश होने में देरी होती है। इसका कारण मैंने आपको बताया कि वर्तमान स्टाफ से ही इसका भी काम लिया जाता है। उनके पास इसके लिए कोई नया स्टाफ नहीं था इसलिए देरी होती। वे लोग एक्स्ट्रा ऑवर्स में काम करते थे। इसलिए अब सेपरेट स्टाफ के लिये मूव किया गया है और सेपरेट स्टाफ की मंजूरी होने के बाद कागज ज्यादा अच्छी तरह से संपन्न हो सकेंगे।

अब रहा यह कि अकॉउन्ट करेक्ट पेश होता है या नहीं। मैं यह कहूँगा कि यह कहना गलत है कि हिसाब सही पेश नहीं होता है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

जिनकी यह फीलिंग हैं वे इस बात को मेरे नोटिस में लावें उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जावेगी। इसमें किसी को मदद करने या शिकायत करने का प्रश्न नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हमारे नोटिस में इस प्रकार की बात लावेगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। इसमें कोई सफाई की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारे यहां पर दो बार ऑडिट होता है। हर एग्जीबिशन का दो बार ऑडिट होता है। एक तो हमारे यहां से होता है और दूसरा ए.जी. की तरफ से होता है। इसलिये जितना खर्चा होता है उस सारे खर्चे का डबल ऑडिट होता है। इसलिए यह कहना कि सही अकाउन्ट पेश नहीं होता, यह गलत है। हमारे यहां डबल ऑडिट होता, है इसलिये गलती की बात नहीं रहती।

अब यह कहा जाता है कि अब तक किसी का हिसाब तैयार नहीं हुआ यह बात नहीं है। यह कहा जाता है कि सन् १९५६ का हिसाब १९५९ में पेश किया जाता है यह बात सही नहीं है। सन् १९५६ के एग्जीबिशन का हिसाब १९५७ में दे दिया गया था और ५७ में ५ एग्जीबिशन हुए उसका हिसाब सब का दे दिया इसलिये यह कहना कि हिसाब नहीं दिया यह उचित नहीं है। ५६ का हिसाब ५७ में दिया गया। सन् १९५७ में हुआ उनका हिसाब ५८ में। सन् १९५८ में हुई उसका एक का हिसाब बाकी है। १९५९ में एक का हिसाब दे दिया और बाकी अब चल रही है। इसलिए यह कहना कि प्रदर्शनियों का हिसाब नहीं दिया गया है यह उचित नहीं है। ५८ में एक का हिसाब बाकी है। बाकी सब का हिसाब आ चुका है।

एक बात यह भी कही गई है कि हिसाब-किताब के बारे में गलती नोटिस में लाई जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। १५,०० रु० के बारे में कहा गया कि बेजाब्तगी हुई है। अकाउन्ट्स सारा गलत है। कहा जाता है कि हमने बताया मगर फिर भी हिसाब में गड़बड़ी होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कार्यवाही जरूर होती है अगर बात ठीक हो। १५०० रु० की बात चार दफे सदन में आ चुकी है और यह आडिट-में चैक हो चुका है। डी. पी. आर. के दफतर में ऐसी प्रेक्टिस थी कि वहां के ऑफिसर जिस समय बाहर जाते उनको एडवान्स दिया जाता था क्योंकि वे अपने साथ कुछ सामान भी ले जाते थे। जब आफिसर बाहर जाते उन ऑफिसरों को कुछ रुपया दिया जाता था एडवान्स के तौर पर और वापिस आने पर उनसे लिया जाता है। यह सेपरेट अकाउन्ट में सारा लिखा है कि कितना रुपया किसको दिया गया। इसके लिये यह कहना कि गबन हो गया यह मेरी समझ में नहीं आता। यह ठीक है कि सेपरेट अकाउन्ट का रजिस्टर नहीं रहना चाहिये, यहां तक उनका कहना ठीक है। लेकिन जिस समय ऑफिस के लोग बाहर जाते हैं तो उनको पैसे दिये जाते हैं। यह प्रेक्टिस हमने स्टॉप कर दी। यह तो मैं सदन में कई दफे जवाब दे चुका हूं और ओपिनली कह देना चाहता हूं कि अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत हो वह अब भी लिख कर दे दें। मुझे नहीं तो गृह सचिव को या मेरे पास, जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी इसमें जरा भी संदेह की जरूरत नहीं है।

श्री पं० कं० चौधरी : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी आपको कहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जब शिकायत करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता और जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो शिकायत नहीं करें और अगर शिकायत नहीं करते हैं बगैर शिकायत किये रहा भी नहीं जाता। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई वाजिब शिकायत हो जरूर करें। वाजिब शिकायत होगी तो उस पर जरूर कार्यवाही की जावेगी। आपके पास जो लोग आते हैं और जो सज्जन आप को तकलीफ देते हैं और जो तकलीफ आपको यहां पर करनी पड़ती है उसके लिये आप पहले वेरिफाई कर लें तो उचित होगा क्योंकि हो सकता है कि कोई ईर्षा द्वेष के कारण यह कह सकते हैं या कोई हैड आफ दी डिपार्टमेंट से नाराज होकर आपको सूचना दे सकते हैं। अगर आप उसको वेरिफाई कर लें तो अच्छा होगा। यह भी वेरिफाई कर लें कि कोई नाराजगी की वजह से तो यह सूचना आपको नहीं दे रहा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नाराजगी के कारण से कोई नहीं देता है।

श्री रामकिशोर व्यास : जितने देते हैं वे नाराजगी से ही देते हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री की नाराजगी या सदस्य की नाराजगी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके पास जो बातें आती हैं वे एक तरफ की आती हैं। मुझे दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। इसलिये जस्टिस तभी होता है जब दोनों को सुन लेते हैं। इसमें किसी की जरूरियात का सवाल नहीं है। सदन में जो वक्ताओं ने बातें बताई-हमने कार्यवाही की है। ५, ७ बातें जुबली ब्लॉक की थीं-Enquiry is being conducted हमने इन्क्वायरी कराई। हमने इन्क्वायरी की है। वाजिब बात पर एक्शन होगा। इसके अलावा डी० पी० आर० के खिलाफ हमने कार्यवाही की है। जो करने लायक काम हुआ है हमने किया है।

इसके अलावा एक बात और है एग्जीबिशन के अकाउन्ट्स के बारे में। हमारे डिपार्टमेन्ट ने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कह कर स्पेशियली ऑर्डर देकर ऑडिट कराया है। मैं समझता हूं कि इसके बाद यह शंका माननीय सदस्यों की दूर हो जानी चाहिये कि जो कुछ आप फर्माते हैं उस पर कार्यवाही नहीं होती है। अयन्दा भी जो कुछ आप बतावेंगे उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। मैं मानता हूं कि सही बात हो तो उससे सुधार अवश्य होता है। लेकिन बात यह भी है और उसमें फर्क कुछ पड़ जाता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वह सेन्ट पर्सेन्ट सही हो यह नहीं माना जा सकता, जो कोई भी आपको यह बात बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है तो अपनी ओर से कुछ नमक-मिर्च लगाकर ही देता है। इसके बावजूद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी सही बात होगी और जो कुछ भी एक्शन सही बात पर लिया जाना चाहिये वह लिया जायगा और लिया गया भी है।

एक सवाल यह आया कि एग्जीबिशन्स का खर्चा बढ़ा है। मुझे इसको मानने में कोई एतराज नहीं, वाकई कुछ खर्चा बढा है।

श्री पी० के० चौधरी : बजट से फिगर्स दे दें।

Page No.63

श्री रामकिशोर व्यास : आपने कलेक्टिव एग्जीबिशन के लिये कहा है । हरएक एग्जीबिशन के लिये थोड़े उसमें मिलेगा । मैं इन्डीविजुअल के लिये यह बात कह रहा हूं । पर्टिकुलर एग्जीबिशन के लिये ज्यादा खर्चा न हो उसके लिये अर्ज कर रहा हूं । इसमें दो कारण हैं । गत दो ढाई साल में कुछ एग्जीबिशन्स पर खर्चा बढ़ा है । इसका कारण यह है कि हमें करेक्ट एस्टीमेट्स का अनुभव पहले नहीं था । जैसे जैसे एग्जीबिशन्स करते जावेंगे उनका लाभ हमको मिलता जावेगा, जो अनुभव होगा आगे के लिये उसके अनुसार हम करेक्ट करेंगे । कुछ बातें फोरसीन नहीं हो सकती हैं और कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं जिनको एन्टोसिपेट नहीं किया जा सकता है, इसी कारण भी कुछ खर्चा बढ़ ही जाता है । ज्यों ज्यों अनुभव होता जाता है, त्यों त्यों हम इसमें सुधार करते जाते हैं । कुछ नये काम आ सकते हैं, कुछ अन् फोरसीन खर्चा आ जाने से खर्चा बढ़ सकता है और सही दृष्टि से यदि वह खर्चा एक्सीड हुआ है तो वह मुनासिब भी समझा जा सकता है । यदि गैरवाजिब खर्चा हुआ है तो वह गलत है । जो गलत प्रकार से खर्च होता है तो उसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । आगे दिन ब दिन करेक्ट एस्टीमेट्स होते जावेंगे ऐसा मेरा अन्दाज़ है ।

एक बात यह बताई कि २७ हजार से दस लाख आ गये । यह बात आपका फर्माना सही है । लेकिन इसमें थोड़ी समझने की बात है । पहले जो एग्जीबिशन होती थी वह डी० पी० आर० की ओर से न होकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओर से होती थी, उनके लिए सेपरेट अपने अपने डिपार्टमेंट के बजट में प्रोविजन रहता था । लेकिन गये साल से सबको मिला कर चार लाख का प्रोविजन किया गया । सारी एग्जीबिशन का कार्य अब डी० पी० आर० के यहां से होता है । पहले अलग अलग मद में खर्च होता था अब वह एक मद में खर्च होता है । यदि आप पहले के फीगर्स को कलेक्ट करेंगे तो मेरा खयाल है कि अधिक फीगर्स आवेंगे । वे डिवाइडेड थे इसलिए इतने नहीं मालूम होते थे, अब सब एक जगह हो गये इसलिये अधिक मालूम होते हैं । इसमें भी कोई शंका नहीं है कि पहले से अधिक एक्टीविटीज़ बढ़ी हैं और इसमें खर्चा भी बढ़ा है । और जैसे जैसे हमारे प्लान बढ़ेंगे उसी प्रकार इस ओर कुछ खर्चा भी विशेष बढेगा । हम इसमें कामयाब भी हुए हैं । कुछ बदकिस्मती है कि पब्लिसिटी वालों ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किये उनका राजस्थान में जितना एप्रिशियेशन होना चाहिये उतना नहीं हैं । बाहर काफी इसके लिए एप्रिशियेशन है । ड्यू रिकॉग्निशन भी उनको मिला है । इन्दौर में फर्स्ट प्राइज़ मिली है, बोम्बे एग्जीबिशन हुई उसमें अच्छा रहा । मैसूर में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और यू० पी० के बाद तीसरा नम्बर राजस्थान का माना गया । राजस्थान को रजत पदक भी मिले हैं । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने मैडल भी दिया । एग्जीबिशन अपन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अच्छे तरीके भी हो सकते हैं और कुछ गलती भी हो सकती है, मैं यह नहीं कहता कि कहीं गलती होती ही नहीं है । गलती हो जाती है । जैसे बताया गया कि एग्जीबिशन जयपुर में चल रही है उसमें जेल के ऐसे आदमी रखे हैं । मैं आपको बताऊं यदि आप इस एग्जीबिशन को पूरी तरह से और इस चीज़ को पूरी तरह से देखते तो मालूम हो सकता था कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसमें यह बात देखने के लिए रखी गई है कि पुराने जमाने में किस प्रकार से कैसी सजा दी जाती थी और मौजूदा जमाने में कैसे सजा दी जाती है। आपने उसको पूरी तरह से देखा होगा तो मालूम हो सकेगा कि उसमें पूरी तरह से पुरानी सजा के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से पहले कोड़े में दिया जाता था और किस तरह से फांसी पर दिया जाता था और फिर मोडर्न जेल कैसी होती है यह बताया गया। पास्ट और प्रजेन्ट जेलों में क्या फर्क है उनको बताने में, मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं। रोशनी के लिए ठीक इन्तजाम रखेंगे। इसमें पब्लिसिटी वालों का दोष नहीं है। अलग अलग स्टाल वाले लगाते हैं। जो आपने सुझाव दिये हैं उनके लिए प्रयत्न करेंगे।

एक बात कल बहुत जोरों से कही गई और उसी के लिए मैं कह रहा था कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है वह एक पक्षीय आती है और प्रिजुडिस्ड सी। कल बड़े जोर से डाइरेक्टर, गृह मंत्री, गृह सचिव आदि के लिए कहा गया। कहा गया कि एक अखबार है दैनिक नवयुग उसको इम्पोर्ट लाइसेन्स न्यूज प्रिन्ट का दे दिया। होम डिपार्टमेन्ट ने दिया, पब्लिसिटी वालों ने दे दिया ब्लेक मार्केट हो रहा है। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि जो कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाय उसका पहले वेरिफिकेशन हो जाया करे तो अच्छा है बनिस्बत इसके कि बड़े जोरों से उसको यहां सदन में इस प्रकार लाया जाय कि मानों आप कह रहे हैं वह सब ही सेन्ट परसेन्ट सही हो। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आयी है, जिस किसी ने भी आप को सूचना दी है आपसी झगड़े से इस प्रकार की झूठी, बे सिर-पैर की सूचना दी है। मैं यह भी नहीं कहता कि कुछ बातों में सचाई होती ही नहीं बिल्कुल लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातों का पहले से ही वेरिफिकेशन हो जाया करे तो अच्छा है। मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि यहां जो न्यूज प्रिन्ट का लाइसेन्स देने की बात कही गई है वह बिल्कुल गलत है। न होम डिपार्टमेंट ने, न डाइरेक्टर, पब्लिसिटी ने और न किसी ने उसको सेंक्शन किया है, न कोई रिकमन्ड किया है। आप ही बतायें इतना वजूद मामला है, हमारे होम डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सामने न आये और फिर भी इतना जोरों से कहा जाय कि न्यूज प्रिन्ट का इम्पोर्ट लाइसेन्स दे दिया जब कि होम डिपार्टमेंट ने दिया नहीं, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने दिया नहीं। जहां तक होम डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, नवयुग को कोई न्यूज प्रिन्ट का कोटा नहीं दिया गया। I can tell this on the floor of the House.

श्री पी० के० चौधरी : I think the Hon'ble Member from Shri Madhopur toldthis. He did not say that the Government has given it. He told that the Director has recommended him to the Import Controller to give him a lincense. This is that he alleged.

श्री रामकिशोर व्यास : जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था उन्होंने उससे यह पता लगता है कि गृह मंत्रीजी ने इम्पोर्ट लाइसेन्स दे दिया। मैं स्पष्ट अर्ज कर देना चाहता हूँ कि न तो कोटा हमने दिया है और न पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने। वह तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया

(श्री रामकिशोर व्यास)

ने दिया है और उसका जो यूज होता है वह होता है ।

मुख्तसर में मैं यह अर्ज कर दूं कि अकाउन्टस के टाइमली मेन्टिनेन्स की जो बात है वह सही है । टाइमली मेन्टेन होने चाहिये । इसके लिये नया स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है । जो मेजर्स लेने चाहिये थे वे ले लिये गये हैं । आयन्दा टाइम पर मेन्टेन हो, ऑडिट हो, यह सही है । गलत अकाउन्टिंग का जहां तक सवाल है वह सही नहीं है और कोई साहब यह समझते हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वह सही है, उनको यह वहम ही है । उनके पास सही जानकारी नहीं है । कहा गया कि शील्ड किया जाता है, एन्टीकरप्शन वाले जाते नहीं, बुक्स नहीं देते हैं । मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि किसी प्रकार भी किसी को शील्ड करने की बात नहीं है । अकाउन्ट जो देखना चाहें वे देख सकते हैं । नतीजा निकालेंगे तो वही निकलेगा । जब शील्ड करने का सवाल आता है तो एन्टीकरप्शन वाले कैसे पहुंच जाते ? तहकीकात की बात होती है तो तहकीकात की जाती है ।

(गणपूरक घन्टी)

तो आपका फरमाना ठीक है । आपका सुझाव मुनासिब है । पर्मानेन्टली बनाया जावे, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । हम इस पर गम्भीरता से सोच रहे हैं ।

आगे एग्जीबिट्स के बार-बार बनने में अधिक खर्चा होता है, स्थायी बनने पर उनकी बचत हो सकती है । आपका फर्माना ठीक है । आज कल भी हम ऐसा करते हैं कि एग्जीबिट इस बात को ध्यान में रख कर बनाते हैं कि वे दो, चार बार तक चलें और हम चलाते भी हैं उनको । तो सारे उसी में खत्म हो जाते हों एक में ही, ऐसी बात नहीं है । बहुत से उसी में खत्म होने जैसे होते हैं वे हो जाते हैं । तो इनको दृष्टि में रख कर आपके सुझाव मेरे ध्यान में हैं । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपने कटौती प्रस्ताव विथ्ड्रॉ करके इस डिमान्ड को स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो और जवाब हैं । This is a part of it; इसमें कई हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई कट मोशन्स इस संबन्ध में प्रस्तुत हुए हैं । उनमें से माननीय गृह-मंत्रीजी ने उन कट मोशनों के बारे में जो कि पब्लिसिटी से संबन्धित थे जवाब दिया ।

बाकी में जो कहा गया उनमें मुख्यतया यह कहा गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषदों को अपना काम चलाने के लिये जो रुपया दिया गया और जिस सूरत में लैंड रेवेन्यू का एक हिस्सा जो २५ नये पैसे फी व्यक्ति के हिसाब से देना तय किया है वह ना काफी है और यह भी कहा गया कि जिला परिषद् और पंचायत समितियों का गठन और उनको सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि उनके पास में काफी पैसा होना चाहिये । ताकि ठीक प्रकार से वे

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

डवेलपमेंट के काम कर सकें। इस संबन्ध में यह सुझाव भी रखा गया कि दरअसल में लैंड रेवेन्यू का १/४ हिस्सा उनको दिया जाना चाहिये न कि प्रति व्यक्ति २५ नये पैसे। मैं इस सम्बन्ध में पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट की धारा ३५ की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि पंचायत समिति की क्या तो आमदनी होगी और क्या उसका खर्चा होगा। उसमें है:--

1. Grants for schemes transferred by the state Governmant and bodies or institutions for the devlopment of cottage and village induries.

2. Donations and contributions received from local authorities

3. Share of land revenue calculat t at the rate of 25 n. p. per head of the population of the block.

और लोन जो कि स्टेट गवर्नमेंट दे या जोकि पंचायत समिति स्टेट गवर्नमेंट की एप्रूवल से रेज कर सके। आगे और है जिन्हें माननीय सदस्य मुलाहिजा करलें तो जैसा कि इस एक्ट के अन्दर दर्ज है उसीके अनुसार सरकार ने निर्णय लेकर यह रकम दी है। जो लोन्स और ग्रान्ट दी हैं और बाकी की और जितनी स्कीमें डवेलपमेंट की सरकार चला रही थी वे सब उन ब्लॉक एरिया और शेडो ब्लॉक एरिया में ट्रान्सफर कर दी हैं।

मैं इस सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन कर दूं कि पंचायत समिति और ज़िला परिषद् को जो फण्ड्स अलॉट किये गये वे अलग-अलग स्कीमों के तहत में ग्रांट के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में या लोन्स के रूप में, इस तरह कुल टोटल मिला कर चार करोड़ ६ लाख और ८० हजार के करीब की रकम बनती है। तो कल जो यह कहा गया कट मोशन पर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कि दरअसल पंचायत समितियों का गठन तो कर दिया या यह भी कहा गया कि बहुत अधिकार तो दिये गये हैं पर उनको कार्य रूप में लाने के लिये पूरे फण्ड्स नहीं दिये गये और जो यह कहा गया कि काफी फण्ड्स उनको दिये जावेंगे वे नहीं दिये गये हैं जब कि लाइबिलिटी तो ट्रान्सफर कर दी। तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह तो मैंने छः महीनें की रकम बताई है। साल भर में वह करीब ८ करोड़ के करीब हो जाती है जो काफी है। मौजूदा स्थिति में यह प्रबन्ध काफी अच्छा है।

अब आर्थिक दृष्टि से जहां तक संबन्ध है कि अगर अधिक डवेलपमेंट होगा तो उसके लिये क्रमशः जो लाइबिलिटी आवेगी उनको मीट आउट करने का भविष्य में क्या प्रबन्ध है तो इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि अभी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो यह प्रबन्ध काफी अच्छा है। अब आगे भी उनकी बढ़ती हुई प्रगति के हिसाब से अधिक धनराशि का प्रबन्ध किया जाय इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसको देख कर इसका भी पूरी तरह से प्रबन्ध किया जावेगा।

आगे जैसे जैसे विकास होता जावेगा तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को अन्जाम देने के लिये उनको काफी फण्ड्स

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की जरूरत होगी। ठीक है, हम मानते हैं इसे। आज के वक्त में जब इस देश का विकास हो रहा है तो इसके साथ साथ ठीक प्रकार से विकास हो इस प्रकार की प्लान्ड इकॉनोमी में टैक्सेज जरूरी होंगे और बगैर टैक्सेज़ के किसी भी प्रकार से कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो रुपया आज जिन साधनों से मिल रहा है उनको उसके अलावा और कुछ डवेलपमेंट करना चाहते हैं तो अपने फन्डस लोकली वे इकट्ठा कर सकते हैं टैक्सों के जरिये या और अन्य जरियों से और उनको यह करना होगा।

२ म० प०

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आज यह कह कर किसी चीज को यह बतला दें कि आज टैक्सेज ही टैक्सेज़ लगाकर इस प्रकार से परेशान किया जाता है। यह तो ठीक है कि आखिर रुपया तो पब्लिक के पास से ही आता है, टेक्सेज भी वही देते हैं और उन्हीं की रकम आकर विकास के कार्यों में लगती है। यह इस तरह की एक साइकिल है कि मार्केट के अन्दर मनी का इन्फ्लेशन होता है तो रुपये का वितरण ज्यादा होता है और लोगों के पास रुपया ज्यादा आता है तो उनकी पे करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ऐसी सूरत में इन सारी बातों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि पंचायत समितियों को टैक्स के रूप में कुछ न कुछ लगाना होगा और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुये उन्हें आगे बढ़ना होगा।

इसी सम्बन्ध में पंचायत समितियां का जो नागोर में उद्घाटन कराया गया उसके सिलसिले में कुछ कट मोशन्स आये और उन पर विचार किया गया। कहा यह जाता है कि इस पर काफी खर्चा किया गया और यहां पर कोई भी कानून बनाया जाये, यहां बहुत से प्रगतिशील कानून बनाये गये, इस सदन ने ऐसे बहुत से कानून बनाये लेकिन उन सबका उद्घाटन के रूप में कुछ किया जाना उचित है या नहीं इस प्रकार की बातें कट मोशन्स के समय में कही गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो डीसेन्ट्रेलाइजेशन का कानून इस सदन के द्वारा बन कर गया और पंचायत समिति और जिला परिषदों का गठन हुआ वह सारे देश में पहली मर्तबा ऐसा अटेम्प्ट था एक ऐसी चीज थी कि जिसके लिये यह अत्यंत आवश्यकता थी कि वह किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो कि हम हमारे देश के निर्माण में किस तरह से नीचे से जड़ों को मज़बूत करते हुये उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर उनको इसमें लगा सकें। यह ऐसी चीज थी कि साधारणतया इसको मान लेना नहीं था बल्कि इसको जनता के अन्दर सब लोगों को सारी पंचायत समितियां और जिला परिषदों के मेम्बर्स थे वे सारे एकत्रित हुये और सब ने मिलकर आचार विचार किया और उनकी जो कुछ कठिनाइयां थीं उनको एक दूसरे के सामने रखा। इस तरह से एक सम्मेलन सा हुआ जिसकी काफी उपयोगिता हुई। ऐसी सूरत में ऐसा करना बहुत आवश्यक था। इसके लिये वह स्थान ज्यादा अच्छा समझा गया। इसलिए यह किया गया। अब सवाल यह आता है उस पर खर्चा किया गया तो मैं निवेदन करूं कि खर्चा जरूर हुआ लेकिन ऐसा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ कि यह कहा जाये कि बहुत ज्यादा उसका दुरुपयोग किया गया है–दुरुस्त नहीं है। वहां पर स्थान की सफाई कराई गई, बिजली लगाई गई, टैन्ट्स

Page No.68

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

वगैरह का, पानी वगैरह का, इन्तजाम किया गया जो वाजिब खर्चा हो सकता था वह इस प्रकार का खर्चा किया गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बहुत से ऐसे कार्य हुआ करते हैं कि जिनको जनता को बताने और उनको ठीक प्रकार से समझाने की आवश्यकता होती है। अगर वह नहीं किया जाय तो आगे जाकर ठीक प्रकार से संस्था नहीं चलती हैं तो ऐसी सूरत में जो कुछ किया गया बिलकुल वाजिब था।

कुछ कटमोशन्स इसमें रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट के सिलसिले में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को जो कपड़ा और उनके खाने खर्चे में किया गया उनके प्रोपर वाउचर्स और अकाउन्ट्स नहीं रखा गया इसलिये गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने जो रकम देना तय किया था वह नहीं दी और ऐसी सूरत में यह रकम लिये जाने के बारे में यह मांग रखी गई है। यह सही है कि सन् १९४८ के अन्दर जो स्थिति इस देश के अन्दर पैदा हुई थी जहां लाखों नर नारी हिन्दुस्तान में रिफ्यूजीज के तौर पर आये और उनको बसाने की बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या को हल करने के लिये यह भी जरूरी था कि उनके खाने का और कपड़े वगैरह का इन्तजाम किया जाता और खर्चा किया जाता। मैं यह नहीं कह सकता कि किसी भी आइटम के वाउचर्स नहीं रखे गये हैं। यह भी सही है कि वाउचर्स जरूर रखे गये थे लेकिन कुछ वाउचर्स मिसप्लेस हो गये पर यह कह देना कि वाउचर्स थे ही नहीं इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय कोई अकाउन्ट्स का सिस्टम प्रेस्काइब नहीं था इसलिये ऐसी बात हुई। लेकिन फिर भी मैं इस सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करूं कि करीब करीब १-४-५९ तक ३० लाख रुपये की रकम ऐसी थी कि जिसके बारे में यह एक्सपेन्डीचर कुल होता था और इसके बारे में करीब करीब ६ लाख के एक्सपेन्डीचर को मन्जूर कर लिया और करीब करीब २४ लाख रुपये का और रहा है इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से बराबर नेगोशियेन्स चल रहा है कि वह अकाउन्ट्स को देख कर वाउचर्स की गैरमौजूदगी में जिन सरकमस्टान्सेज में वह हिसाब सारा रखा गया है उसको मंजूर कर लें और इसकी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि वह जो कुछ भी रकम उन्होंने देना स्वीकार किया था वह रकम हासिल करें। अब इस बारे में डिटेल्स कि उनके वाउचर्स रखने का सिस्टम ठीक नहीं था या वाउचर्स ठीक प्रकार से नहीं रखे गये तो जैसा मैंने निवेदन किया कि यह ऐसी परिस्थितियां थीं कि जिनके अन्दर यह सारा का सारा खर्चा हुआ है तो उसे ठीक कराने की व्यवस्था कर रहे हैं और वह रकम गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से लिये जाने की बातचीत चल रही है।

इसी सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि टी० बी० पेशैन्ट्स के लिये डोल्स वगैरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से टी० बी० बैड्स और कैश डोल्स के बारे में करीब ८८,००० रुपये प्राप्त हुये थे। लेकिन यह डिमाण्ड इसलिये रखी गई है कि करीब-करीब ९३,००० रुपये और इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से अक्टूबर, १९५९ के अन्दर मांगे गये। सेंक्शन तो अभी आई नहीं है लेकिन उम्मीद की जाती है कि यह

Page No.69

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रकम वहां से आ जायेगी और उस सिलसिले में यह डिमाण्ड रखी गई है। कटमोशन्स में बताया गया है कि कैश डोल्स के बारे में यह जो कुछ रकम खर्च की गई है यह वाजिब खर्च नहीं की गई है। यह कहना दुरुस्त नहीं है बल्कि जो भी रकम थी वह वाजिब तौर पर खर्च की गई है और यह एक्सपेन्डीचर हुआ है। तो इस मांग के सिलसिले में आये हुये कुल कटमोशन्स जितने भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये मैं यही निवेदन करूंगा कि यह मांग स्वीकार की जानी चाहिये और यह खर्चा जो भी इसमें विविध प्रकार से — इसमें और भी खर्चे हैं लेकिन जिनके ऊपर कटमोशन्स आये हैं उन्हीं का जवाब दिया है और विवरण इसके साथ प्रस्तुत है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जो कटमोशन्स आये हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया जाये और इस मांग को स्वीकार कर ली जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ६२ में श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव मांग संख्या ६२ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I beg leave of the House to withdraw my cutmotions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं। उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने प्रस्तुत किया है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांगा संख्या ६२ मुख्य शीर्षक ५७ विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८३, १६,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४-वन

उप-मंत्री वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०, वन के संबंध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००रु० तक की धन राशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

I put it to vote

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १० वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५ बिक्रीकर

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२ क, बिक्रीकर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, ४६,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२ क, बिक्रीकर के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४६,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२ क स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६-अन्य कर

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १३, अन्य कर और महसूल के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले

(श्री रामकिशोर व्यास)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७८,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक १३, अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७८,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४७, अन्य राजस्व व्यय

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १८, अन्य राजस्व व्यय जिनके लिए साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १८, अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४८, सामान्य प्रशासन

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५२,००० रुपया तक की धनराशि और प्रदान की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की माग संख्या ४८,मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५२,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४९,न्याय प्रशासन

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक २७, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१२,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक-२७, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१२,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५१-वैज्ञानिक विभाग

उपमंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, १,११,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, १,११,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५२, शिक्षा

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,९१,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शङ्करलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग के सम्बन्ध में ३ कटौती प्रस्ताव रखे हैं, और मैं उन तीनों पर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक साथ चर्चा करूंगा।

इस मांग संख्या के ज़रिये कुछ मिडिल स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने और बहुत सी जगह कॉमर्स और साइन्स की क्लासेज खोलने के बारे में मांग की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो नीति है, मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिणत करने की और उसके साथ में यह कॉमर्स और साइन्स क्लासेज़ खोलने के सम्बन्ध में तो जिस इलाके में जिस प्रकार की मांग है और जहां पर न्यायोचित तरीके से खोला जाना चाहिये वहां पर नहीं खोले जाते हैं। इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is treated as moved.

श्री शंकरलाल : मैं एक एक डिस्कस करूंगा।

(श्री शंकरलाल)

That the demand No. 52 Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Government to introduce commerce Course in Jai taran Higher Secondary School).

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा कि जैतारण के अन्दर हायर सैकेण्डरी स्कूल है उसका भवन ६०, ७० हज़ार रुपये का जनता के चन्दे से बनाया गया है और बहुत से लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी ने मिलकर बड़े परिश्रम के साथ में भवन का निर्माण किया है, और वह इलाका ऐसा है कि जहां बिना किसी शर्त के वहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलना चाहिये था, फिर भी सरकार ने शर्त रखी कि १० हजार रुपये शिक्षा विभाग में जमा कराये जायें तो वहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल की सेन्क्शन करते हैं। खैर उस पिछड़े इलाके के अन्दर जहां कि रुपया मिलना बड़ा कठिन है उसने सरकार की मांग को पूरा किया, और १०,०००) रु० सरकार के ख़जाने में जमा कराया गया और उस शर्त के साथ वह हायर सैकेण्डरी स्कूल खुला। उसके बाद लगातार दो वर्ष हो गये और वहां की जनता ने बहुत मांग की है कि वहां पर कॉमर्स क्लासेज़ खोली जायें और उसके लिये जो भी सरकार के नियम हैं या शर्तें हैं उन सबको पूरा करने के लिये वहां की जनता तैयार है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वहां की जनता की मांग क्यों नहीं पूरी की जाती। यहां पर चार चार, पांच-पांच लाख रुपयों की मांग स्वीकार की जाती है। लेकिन जिस इलाके में कोई स्कूल नहीं है जिसमें कॉमर्स क्लासेज़ हों और जिस इलाके के लोग पिछड़े हुए हैं लेकिन जिनमें इतना उत्साह है कि इतने रुपये खर्च करके भी लड़के पढ़ते हैं वहां पर यह मांग पूरी नहीं की गई तो समझ में नहीं आता कि वह मांग क्यों नहीं पूरी की जाती है। दूसरी जगह हाई स्कूल्स खोली जाती हैं। लेकिन यहां की कॉमर्स क्लासेज़ खोलने की मांग को भी पूरा नहीं किया जाता है। इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सरकार वहां पर कॉमर्स क्लास नहीं खोलना चाहती है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि पाली हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाया जाय। (That the Demand No. 52, Major Head 37. Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the raising of Pali High Sohool to Degree College). उपाध्यक्ष महोदय, पाली एक महत्वपूर्ण जिला है जिसकी आबादी ७ लाख की है और जिले के केन्द्र में ४०,००० व्यक्ति रहते हैं। वहां एक बागड़ हाई स्कूल है जिसे बागड़जी ने अपने पास से रुपये खर्च करके बनाया है। वहां पर डिग्री कॉलेज तो दूर रहा इन्टर कॉलेज भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां पर अब तक डिग्री कॉलेज नहीं हो पाई है। राजस्थान के हर एक जिले के केन्द्र पर एक डिग्री कॉलेज का होना अनिवार्य है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उदयपुर की इन्टर कॉलेज के लिये जो रुपयों की मांग की गई है उस पर मुझे कोई आपत्ति है, लेकिन दूसरे इलाकों में भी जहां आवश्यकता हो वहां ध्यान अवश्य देना चाहिये। पाली इतना बड़ा जिला है, वहां के लोग उत्साही हैं, चन्दा दे रहे हैं और वहां के लोग हर प्रकार की मांग को पूरा करने के लिये तैयार हैं तो फिर

(श्री शंकरलाल)

वहां पर डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खोला जाय।

मेरा जो तीसरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है :—

That the Demand No. 52, Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the raising of Kalloo Middle School in Tehsil Jaitarran to Higher Secondary School).

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैतारण तहसील में कालू एक स्थान है वहां पर एक मिडिल स्कूल है। यह दुर्भाग्य की बात है वहां पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी मुश्किल से पहुँच पाते हैं लेकिन किसी भी उपाय से वे वहां जावें तो उनको मालूम होगा कि इस इलाके में, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां के किसान और दूसरे लोग गरीब हैं वहां पर एक बड़ा सुन्दर स्कूल का मकान बना रखा है और उसमें सुन्दर बगीचा है और एक होस्टल भी बना रखा है। लेकिन आस पास के इलाके में वहां कोई हाई स्कूल नहीं है जहां पर उनके लड़के जाकर पढ़ सकें। मैं समझता हूँ राजस्थान में ऐसी कम मिडिल स्कूल्स होंगी जहां पर ऐसा भवन बना हुआ हो और ऐसी अवस्था हो। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के मिडिल स्कूल को दूसरी जगह की मिडिल स्कूलों से कम्पेअर किया जाय। वहां पर किसी भी बात की कमी नहीं है, जितनी चीजों की आवश्यकता है उससे ज्यादा चीजें हैं। वहां की खेती बाड़ी की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था को देखते हुए वहां पर एग्रीकल्चर स्कूल खोलने के लिये भी यह स्थान अच्छा और उपयुक्त स्थान है फिर भी वहां की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया जा रहा है इसका क्या कारण है। दूसरे इतने मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल्स में परिणत किया जाता है और उनके लिये सप्लीमेन्ट्री मांग की जाती है तो कालू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में क्यों नहीं परिणत किया जाता है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कालू मिडिल स्कूल की सारी चीजों को देखकर आगामी वर्ष में उसे हाई स्कूल में परिणत करके वहां की जनता को राहत देंगे क्योंकि गवर्नमेन्ट की यह स्कीम है कि मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल्स में परिणित करना और कॉमर्स क्लासेज़ खोलने के लिये लाखों रुपयों की मांग की है और आज सदन लाखों रुपयों की मांगें स्वीकार करता है तो ये रुपये उन इलाकों में खर्च होने चाहिये जहां वास्तव में आवश्यकता हो। इसलिये, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी मांग स्वीकार करनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ३७ में जैसा कि माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा है उस आधार को लेता हुआ मैं

२. ३२ म. प.

(श्री आबिद अली 'सभापति' पदासीन)

झालावाड़ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। झालावाड़ जिले में खास झालावाड़ स्थान है वहां पर लड़कियों की शिक्षा के अभाव के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, झालावाड़ ज़िला राजस्थान का एक दूरगामी ज़िला है और

(श्री रामचन्द्र)

राजधानी से करीब २०० मील दूर है और जितना यह दूर है उतनी ही राजस्थान सरकार की इस ज़िले पर बहुत कम निगाह है । बल्कि ऐसा देखा जाता है कि कोटा डिविज़न में ३ जिले हैं कोटा, बूंदी, और झालावाड़ । झालावाड़ कोटा की आड़ में आ जाता है इसलिए जब राजधानी से बैठे हुए इस ज़िले की ओर बढ़ते हैं तो कोटा से आगे कुछ भी नज़र नहीं आता । अत: ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान कोटा तक ही सीमित है आगे नहीं है । यही कारण है कि झालावाड़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर पर लड़कियों के लिये राजस्थान सरकार ने उचित प्रबन्ध नहीं किया । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि झालावाड़ नगर की आबादी १५ हजार से अधिक है और वहां पर लड़कों की शिक्षा का प्रबन्ध जैसा है उसके मुकाबले में लड़कियों की तालीम के लिये सरकार ने २० प्रतिशत भी प्रबन्ध नहीं किया है । यद्यपि वहां की जनता लड़कों और लड़कियों की शिक्षा को समान रूप से देखती है । झालावाड़ राजस्थान बनने से पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगामी रहा है । वहां पर १५ हज़ार की आबादी में से यह तो मान लीजिये कि ४.५ हजार लड़के-लड़कियों की संख्या पढ़ने वाली होगी । यहां पर लड़कों के लिये ८ प्राइमरी स्कूल्स, २ मिडिल स्कूल्स और १ हाई स्कूल है लड़कों की संख्या करीब करीब लड़कियों की संख्या के बराबर है । लेकिन उनके लिये एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है जहां छटी कक्षा से आगे की शिक्षा दी जाती है । तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि झालावाड़ जैसे प्रगतिशील स्थान में जहां शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी रुचि है वहां लड़कों की शिक्षा के लिये ८ प्राइमरी और २ मिडिल स्कूलें हैं वहां लड़कियों की शिक्षा के लिये केवल एक प्राइमरी स्कूल है और उसमें भी यह दुर्व्यवस्था है कि जहां पहले ११ अध्यापिकाएं थीं वहां केवल आधी रह गई हैं । सन् १९५८ के बाद वहां पर अध्यापिकाओं की संख्या ११ में से ६ रह गई है । अध्यापिकाओं के अभाव के कारण लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हो रही है । वहां पर क्लासेज इतनी ओवर क्राउडेड है कि एक एक अध्यापिका के पास ८०, ८५ लड़कियां एक एक क्लास में है । आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक अध्यापिका ८५ लड़कियों को कैसे पढ़ा सकती है और उन पर कैसे कंट्रोल कर सकती है । ऐसी हालत में मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जैसे झालावाड़ में लड़कों की शिक्षा के लिये सरकार ने उचित प्रबन्ध किया है उसी तरह से लड़कियों की शिक्षा के लिये भी उचित ध्यान दें ।

दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करना उचित समझता हूँ कि लड़कों की शिक्षा के लिये सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेन्डर्ड पर प्रबन्ध किया है अर्थात् लड़कों की शिक्षा के लिये इन्सपेक्टर डिप्टी इन्सपेक्टर, सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आदि का प्रबन्ध किया है लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिये डिविज़न भर में केवल एक सब डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस मुकर्रर की है जिसका कार्यालय कोटा में है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह सब डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस समयाभाव के कारण या और किसी कारण से झालावाड़ में एक या दो बार ही आती है ऐसी हालत में वहां शिक्षा प्रबन्ध में विशेष सहायता नहीं मिल रही है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार

Page No.76

(श्री रामचन्द्र)

लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने के लिये वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान दे, अर्थात् एक डिप्टी इन्स्पेक्टेस नहीं तो एक सब डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस हर जिले में रखी जाय और उसका यह काम हो कि लड़कों की शिक्षा के लिये जनता में रुचि को बढ़ावा दिया जाय । इसी प्रकार जनता में लड़कियों की शिक्षा के लिये जनता को बढ़ावा देने का काम करें । मैं निवेदन करूंगा कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में सरकार जिस प्रकार उदासीन रही है, वैसी नहीं रहनी चाहिये हमारे झालावाड़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं है, वह जल्दी करना चाहिये । इसके अलावा झालावाड़ में अध्यापिकाओं की जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय क्योंकि सालाना इम्तहान करीब है । अध्यापिकाओं के न होने की वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ छोड़ कर घर में बैठने लगी हैं । अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो स्कूल हैं, वे नष्टभ्रष्ट हो जायेंगे । यही मेरा निवेदन है ।

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : माननीय सभापति महोदय, इस डिमान्ड में तीन कटौती के प्रस्ताव पेश हुए हैं , पहला कटौती प्रस्ताव है जैतारण हायर सैकेन्डरी स्कूल में कॉमर्स की कक्षायें खोलने के विषय में । जैतारण में कॉमर्स की कक्षा खोलने के लिये मैं व्यक्तिगत तौर पर काफी इच्छुक हूँ । लेकिन वहां पर लड़कों की संख्या इतनी कम है कि दूसरा ऐच्छिक विषय खोलना मुश्किल चीज है क्योंकि हर एक विषय के लिये कम से कम २५ लड़के होने चाहिए, दूसरा ऐच्छिक विषय देते हैं तो उसमें २५ लड़के और होने चाहिए । हायर सैकेन्डरी स्कूल की नवीं कक्षा में ५० लड़कों की आवश्यकता होती है, अगर कोई ऐच्छिक विषय खोलना चाहते हैं

श्री सभापति : कौन से कट मोशन का जवाब दे रहे हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ३७ ।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल ने जो मूव किया है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There is only one cut motion.

श्री सभापति : Whose ?

श्री [illegible] : श्री ईश्वर लाल ।

श्री सभापति : Yes, may continue.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जैतारण में इस वक्त लड़कों की संख्या नवीं क्लास में २० और २५ के बीच में है । इसलिए बड़ी मुश्किल चीज है कि कॉमर्स की क्लास और खोल दी जाय । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर अगली साल वहां ५० लड़के हो जाते हैं नवीं कक्षा में और टाइपराइटर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो अगली साल कॉमर्स क्लास खोल सकेंगे ।

दूसरा प्रश्न है, पाली हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने का । पाली में अभी हाई स्कूल है । हमने एक नीति अपनाई है, उसके

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अनुसार जो हाई स्कूल हैं पहले उन्हें हायर सैकेन्डरी करेंगे और फिर जहां उपयुक्त होगा वहां डिग्री कॉलेज बनायेंगे। लेकिन इस वक्त जो रिऑर्गेनाइजेशन शिक्षा का चल रहा है, उसमें हाई स्कूल हैं। उनको हायर सैकेन्डरी स्कूल और इन्टर कॉलेज हैं, उनको डिग्री कोलेज बना रहे हैं और उसमें जब कभी उस काम को पूरा कर सकेंगे तब पाली हाई स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाया जाय या डिग्री कॉलेज बनाया जाय, इस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

तीसरा कट मोशन है कालू मिडिल स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाने के बारे में है कालू मिडिल स्कूल के बारे में इतने समय से कोई मांग नहीं आई, क्योंकि यह मांग अभी पेश की गई है, अगले वर्ष इस पर ध्यान दिया जायगा। दूसरे स्कूलों से यह मिडिल स्कूल अगर ज्यादा उपयुक्त पाया जाता है तो हायर सैकेन्डरी स्कूल अगले साल जरूर बना देंगे।

(करतलध्वनि)

झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान सरकार लड़कियों की तरफ कम ध्यान दे रही है। मैं निवेदन कर दूं कि लड़कियों की शिक्षा की तरफ ज़रूर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन जो पुरानी परम्परायें स्त्रियों की शिक्षा के बारे में हैं, वह अड़चन अवश्य है। इसको दूर करने के लिए हमने थोड़े अर्से पहले डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी उसमें विचार-विमर्श किया। दुर्गा बाई देशमुख ने सिफारिश पेश की है स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए विचार कर रहे हैं और तीसरी योजना में स्त्री शिक्षा पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। अगर एक कस्बे का प्रश्न है, और झालावाड़ में प्राइमरी स्कूल कम पड़ते हैं, तो अगली साल खोल सकते हैं।

एक प्रश्न यह है कि वहां पर स्टाफ की कमी के बारे में कहा, पहले ११ अध्यापिकाएं थीं, अब केवल छः रह गई हैं। माननीय सदस्य मेरे ध्यान में इस बात को लाये थे, उस पर आदेश कर दिये हैं कि तुरन्त और अध्यापिकायें भेजी जायें। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, लड़कियों की जितनी पाठशालायें हैं, उनके आधार पर किया जा सकता है। कोटा डिविज़न में जितनी अभी शिक्षण संस्थायें बालिकाओं की हैं, उसको देखते हुए एक डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस काफी है। अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो दूसरी डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस एपॉइन्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन जब तक संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेस और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।

जहां तक झालावाड़ जिले की अवहेलना का प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने झालावाड़ में शिक्षा के सम्बन्ध में ध्यान रखा है। मिडिल स्कूल खोला है, हायर के सैकेन्डरी स्कूल खोला है और यहां तक कि झालावाड़ में एक कॉलेज भी खोल दिया है। इसलिए यह बात नहीं है कि झालावाड़ की अवहेलना की जा रही है। हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो, अगर वह हमारे ध्यान में लायें तो जरूर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

निवेदन करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव हैं उनको वापिस ले लें।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री शंकरलाल ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमान्ड नम्बर ५२, मेजर हैड ३७ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

डिमान्ड नम्बर ५२, मेजर हैड ३७ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५३—चिकित्सा

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ३८, चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमान्ड नम्बर ५३, मेजर हैड ३८ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५४—जन स्वास्थ्य

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८१,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : [That the Demand No. 54, Major Head 39-Public Health be reduced by Rs 1/— [to discuss the drinking water problem in the Tehsils of Raipur and Jaitaran in Pali District.] सभापति महोदय, वैसे राजस्थान के अन्दर पानी की जो समस्या है,

(श्री शंकरलाल)

उस समस्या को सुलझाने के लिए जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के लिए डिमान्ड रखी गई है, उस सम्बन्ध में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा है और वह इसलिए रखा है कि यह राजस्थान में पीने के पानी की जो समस्या है, उसको जिस तरीके से हल करना चाहिए, मैं समझता हूँ सरकार उस तरीके से हल नहीं कर पा रही है और जो समस्या देश के अन्दर पीने के पानी की है, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब यह जो ८१,००० रुपये मांगे हैं, यह स्टाफ बढ़ाने के लिए मांगे हैं, एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए, एक नया सिविल तथा एक नया मैकेनिकल डिवेज़न बनाने के लिए ७६,३८० रु०, for rural and urban area water supply. सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार हजारों रुपया केवल कर्मचारियों की नियुक्ति और ऑफिसर्ज़ की नियुक्ति के लिए खर्च करने से, हमारे राजस्थान की जो पीने के पानी की समस्या है, वह हल नहीं होगी। वैसे राजस्थान के अन्दर एक समय हमने देखा कि गैर सरकारी संस्था, राजस्थान जल बोर्ड ने इस समस्या को हाथ में लिया था और उस समय जो भी पैसा पीने के पानी के लिए था, वह पैसा बिना किसी सरकारी मशीनरी पर खर्च करने के खर्च होता था और उस गैर सरकारी संस्था ने उस काम को हाथ में लिया था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वैसे राजस्थान जल बोर्ड की आलोचना समय समय पर होती रही थी, लेकिन अगर आंकड़ों से पता लगाया जायगा तो मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार गैर सरकारी संस्था ने राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या को हल करने में योग दिया, वह उस जल बोर्ड की समाप्ति के पश्चात्, इस समस्या को वह बोर्ड जितना सुधार पाया था, वह वहीं की वहीं पड़ी है। जितना पैसा है, उसके लिए कोई खास एजेन्सी नहीं है, जिसके ज़रिये वह खर्च किया जाय। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह जो पीने के पानी की समस्या है, यह राजस्थान की मुख्य समस्या है और उसके लिए एक विशेष तौर और तरीके से ध्यान देने के लिए, एक गैर सरकारी संस्था का योग लेना चाहिए। अगर जल बोर्ड नहीं है, तो समझता मैं हूँ कि जो भारत सेवक समाज है, जो गैर सरकारी संस्था है, जिसका राजनैतिक अस्तित्व नहीं है, हर एक राजनैतिक पार्टी जिस संस्था में काम कर सकती है और जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के आदमी काम कर सकते हैं, इस प्रकार की भारत सेवक समाज जैसी संस्था को, जो राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, उसको सुलझाने का काम सौंपा जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह काम जल्दी हो सकता है।

एक तरफ आप डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन के ज़रिये इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम का बंटवारा हो और विकास के काम स्वयं जनता करे और जनता स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझावे और दूसरी तरफ पीने के पानी की समस्या केवल कर्मचारियों के हाथ में रखते हैं इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है, जिसमें मैंने यह बताया है कि जहां वास्तव में कोई खास समस्या है, वहां पैसा खर्च नहीं किया जाता है, और जहां वास्तव में कोई खास समस्या नहीं है वहां पर पैसा खर्च किया जाता।

(श्री शंकरलाल)

क्योंकि दफ्तरों में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि कहां वास्तव में किस प्रकार की समस्या है। नजीर के तौर पर मैं यह रखना चाहता हूँ कि पाली, जैतारण इलाके में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। अभी दो साल से वहां रूरल वाटर सप्लाई का काम नहीं हुआ है। इस बोर्ड के सभापति ने काम किया था उसके बाद में वहां एक भी कुआ नहीं बना है, पीने के पानी का कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ है। वहां इस प्रकार की समस्या है कि उन गांवों में पीने का पानी नहीं होने से वहां दूसरे गांवों से पानी लाते हैं।

(गणपूरक घण्टी)

इसलिये अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमारे जन-जीवन की समस्या है। राजस्थान में चाहे कितनी ही बड़ी स्कीम्स क्यों नहीं बना लें पर जब तक राजस्थान के निवासियों के लिये पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी विकास का दावा नहीं कर सकते। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब कि गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में काम करें और सरकार उनसे योग ले और जिन जिन इलाकों में पहले आवश्यकता है उन गांवों में सबसे पहले काम चालू किया जाय। राजस्थान की पीने के पानी की समस्या को हल करने का काम सबसे पहले हमें अपने हाथ में लेना चाहिये। इसी के लिये मैंने यह कट मोशन रखा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री) : सभापति महोदय, इस मांग के सिलसिले में माननीय सदस्य ने रायपुर और जैतारण के एरिया की तरफ रूरल वाटर सप्लाई के सिलसिले में ध्यान आकर्षित किया। यह सही है कि राजस्थान के उन हिस्सों में जहां रेगिस्तान हैं, वहां यह समस्या एक विकट समस्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो रकम रूरल वाटर सप्लाई के लिये रखी है, वह कुल की कुल खर्च हो जायगी और अब जो पंचायत समितियां बनाई हैं उनको यह रूरल वाटर सप्लाई का काम सुपुर्द किया है तो ऐसी सूरत में आपके इलाकों में, रायपुर और जैतारण इलाकों में पंचायत समितियां को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये और आगे जाकर जहां जरूरत है वहां इस कार्य को पहले करना चाहिये।

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार इस बारे में काफी जागरूक है और हमारे उन इलाकों में जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां जल की समस्या को हल करने के लिये एक बहुत बड़ी योजना, या ज्यादा रुपया, तीसरी पंच-वर्षीय योजना में खर्च किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इस समय मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को महसूस करते हुए इस सिलसिले में वहां की पंचायत समितियां काम करेंगी। यह ठीक है कि जल बोर्ड ने काम किया पर इसी सदन में कितने ही आरोप उस जल बोर्ड पर लगाये गये और वह ठीक प्रकार की बात नहीं रही। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने उस जल बोर्ड में अपना अनुदान देना बन्द कर दिया और अब सारी की सारी रूरल वाटर सप्लाई की स्कीम पंचायत समिति को सौंप दी हैं।

मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपने कटौती

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

प्रस्ताव को वापिस लेंगे। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री शंकरलाल (रायपुर): मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने डिमान्ड नं० ५४, मेजर हैंड ३९ में रखा है, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल: मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५४, मेजर हैड ३९ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५६- पशुपालन

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१, पशु पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५६, मेजर हैड ४१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५७-सहकारिता

श्री राम किशोर व्यास (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक ४२-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डिमान्ड नं० ५७, मेजर हैड ४२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५८-उद्योग तथा रसद

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५८ मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा रसद, के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ४३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५९-विविध विभाग

श्री रिखबचन्द धारीवाल(उप-मंत्री,): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५९, मुख्य शीर्षक ४७--विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५३,०१,००० रुपये तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी !

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय मेरा कट मोशन है :

That the demand No. LIX, Major Head-47-Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 100/-(to discuss the creation of posts of progress Assistants).

सभापति महोदय, यह सप्लीमेंटरी डिमान्ड में ४० प्रोग्रेस असिस्टेन्ट इस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं, शेडो ब्लॉक्स के लिये। मैं समझता हूँ प्रोग्रेस असिस्टेन्ट क्या है....what is this instiution ?

इसका भी हमको, सदन के सदस्यों को कुछ खयाल होना चाहिये। यह पिछले दो साल से चालू किया गया है-प्रोग्रेस असिस्टेन्ट इन्स्टीट्यूट। ऐसे तो देखा जावे तो उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का है और वे उस ही डिपार्टमेंट के अन्डर में हैं लेकिन दरअसल ये लोग ब्लॉक्स में काम करते हैं और यह कहा जाता है कि ये वहां पर प्रोग्रेस को वाच करते हैं। हमने प्रोग्रेस असिस्टेन्ट के काम को देखा है और उनके काम को जांच किया तो हमने देखा कि प्रोग्रेस असिस्टेन्ट का काम कुछ नहीं है। हमने उनकी डेली डायरी को देखा। मैं यह कहूँगा कि हमारे माननीय सदस्य जो ब्लॉकों में एडवाइज़री कमेटी के सदस्य रह चुके है वे अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वहां के मिनिट्स किस प्रकार बनाये जाते हैं। उनके मिनिट्स को बनाने में उनके चार दिन लग जाते हैं और मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उसमें कितना समय लगता है। मगर वहां पर चार दिन लगते हैं। वहां तो यही होता है कि फलां बात पर यह निर्णय लिया गया। हमने उनके रेकॉर्ड को देखा तो चार चार दिन मिनिट्स के रेकॉर्ड में लगाते हैं। फिर दो चार दिन के लिये जयपुर आ जाते हैं और फिर दो चार दिन यों ही विलेज लैन्ड वर्क में लगा देते हैं और कभी कभी सप्ताह भी लग जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो उनकी रिपोर्ट जो सारी की सारी एक्सटेन्शन ऑफिसरों के पास से आती है उनको इकट्ठी करके बी० डी० ओ० के पास ले जाते हैं और उसमें वे एक सप्ताह लगा देते हैं और उस रिपोर्ट को बी० डी० ओ०

(श्री पी० के० चौधरी)

साहब फोरवर्डिंग लेटर के साथ जयपुर को रवाना करते हैं। अब सवाल यह है कि हमें प्रोग्रेस असिस्टेन्ट के मामलों में दो चीजें देखने को है आया इसकी जरूरत है या नहीं। दूसरी बात जिस पर्पज के लिये हमने इनको अपॉइन्ट किया है उससे वह पर्पज़ सर्व होता है या नहीं। सबसे पहले यह बात आती है कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भेजने के लिये ब्लॉक में उनके पास काम है या नहीं। यों तो देखा जावे तो वहां क्लेरिकल स्टाफ हमारे यहां ऑल इन्डिया पेटर्न से भी जितना स्टाफ होना चाहिये उनसे दो तीन क्लर्क ज्यादा ही रखे हुए हैं चाहे किसी न किसी बहाने से हमने उनको रखा हो। हमने उनको इसलिये अपॉइन्ट किये कि वे विलेज वर्कर्स की प्रोग्रेस को वाच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। मैं यह कहूँगा कि अगर प्रोग्रेस असिस्टेन्ट उनकी प्रोग्रेस को वाच करने का काम करेंगे तो फिर बी० डी० ओ० का क्या काम होगा? बी० डी० ओ० के पास कोई फंक्शन नहीं होगा -except supervision.

बी० डी० ओ० वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जिस प्रकार हमारे यहां पर चीफ सेक्रेटरी राजस्थान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैसे ही वहां ब्लॉक्स में बी० डी० ओ० है। उसका एक्सेप्ट सुपरविजन कोई दूसरा फंक्शन नहीं। यों तो देखा जावे तो उनकी प्रोग्रेस को देखने के लिये अलग अलग इन्सपेक्टर हैं जैसे पब्लिक हैल्थ इन्स्पेक्टर, पंचायत इन्स्पेक्टर एक एक आसपेक्ट ऑफ दी लाइफ के लिये हर एक के लिये अलग अलग इन्सपेक्टर हैं। ब्लॉक का बकायदा दफ्तर है सब एक्सटेन्शन ऑफिसरों को रिपोर्ट आती है उसको बी० डी० ओ० खुद भेज सकता है। समझ में नहीं आता कि फिर इस प्रकार प्रोग्रेस असिस्टेन्ट की आवश्यकता क्या है। आया इतना होते हुए भी प्रोग्रेस असिस्टेन्ट की कोई जरूरत है या नहीं। इस चीज को देखने के बाद हमें इनको मंजूर करना चाहिये और उनकी मंजूरी देनी है। जहां तक ब्लॉक के लिये आपने किया है, ब्लॉक्स में आज शेडो ब्लॉक्स भी आये हैं। ४० शेडो ब्लॉक्स के लिये मांगते हैं। उनकी क्या एक्टीविटीज हैं, हमें पता नहीं है। मगर मैंने जो डिमान्ड रखी है वह इसलिये रखी है कि हमने इसके लिये जो इन्सपेक्शन किया उसमें यह पाया गया कि चार दिन मिनिट लिखने में लगते है। अगर इस प्रकार से वे काम करते हैं तो क्या काम करते है। इसके अलावा जब प्रोग्रेस असिस्टेन्ट ही सब काम करेंगे तो फिर बी० डी० ओ० क्या करते हैं। जो काम ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट कर सकता है - वे सारे एक्सटेन्शन ऑफिसरों से रिपोर्ट लेते हैं और उनको इकट्ठी करके बी० डी० ओ० के पास रखते हैं और बी० डी० ओ० उसको जयपुर फारवर्ड कर देता है। क्या इसके लिये भी एक क्लर्क अपर डिवेजन का २२०) के ग्रेड का है और आप रखते हैं तो यह उचित नहीं होगा; मगर कहा यह जाता है कि यह विलेज लेवल वर्कर को इनस्ट्रक्ट करेगा। मैं यह कहूँगा कि आपके एक्सटेन्शन ऑफिसर के इन्सट्रक्शन उनके पास जाते हैं और दूसरे भी जितने इन्सपेक्टर होते हैं वे सब उनको इन्सट्रक्ट करते हैं फिर आपने इनकी यह पूंछ क्यों लगा दी कि वे विलेज लेवल वर्कर्स को इन्सट्रक्ट करेंगे? अगर किसी को एग्रीकल्चरल मेटर में उपदेश देना है तो एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफिसर मौजूद है, कोऑर्डिनेटिव का काम

(श्री पी० के० चौधरी)

हों तो कोआॅपरेटिव इन्सपेक्टर हैं, पंचायत का सम्बंध हो तो वहां पर पंचायत एक्सटेन्शन आॅफिसर मौजूद हैं। कहने का मतलब यह कि सारे फंक्शन के लिये आपके एक एक आॅफिसर मौजूद हैं उसके बाद भी-even after that-आपने प्रोग्रेस असिस्टेन्ट क्यों किया है? कहने के लिये कहा जा सकता है कि वे सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास पेश करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आपका बी० डी० ओ० क्या करेगा? अभी आपने पंचायत समिति के अन्डर में दिया है। आपने प्रोग्रेस असिस्टेन्ट का ढांचा लिया है आॅल इन्डिया पेटर्न से। मगर उस वक्त आपके सामने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का नकशा नहीं था। आज सब जिम्मेदारी पंचायत समिति पर आती है। पंचायत के प्रधान हैं और सदस्य हैं जो सारे के सारे रेस्पोन्सिबल लोग हैं उसके बाद इसकी क्या जरूरत रहती है? सिर्फ प्रोग्रेस असिस्टेन्ट का नाम देकर इनको रखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जब आपने पंचायत समिति को डीसेन्ट्रेलाइजेशन में पॉवर दिया है तो फिर इन प्रोग्रेस असिस्टेन्ट की जरूरत नहीं है। आपके पास शेडो ब्लॉक में, आॅलरेडी ब्लॉक हैं उनमें ओवर स्टाफ है। आप सरप्राइज किसी भी ब्लॉक की विजिट करें-यह दिसम्बर चल रहा है। नवम्बर की रिपोर्ट है You send for the report for the month of November 1959. चार चार दिन मिनट्स बनाने में बिताये हैं। आप वहां से उनकी डायरी मंगा कर देख सकते हैं। यह उनके काम का तरीका है। इसलिए मैंने कहा है कि उनकी कोई युटिलिटी नहीं और कम से कम पंचायत समिति के बनजाने के बाद उनकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और वह है: That the demand No. 59, Major Head 47-Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 1/- (for non-provision of schemes for the under-developed area in Tehsil Raipur of Pali District-item No. 6). सभापति महोदय, इस मांग में Scheme for development of under-developed areas-७।। लाख रुपया इसमें बताया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अन्डर डवेलपड एरिया की क्या डेफिनेशन है। कम क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र मानते हैं जो विकसित नहीं है या जिन क्षेत्रों में रुपया खर्च करनेकी मंशा हो उन्हीं क्षेत्रों को बिना विकसित क्षेत्र मान लें तो वह बात तो दूसरी है। लेकिन राज्य सरकार ने हमारे सामने इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि कौन सा इलाका अन्डर डवेलपड एरिया माना जाता है और ७।। लाख का प्रोविजन रखा है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लिये भी है या उसके लिये अलग प्रोविजन है। Scheme for the welfare of scheduled tribes, 28 lakhs. Scheme for the welfare of scheduled castes 1.50 lakhs. इसके अलावा यह Scheme for the development of under developed areas-७।। लाख रुपया है। यह अन्डर डवेलपड एरिया कौनसा है-आप किसको मानते हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता और इसलिये नहीं आता कि जो रायपुर तहसील का इलाका है उसमें कोई स्कीम नहीं जबकि वहां अन्डर डवेलपड एरिया है जिसे कहना चाहिये। अंडर डवेलपड एरिया के लिए वैसे कोई आधार नहीं है लेकिन मैं यह समझूं कि उस एरिया में लोगों को अपना रोजगार न

(श्री शंकरलाल)

मिले, जिनके पास खाने की व्यवस्था न हो, जिनको एम्प्लॉयमेन्ट न मिले, मैं समझता हूँ, वह एक अन्डर डवेलपड एरिया होता है। तो रायपुर क्षेत्र में वहां पर अधिकतर पहाड़ी इलाका आ गया है, जहां पर रावत और मेवात लोग रहते हैं, जिनके पास छोटे छोटे झोंपड़े हैं, कच्चे मकान भी जिनके पास पूरे नहीं हैं, जिनके पास खाने-पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिनके पास खेती करने के लिए पूरी जमीन नहीं है, जिनके पास खेती करने के लिए साधन नहीं हैं, जिस इलाके में कोई इन्डस्ट्री नहीं है, जहां पर दूसरे रोजगार के साधन कोई सरकार ने खोले नहीं हैं, तो क्या वह एरिया, या इलाका अन्डर डवेलपड एरिया या इलाका नहीं कहलायगा ? अगर वह अन्डर डवेलपड एरिया में आता है तो साल भर में कोई उस एरिया में नहीं आया है। सरकार लाखों रुपया अन्डर डवेलपड एरिया के नाम से खर्च कर रही है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा एरिया है जो अन्डर डवेलपड एरिया है काफी अन्-एम्प्लॉयमेन्ट की प्रोब्लम है, दूसरी जगह नहीं हो सकती है या कम हो सकती है लेकिन उस एरिया में बराबर यह प्रोब्लम है। उस एरिया में बराबर वर्षा न होने से और न ही दूसरे साधन होने से सरकार से काफी मांग की गई तो थोड़े दिनों के लिए सड़क का काम हुआ और कुछ एम्प्लॉयमेन्ट लोगों को मिला। और हजारों लोग इसमें लगे रहे लेकिन थोड़े दिनों के लिए ही वह काम था। जहां पर इतने लाखों रुपये की स्कीम्स बनती हैं और अन्डर डवेलप्ड एरिया में ३७लाख रुपये खर्च किया जावे तो ऐसे एरिया में जहां जरूरत है इस प्रकार के एरियाज को इसमें लाना चाहिये। जहां धनराशि वास्तव में खर्च की जानी चाहिये वहां वास्तव में खर्च नहीं की जाती है और जहां इसकी वास्तविक जरूरत नहीं है, बिना जांच के ही खर्च की जाती है वहां पर। इसलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और मैं सम्बन्धित मंत्रीजी से यह आशा करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे कि यदि यह अन्डर डवेलपड एरिया में आता है तो किस प्रकार से सरकार खर्च करने का इरादा रखती है।

(३.२ म० प०)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री) : सभापति महोदय, इस मांग के सिलसिले में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स के बारे में यह कहा गया है कि ये जो अपॉइन्टमेन्ट्स किये जाने वाले हैं और जो किये गये हैं उनको हटा देना चाहिये क्योंकि अब कोई उनकी जरूरत नहीं रहती। पंचायत समितियाँ बन गई हैं, बी०डी०ओज़ का काम भी यही है, डिफरेन्ट सेक्टर्स में एक्सटेन्शन ऑफिसर्स मौजूद हैं, वे काम करते हैं, बी० डी० ओज उनको सुपरवाइज़ करते हैं तो फिर ऐसे प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स की क्या जरूरत है! क्यों उनके प्रोग्रेस को वे ही वॉच करें, प्रोग्रेस को वॉच करने के लिए तो बी० डी० ओज ही काफी हैं। इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य मांग को मुलाहेज़ा करते तो उनको मालूम हो सकता था कि ये जो प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स हैं वे स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए हैं और इसीलिए उनकी नियुक्तियां भी की गई हैं। ब्लॉक्स में अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री और दूसरे दूसरे सेक्टर्स हैं, ब्लॉक्स में जो स्कीम्स लागू की गई हैं या की जा रही हैं, उनकी प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रही है,

(श्री शिवचरण भारीवाल)

उनके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, स्कीम्स के जो टार्गेट्स हैं वे पूरे हुये हैं या नहीं, क्या प्रोग्रेस है उनकी, उन सब को चॉच करने के लिए ही प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स की नियुक्ति की गई है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का यह डाइरेक्शन था और उसी बेसिस पर उन स्कीम्स की प्रोग्रेस को चॉच करने के लिए और करेक्ट स्टेटिस्टिक्स सप्लाई करने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। बी०डी०ओज़० वहां हैं यह बात ठीक है, जो ऐसी स्कीम्स हैं उनको वे एग्जीक्यूट करते हैं और जो एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होते हैं उनके कार्य में वे असिस्ट करते हैं। उनको यह कहा जाय कि तुम ही ये स्टेटिस्टिक्स भी कलेक्ट करके भेजो तो यह उनके लिए उचित नहीं होगा। जो बी० डी० ओज़० के कार्य हैं उनमें निहित कर दिये गये हैं कि वे वाच करें, सुपरवाइज़ करें और असिस्ट भी करें। लेकिन जो डवेलपमेन्ट होता है और टार्गेट के अनुसार कि वह पूरा हो रहा या नहीं, करेक्ट स्टेटिस्टिक्स सप्लाई करने के लिए, इनकी नियुक्तियां जरूरी हैं क्योंकि आजकल के जमाने में यह जरूरी है कि जो टार्गेट फिक्स करते हैं उनके ठीक ठीक स्टेटिस्टिक्स मालूम करें। इसके लिए अलग से डिपार्टमेन्ट भी है। शेडो ब्लॉक्स बना दिये गये हैं। जो स्कीम्स आज तक सरकार चलाती थी अब उनको पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिया गया है। उनको देखने के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक हो जायगा कि वे बराबर प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। इनकी नियुक्तियां की जॉय वरना यह मालूम नहीं होगा कि जो स्कीम्स ट्रान्सफर की गई हैं पंचायत समितियों को उनको किस प्रकार से वे चलाती हैं। अब तो यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि वहां शेडो ब्लॉक्स में तो बी०डी० ओज़० भी नहीं हैं। ब्लॉक्स में तो रहते हैं। इसलिए प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स का रहना जरूरी है और यह मुनासिब समझा भी गया है और इसलिए नियुक्तियां भी की गई हैं।

दूसरे कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में यह कहा गया कि करीब ३७ लाख रुपया सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के जो सेन्टर्स हैं इन अन्डवेलप्ड एरियाज़ में खर्च किये जावेंगे जिनके लिए स्कीम्स हैं। यह भी कहा गया कि रायपुर और जेतारण का इलाका अन्डर डवेलप्ड एरिया की तारीफ में आता है या नहीं? मैं निवेदन करूंगा कि जो स्कीम्स हैं और प्रावधान स्कीम्स में दिये हुए हैं, ये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्कीम्स हैं और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के आधीन हैं और कुल रुपया स्टेट गवर्नमेन्ट कोसेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्बर्स करेगी और उसके अन्तर्गत जो स्कीम्स हैं वे चलती हैं। अन्डर डवेलप्ड एरिया कौन कौन हैं, क्या क्या है किस प्रकार के हो सकते हैं? यह सही बात है कि रायपुर और जैतारण का एरिया अन्डर डेवेलप्ड है, डूंगरपुर भी है, बहुत सा ऐसा इलाका है जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है वहां उनकी वेलफेयर के लिये और सारी की सारी स्कीम्स बनाई गई हैं। तो मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस इलाके के बारे में अभी कहा है, मैं तो समझता हूँ कि अन्डर डवेलप्ड ही है। वहां पर जो जातियां रहती हैं उनकी भलाई के लिये जो स्कीमें आती हैं उन पर बराबर ध्यान रक्खा जावेगा।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इन शब्दों के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि ये कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लिये जावें और इस मांग को स्वीकार किया जावे।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर): माननीय मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसके अन्तर्गत मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमान्ड नम्बर ५६ पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने रक्खा है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५६ पर श्री पी० के० चौधरी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि डिमान्ड नम्बर ५६, मुख्य शीर्षक ४७-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५३,०१,००० रुपये तक की धन राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६०

नागरिक निर्माण कार्य

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०००) तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : सभी मूव कर दी जावें ६१, ६३, ६४, ६५ और ६६। There is no cut motion.

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१ मुख्य शीर्षक ५१-ख-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०००) तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ६३-ख-सामुदायिक विकास परियोजनाओं

(श्री रामकिशोर व्यास)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास निर्माण कार्य, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४, २७,०००) तक की धन राशि और प्रदान की जावे ।

चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण (वाणिज्य) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०००) तक की धन राशि और प्रदान की जावे।

चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ७०-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,०६,०००) तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २,०००) तक की धन राशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमान्ड नम्बर ६० मुख्य शीर्षक ५०, डिमान्ड नम्बर ६१ मुख्य शीर्षक ५१, डिमान्ड नम्बर ६३, मुख्य शीर्षक ६३, डिमान्ड नम्बर ६४ मुख्य शीर्षक ६८, डिमान्ड नम्बर ६५ मुख्य शीर्षक ७०, डिमान्ड नम्बर ६६, मुख्य शीर्षक ८१ स्वीकार की जावें ?

(स्वीकृत)

मांगें स्वीकार की गईं।

मांग संख्या ६७

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ८५-का--सरकारी व्यापार की राज्य योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०,०,१०००) तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : [मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ८५-का-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में १) की कटौती की जावे (स्टेट ट्रेडिंग द्वारा खरीद की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये मैं मांग संख्या ६७ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं-स्टेट ट्रेडिंग की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये।)]

मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में भी इस नीति के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि राज्य

Page No.89

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार इस प्रकार से स्टेट ट्रेडिंग का काम प्रारम्भ करेगी और जो अनाज के भाव बार बार बढ़ जाते हैं उन पर कन्ट्रोल कर सकेगी।

विधान सभा में भी इस पर काफी बहस हुई। सरकार ने यह बताया कि एक करोड़ मन गल्ला वह राजस्थान में खरीदेगी और किसी भी प्रकार से भावों को बढ़ने नहीं देगी और यह भी घोषणा की थी कि १३) मन के भाव पर सारे राज्य में इसके वितरण की व्यवस्था करेगी। यह महत्वपूर्ण घोषणा थी। जनता को ठीक भावों पर अनाज, कपड़ा और रहन-सहन के साधन सुलभ करना हर सरकार का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने के लिये सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया गया और यह समझा गया कि इस बार पहले साल की तरह अव्यवस्था नहीं होगी और ठीक भावों पर लोगों को अनाज मिल सकेगा। इस आधार पर सरकार ने बजट सेशन में १० लाख रुपये के करीब धन-राशि भी रखी थी। बहस में इस राशि को कम भी कहा गया। पर उस समय सरकार ने जवाब दिया कि आगे चलकर हम और रुपया ले लेंगे।

अब ५४ लाख रुपया इस प्रकार से लिया जा रहा है और इसके साथ ही क्रय-विक्रय समिति भी बनी और करीब २० लाख रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटियों को भी दिया गया। उन्होंने भी अनाज खरीदा और सरकार ने भी खरीदा। पर मुझे शिकायत यह है कि जब सरकार इतना बड़ा काम करने जा रही है तो उसे अपनी नीति बहुत पहले निश्चित करनी थी, जो वह आज तक नहीं कर पाई है। सरकार ने गल्ला खरीदा और कुछ मंडियों में पहुंचकर उसने खरीदने की बात की। पर तारीफ यह कि मार्केट में सीधा गल्ला किसानों से खरीदना था पर उन्होंने किया क्या? मार्केट में गल्ला तो आया पर किसानों से सीधा न खरीद कर व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाकर खरीदा। कहा गया कि तुम जितना गल्ला खरीदते हो उसमें से इतना इतना सरकार को देना पड़ेगा और वह इस इस भाव से देना पड़ेगा। भाव भी बांधे। मैं समझता हूँ १३) से १५) मन तक के भाव बांधे। गंगानगर में से इस प्रकार से गल्ला खरीदा गया, दूसरे स्थानों पर भी इसी तरह खरीदा गया। सीधा किसानों से या मार्केट से नहीं खरीदा। नतीजा यह हुआ कि सरकार को जहां सस्ता गल्ला मिलना चाहिये था, मंहगा मिला। सरकार ने इसलिये खरीदा कि सस्ते भाव में जनता को दिला सके। मैं कहूं कि गंगानगर मंडी में जिस समय गेहूं आया तो वहां १३, १२, तक नीचे पहुंचा। ऊपर भी गया। परन्तु १३,१२ रुपये का गल्ला प्रतिबन्ध नहीं लगाकर सरकार खरीदती तो गंगानगर से बीकानेर में गल्ला ॥) मन का खर्चा पड़कर और कुछ मुनाफा मानें तो १४) के भाव में बीकानेर के लोगों को यह गल्ला मिल सकता था। क्योंकि व्यापारियों के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हारे माल में से जब आया माल नहीं देंगे, पहले तो यह लगाया ही नहीं, तो यहां तक कह दिया कि गंगानगर से बीकानेर क्यों नहीं जा सकता। नतीजा यह हुआ कि बीकानेर जिले में तो गेहूं पैदा नहीं होता, चूरू में नहीं होता दूसरे इलाके में नहीं होता और जब प्रतिबंध लगा दिया कि बीकानेर में गेहूं नहीं ला सकते तो नतीजा यह हुआ कि वहां पर जिस समय दूसरी जगह १३ रुपये मन में गेहूं मिलता था उस समय बीकानेर

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लोगों को १८ रुपये और १८॥ रुपये के हिसाब से गेहूं लेना पड़ा। उस समय व्यापारियों को नफा कमाने का बहुत मौका मिला। तो सरकार की नीति से क्या हुआ कि जो गल्ला उन लोगों के पास खरीदा हुआ था उसको उन्होंने १८ और १८॥ के भाव बेचा। अगर यह प्रतिबन्ध नहीं लगता और बीकानेर का कलेक्टर खुला गल्ला आने देता तो लोगों को १४ रुपये के भाव से गेहूं मिल सकता था। परन्तु वह नहीं मिला और करीब दो तीन महीने नहीं मिला और जब उसके लिए काफी आवाजें उठाई गई तब जाकर खोला गया। यह व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाया कि तुम जितना खरीदते हो उसमें से हमें आधा देना पड़ेगा और वह भी इस भाव में देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि सरकार ने गेहूं की खरीद की और जब कि मार्केट में गेहूं १४—१५ रुपये के भाव से आने लगा उस समय सरकार व्यापारीयों से १३) के भाव खरीदने लगी। नतीजा यह हुआ कि व्यापारियों को रुपया, डेढ़ रुपये का नुकसान होने लगा और फिर बीकानेर में गेहूं आने लगा तो उन्होंने अपना हिसाब लगाकर वह गेहूं बाद में आया तो वह गेहूं १६॥ और १७ के भाव बिका। उसका कारण यह है कि सरकार ने अपने बंधे भाव में व्यापारियों से आधा माल खरीदा। उसकी वजह यह हुई कि आम जनता के ऊपर उसका असर पड़ा क्योंकि व्यापारी कब रुपया, डेढ रुपया का नुकसान उठाता और वह भाव बढ़ाकर जनता को देने लगे। तो सरकार नीति से जिस समय गल्ला बाजार में आया तब भी लोगों को मंहगे भाव से ही खाना पड़ा और बाद में भी क्योंकि सरकार इस प्रकार से व्यापारियों से आधा माल खरीद लेती थी और व्यापारियों को ज्यादा भाव में खरीदकर कम भाव में सरकार को देना पड़ता था वह नुकसान वे पब्लिक से वसूल करते थे। तो इस प्रकार से सरकार की नीति के आधार पर अच्छा गल्ला होने पर और अच्छी फसल होने पर भी लोगों को अच्छा अनाज सस्ते भाव से नहीं मिल सका। सरकार की निश्चित नीति होती तो मैं समझता हूं कि जनता को तकलीफ नहीं होती। परन्तु भाव बढ़े तो इस प्रकार की स्थिति रही। उसमें क्या हुआ कि जो सरकार की मशीनरी काम करने वाली थी वह एफीशियेन्ट नहीं थी। नतीजा क्या हुआ कि उसमें बहुत ब्लैक होने लगा और वहां पर जो वैगन्स मिलते थे-तो सरकार जिसके लिए कहती थी उसी को वैगन्स मिलते थे नहीं तो नहीं मिलते थे। वैगन्स दिलाने में भी भ्रष्टाचार होने लगा। माल भी किस को दें और किस को नहीं दें उसमें भी ऑफिसर मनमानी करते रहे और नतीजा यह हुआ कि माल व्यापारियों का बाहर पड़ा रहा और सड़ गया और उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ा। जो स्टेट ट्रेडिंग की बात थी उसकी निश्चित योजना होती और उसके आधार पर काम होता तो चलो ठीक बात थी। यह सब कुछ होने के बाद में अब सरकार के पास गल्ला हुआ और उसके बाद में सरकार को गल्ला मार्केट में निकालना था पर सरकार ने अभी भी उस गल्ले को मार्केट में नहीं निकाला और उसको दाबे रखा और जो विदेश से लाल गेहूं आता था उसका राजस्थान में वितरण किया। इसका वितरण जयपुर में भी हुआ और अन्य इलाकों में भी हुआ और इस तरह से वह १३ रुपये के भाव से सब जगह बिकता रहा। अब जब लाल

(श्री मुरलीधर व्यास)

गेहूं समाप्त हुआ तो जो खरीदा हुआ गेहूं था वह मार्केट में आने लगा। उसकी हालत क्या है? अभी का नया खरीदा हुआ गेहूं सरकार से पूछा गया कि यह आपने १३ रुपये मन में गेहूं खरीदा? मैं कहता हूं कि बीकानेर में गंगानगर का गेहूं पता नहीं कितना दिया लेकिन उस गेहूं की हालत मैंने देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार ने खरीदा १३ और १५ के बीच में उसमें भी रुपये में १२ आने गेहूं १३ रुपये में खरीदा और दूसरा गेहूं ऐसा हो सकता है कि जो १४ में और कुछ १५ रुपये में खरीदा। औसतन जितना भी गेहूं खरीदा वह १३॥ रुपये मन के करीब होगा। अब आपने कितना खरीदा-पांच छः लाख मन होगा। मंत्री महोदय से बातचीत हुई थी कि थोड़ा ही मिला। अब पांच छः लाख मन आपने गेहूं खरीदा और उसको औसतन १३॥ रुपये के भाव खरीदा। तो आपने किसानों को भी पैसा कम दिया और जो आपकी नीति थी जिसके अनुसार जनता को सस्ते भाव से अनाज मिलना चाहिए उसको आप १८ रुपये के भाव से बिकवा रहे हैं। १३॥ रुपये में आपने माल खरीदा उसको आप १७॥ और १८ के भाव बिकवा रहे हैं। इस तरह से एक मन के ऊपर चार पांच रुपये का मार्जिन रहा। आपके जयपुर में भी १७॥ रुपये और १८ रुपये बिक रहा है बीकानेर में बिक रहा है। तो आपका १३॥ रुपये का खरीदा हुआ अगर १७॥ और १८ में बिकता है तो मार्जन के हिसाब से कम से कम ४ रुपये एक मन के पीछे नफा होता है। इसके अन्दर आप हिसाब लगायें तो बीकानेर के अन्दर एक मन के पीछे ८ आने का खर्चा आता है और इसके अतिरिक्त ८ आने खर्चे के भी लगायें तो १३॥ के बजाय १४ रुपये बिकना चाहिये। आप का जो ५ लाख मन का गल्ला वहां गया है तो वह १४ रुपये में बिकना चाहिए, १४॥ के अन्दर बिकना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि दरअसल सरकार की नीति इस मामले में ज्यादा में खरीदकर लोगों को सस्ते भाव से देने की थी और उसी आधार पर देते लेकिन वैसा नहीं हुआ। तारीफ की उल्टी बात यह है कि व्यापारियों से बोरियां भी ले ली जाती हैं तो उसका भी मुनाफा आपके पास रहता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपका दृष्टिकोण लोगों को सस्ते में देने का था तो आप किस प्रकार औसतन १३॥ रुपये के भाव का खरीदा हुआ १८ रुपये के भाव में बिकवाते हैं। अगर बिकवाते हैं तो आपकी नीति साफ होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जब हम बातचीत करते हैं कि गेहूं १३॥ का खरीदा हुआ १७॥ या १८ में बेच रहे हैं तो क्या नीति है आपकी? क्या सरकार स्टेट ट्रेडिंग मुनाफे के लिए करती है तो जवाब मिलता है कि सरकार को मुनाफा नहीं लेना है और जो कुछ दे रहे हैं उसके लिए सरकार की नीति साफ है कि हम बिना मुनाफे के दे रहे हैं। जब कोई मुनाफा नहीं है, आपने पांच छः लाख मन खरीदा वैसे हालांकि ज्यादा खरीदना था पर उसके ऊपर मुनाफा १५-२० लाख का होना चाहिए और आप कहें कि हम बिना मुनाफे के देते हैं तो मैं कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसमें या तो आपकी पॉलिसी फेल्योर है या मिस मैनेजमेंट है या गबन है या घोटाला है। या तो आप मुनाफा बताइये और वह मुनाफा सरकार के काम में आवे, जनता के विकास के कार्यों में आये तो मैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

चलो मान लेता हूँ पर आप ऐसा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि सरकार की नीति कोई मुनाफा लेने की नहीं है तो मैं समझता हूं कि या तो इसमें घोटाला है और आपको इसमें देखना चाहिये कि यह सारी व्यवस्था टीक है या नहीं यह टीक बात है कि आपने ८,१० लाख मन ही खरीदा लेकिन आप समझें कि यदि आप १०० लाख मन खरीदते तो उसमें कितना गबन और घोटाला होता और क्या स्थिति होती उस पर आपको विचार करना चाहिये .

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में दृढ नीति होनी चाहिये। आज जो गेहूं मिलता है मार्केट में उसके बारे में मन्त्रीजी से लोग मिलने गये और साथ में जो गेहूं मार्केट में मिल रहा है उसका नमूना ले गये। अभी ताजा खरीदा हुआ जो गेहूं है उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें भूसा था, कचरा था और एक दम सड़ गया था। इस बारे में मन्त्रीजी से एक डेपुटेशन मिला-मैं भी उसके साथ गया। उनसे बातचीत की और नमूना बताया और कहा कि यह नमूना है, आप का स्टेट ट्रेडिंग मुनाफा नहीं उटाता है और जिस भाव में खरीदा है उसी भाव में बाजार में बेचा जा रहा है उसकी क्या हालत है, यह देखिये। तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ठीक बात है बाजार से यदि ऐसा मिलता है तो दूसरा खरीद लीजिये। मैं समझता हूं इस प्रकार कोई मन्त्री हो और वह इस प्रकार का जवाब देता है तो वह अपने उत्तरदायित्व से दूर हटता है। डेमोक्रेसी में यह होना चाहिये कि इस प्रकार का गेहूं क्यों मिल रहा है उसका पता लगावें और उसकी गहराई में जाना चाहिये लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का जवाब दिया गया उससे मुझे आश्चर्य हुआ। कोई माने या न माने या तो खाद्य मन्त्रीजी को इस व्यापार और अनाज के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है और यदि उनको जानकारी है तो मैं कहता हूं कि जो अव्यवस्था है उसे दूर करने में वे नाकामयाब रहे हैं। इसी कारण से केन्द्र के खाद्य मन्त्रीजी श्री अजीतप्रसाद जैन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं कहता हूं कि राजस्थान को उस तुलना में देखा जाय तो राजस्थान में जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुए यहां के खाद्य मन्त्री को त्यागपत्र देना चाहिये क्योंकि वे इस मामले में कामयाबी जरा भी हासिल नहीं कर सके। इस प्रकार की स्थिति यहां रही है, या तो उनको जानकारी नहीं रही और जो उनका दृष्टिकोण सोचने का रहा है वह इस प्रकार का रहा है कि साधारण व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार की समस्या जो बुनियादी समस्या है, एक सरकार के लिये जो बुनियादी समस्या है, सस्ते भाव में और बंधे हुए भाव से जनता को अनाज दिलाना, यह काम खाद्य मन्त्री का है और यदि खाद्य मन्त्री इसमें नाकामयाब हैं तो सारी सरकार नाकामयाब है क्योंकि इसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर है। इस स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि आपने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही, और गवर्नर ने यह बात कही, सरकार की नीति के आधार पर कही तो आपने इसके लिये कौन सा कदम उठाया ? एक करोड़ मन गेहूं खरीदने का बात कही थी तो क्यों नहीं खरीदा और जो वितरण की व्यवस्था करना चाहते थे वह क्यों नहीं की गई। यह व्यवस्था होनी चाहिये थी क्योंकि कठिन नहीं थी। पहले यह कह

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहे थे कि राजस्थान जोन मध्यप्रदेश और बम्बई के साथ है इसलिये अनाज बाहर जाने का सवाल आता है, इसलिये यह कह सकते थे कि राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, जोन अलग है हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस समय आपका जवाब मान लेते थे क्योंकि उस समय वहां स्थिति थी। लेकिन इस स्थिति से हैरान होकर जोनल सिस्टम को हटाया गया और पूरा उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार पर हुआ क्योंकि किसी भी जोन में राजस्थान नहीं रहा और फसल भी अच्छी हुई। फिर भी आप व्यवस्था नहीं कर सके तो मैं समझता हूं राजस्थान सरकार को इतना अच्छा मौका मिलने पर भी वह नाकामयाब रही है उसका कारण यह है कि खाद्य मन्त्री सारी वस्तुस्थिति से अपरिचित हैं इसलिये इस हालत में पहुँचे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है उससे लोग तकलीफ पा रहे हैं। आज आप की यह स्थिति है इस पर भी यह जवाब देना कि बाजार में भेजते हैं, जिस भाव से खरीदा उसी भाव से दुकानों पर बेचते हैं लेकिन बाजार में बिकने वाले अनाज की स्थिति इस प्रकार की है। फिर कहां गया आपका स्टेट ट्रेडिंग और कहां गई आपकी जिम्मेदारी निभाने की बात ? लेकिन सारी बातें आपकी गायब हो गई हैं। मैं कहता हूं कि अब भी सरकार को स्टेट ट्रेडिंग की नीति को दृढ़ करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। वहां पर भी अब पाटिल साहब आये हैं, पहले जैन साहब थे। पाटिल साहब ने भी मान्य किया है कि यह ठीक नहीं है। पाटिल साहब कहते हैं, उनका भी मतभेद है। मैं समझता हूं राजस्थान के खाद्य मन्त्री भी कुछ सोचते होंगे कि राजस्थान में स्टेट ट्रेडिंग रहना चाहिये या नहीं ? इसके बारे में खुली नीति होनी चाहिये। अभी तो मैं समझता हूं जहां तक नीति का सवाल है, यह स्वीकार कर लिया कि नाकामयाब रहे। आप क्यों नहीं काम कर पाये, क्या समस्या थी उसका समाधान होना चाहिये। आगे क्या योजना है जिससे बंधे हुए भाव पर लोगों को चीज दे सकेंगे। यदि नहीं दे सकें तो मैं समझता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग रहती है। आज रेडियो पर डिस्कशन था प्राइसेज और प्रोडक्शन के बारे में और उसमें यह माना गया कि सरकार की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वह प्राइसेज और प्रोडक्शन को ध्यान में रखे। यदि सरकार नाकामयाब रहती है और कोई नीति निर्धारित नहीं करती है तो मैं समझता हूं कोई निश्चित नीति नहीं होगी तो बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि जिस प्रकार पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनाई उस समय यह नीति रखनी चाहिये थी कि जिला परिषद की हद तक जिले में क्रय-विक्रय सोसाइटी या तहसील क्रय-विक्रय सोसाइटी की मार्फत खरीद की जाय और उसमें यह ध्यान रखा जाय कि जो प्रोडक्शन करता है उसको भी ठीक भाव मिल सके और आम जनता को भी माल ठीक भाव पर अच्छा मिल सके। परस्पर सामन्जस्य का सम्बन्ध हो। स्टेट ट्रेडिंग का जो तरीका है वह डीसेन्ट्रेलाइजेशन का होना चाहिये, आपका तरीका सेन्ट्रेलाइजेशन का हो गया। अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया और नतीजा यह हुआ कि अफसर नाकामयाब सिद्ध हुए। आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन में डीसेन्ट्रेलाइजेशन

(श्री मुरलीधर व्यास)

को स्वीकार किया है तो आपको नीति बनानी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में किस प्रकार से काम करें।

ठीक बात है कि स्टेट ट्रेडिंग करते हैं और मन्त्रीजी जैसा कहते हैं कि बाजार में खरीदो, हमारे पास जैसा गल्ला है वैसा लेना हो तो लो। इस प्रकार की बात यदि है तो सरकार की कोई नीति नहीं है। मैं समझता हूं इस मामले में सरकार को दृढ़ नीति बनानी चाहिये नीचे से ऊपर तक और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और बार बार नीति बदलना नहीं चाहिये। यदि बार बार बदलते हैं और स्थिर नीति नहीं रखते हैं तो उसका असर सब पर होता है।

मैं सोचता हू आपने जो ५० या ५४ लाख रुपये इसके लिये रखे हैं उसमें से सात या साढे सात लाख रुपये कमीशन एजेन्टों के लिये रखे हैं। मैं नहीं समझ सका कि आपने जितना माल खरीदा, १० लाख रुपये का पहले खरीदा और ५४ लाख का अब खरीदा कुल ६४ लाख रुपये स्टेट ट्रेडिंग में लगाये। उनमें से साढे सात लाख रुपये कमीशन एजेन्टों को जाते हैं तो कितना पर्सेन्टेज कमीशन एजेन्टों को जाता है। आज के समाजवादी युग में माध्यम वर्ग व्यापारी है उनको हटाना चाहते हैं तो फिर यह कमीशन एजेन्टों का दूसरा कौन सा वर्ग खड़ा कर दिया गया। ये कमीशन एजेन्ट कौन हैं? बीच का मुनाफा जो व्यापारियों के पास जाता था उसे अपने एजेन्टों को देना चाहते हैं तो यह बुरी चीज है।

आप इस प्रकार से इसके अन्दर एक नीति नहीं रखते हैं। आपने साढ़े सात लाख रुपया एक कमीशन एजेन्ट को दिया। आप कहेंगें इसके अन्दर कुछ इस प्रकार के खर्चे भी हैं, माल इधर से उधर भेजने का व खरीदने का। तो कहां कहां से कितना माल खरीदा? खर्चा मुनाफे में लगता है वह नुकसान नहीं है। उसके आधार पर साढ़े सात लाख में कितना दूसरा इस प्रकार से किया।

इसके अतिरिक्त इसके अन्दर जो दूसरा खर्चा है, मैं समझता हूं कि वह खर्चा भी आपने उसमें से कुल माल कितना खरीदा है, उस खरीद में कितना लगा और इसके अतिरिक्त दूसरा खर्चा कितना रखा? व्यापारी जिस प्रकार से जब गल्ला खरीदता है तो एक मन पर कितना खर्चा पड़ता है उसका हिसाब लगाता है। आप एक मन के पीछे जो कमीशन देते हैं आठ आना या दस आना उसका भार किस पर पड़ता है? वह जनता पर पड़ता है, खरीददार पर पड़ता है। आप स्टेट ट्रेडिंग करते हैं लेकिन एक व्यापारी का जो खर्चा होता है उसके खर्चे से आपका खर्चा ज्यादा होता है, तो मैं समझता हूँ कि वह व्यापार का तरीका नहीं है। व्यापार व्यापार के तरीके से होगा, और उसका दृष्टिकोण होगा जनता को सस्ते भाव से अनाज देने का। आपने कितना गल्ला खरीदा? उस गल्ले पर आपको कितना खर्चा लगा? उसका औसतन एक रुपये के पीछे कितना खर्चा होता है? एक व्यापारी का कितना खर्चा होता है अगर आपका एक रुपये के पीछे चार आना खर्च होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है। एक व्यापारी का एक रुपयेकी चीज़ खरीदने के अन्दर दो पैसे का खर्चा होता है। आपका चार आना होता है, यह बहुत

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज्यादा है। इसकी तुलना आपको करनी चाहिए। इसको देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपका स्टेट ट्रेडिंग में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कमीशन एजेन्सी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यह बड़ी है कि आप खर्चा बतायेंगे जैसे कि मैंने इस संबंध में कलक्टर से बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि हमको गोडाउन लेना पड़ता है। इन्श्योरेन्स कराना पड़ता है। डी. डी. टी. छिड़कवानी पड़ती है। इससे खर्चा ज्यादा पड़ता है। आपने डी. डी. टी. कितने रुपये की छिड़की। आपकी डी० डी० टी० से इस प्रकार का गल्ला सड़ जाता है। आप कोई चीज़ छिड़कते हैं इसलिए कि गल्ला बचना चाहिए, लेकिन गल्ला सड़ा हुआ है, और आपका खर्च लगता है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि डी० डी० टी० छिड़कने से भी गल्ला कैसे सड़ गया, इसमें घुन पड़ गया। तो यह कौन से खर्च होते हैं इसका आप पता लगायें, जैसा कि मैंने पता लगाया है। मुझे यह पांच खर्चे बताये गये, इन्श्योरेन्स, गोडाउन, यह डी०-डी० टी०, और फिर इसके खरीदने में ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़े और इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है।

यह जो इस प्रकार की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर इस स्थिति के आधार पर काम किया है तो राजस्थान के खाद्यमंत्री उसके खर्चे के अन्दर जिम्मेदार थे कि एक व्यापारी के तरीके से, ठीक तरीके से खरीद करके जनता को सस्ते भाव से देते। व्यापारी का दृष्टिकोण मुनाफे का होता है, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण मुनाफे का नहीं था। मगर फिर भी जनता को अनाज इस प्रकार से मंहगा मिलता है तो साफ है कि राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग और राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री इस मामले में नाकामयाब हुए हैं। अगर नाकामयाब हुए हैं तो उनको इस मुद्दे पर त्यागपत्र दे देना चाहिए, और इस महकमें को दूसरे को देना चाहिये ताकि स्थिति सम्हाली जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि खाद्यमंत्री इस स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे, और यह ऐसा सवाल है कि जिसका आम जनता से सम्बन्ध है। इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करेंगे, जैसा कि मेरी मांग है। मै समझता हूं कि अगर आप इस मामले में काम नहीं कर सकते हैं - आपके पास बड़े बड़े महकमें हैं, और उन महकमों की वजह से आपको समय नहीं मिलता है और यह महकमा नहीं सम्भालता है-तो त्यागपत्र दे देना चाहिये। मैं तो यह कहता हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल महकमा अलग होना चाहिये और इसके ऊपर एक मंत्री पूरा रखें जिससे कि वह इस काम को अच्छी तरह से देख सके ताकि इस नीति के अन्दर किसी न किसी प्रकार की कामयाबी मिल सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री) : चेयरमैन महोदय, स्टेट ट्रेडिंग के बारे में माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, और उसके बारे में जो बहुत सी बातें कहीं वे तथ्यों से दूर, बेबुनियाद और बहुत सी XXXX बातें कही यहां पर....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : XXX इस प्रकार से मंत्री महोदय कह दें ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। आप बोल रहे थे तब मैं बोला नहीं फिर क्यों डिस्टर्ब करते हैं।

XXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सभापति महोदय से अर्ज कर रहा हूँ।

श्री सभापति : Order, order Please No direct talks please.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप भी सुनने का माद्दा रखें....

श्री मुरलीधर व्यास : अगर आप इसको ठीक करते हैं तो यह आप की योग्यता है, लेकिन सदन में यह ठीक नहीं ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुनने की हिम्मत रखें। अभी से आप क्यों घबड़ा रहे है, अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ ....

(घंटी)

अभी से क्यों घबड़ा गये।

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो शब्द का उपयोग किया है वह खास मायने में किया है। लिटरल सेन्स में शब्द बुरा शब्द नहीं है, लेकिन जो इस तरह से यूज़ किया जाता है तो इस से अन्पार्लियामेन्ट्री हो जाता है, वह डिलीट किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is notthing un-parliamentary in that.

श्री सभापति : लिटरल सेन्स में गलत मतलब नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मगर मैं उन्हें बतला दूँ कि ये सारी बातें कही है, उसका कारण क्या है। एक रोज उनके दो साथी अनाज लेकर यहां पर आये थे और कहते थे कि अनाज खराब है। न तो वे दूकानदार थे और न सरकारी दूकान पर बेचते हैं और न वे खरीद कर ही अनाज लाये थे। वे आधा पाव गेहूँ का नमूना लाये थे। मैंने उनसे कहा कि एक दूकान पसन्द नहीं है तो दूसरी दूकान से खरीद लो अगर सरकारी दूकान पर गल्ला खराब मिलता है। दूकानदार शिकायत करते मेरे पास तो ठीक बात थी। अगर शिकायत आयेगी तो जांच करेंगे। सिर्फ कारण यही है कि इनकी पार्टी के दो आदमी आये थे और आधा पाव गेहूँ का नमूना कहीं से ले आये थे और कह रहे थे कि सारे राजस्थान का गल्ला सड़ा हुआ है ....

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बीकानेर की की मांग करता हूँ।

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर माननीय सदस्य लिखकर दें तो मैं जांच करूंगा। यों तो बहुत से लोग मिलते हैं सदन में, बल्कि मुझे इस बात के लिये बदनाम कर रखा है कि मैं अपोज़ीशन की बात ज्यादा सुनता हूँ।

माननीय सदस्य उस बात को लेकर बेधड़क बोल गये कि सब नाकाबिल हैं। केवल माननीय सदस्य ही बहुत काबिल हैं। वे यह समझते हैं कि जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट में खाद्य-मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो वैसे ही यहां भी इस्तिफा दे दें। तो उनको फायदा नहीं होने वाला है। वहां तो कांग्रेस का ही आदमी होने वाला है। उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन बातों से कोई नतीजा नहीं निकलता है। तथ्यों को समझना चाहिये कि हम किस परिस्थिति में से गुज़र रहे हैं। वे स्टेट ट्रेडिंग को अपोज़ कर रहे हैं तो इसका

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मतलब साफ है ! यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य राजस्थान को बम्बई से लिंक कर देना चाहते हैं, और बम्बई से लिंक होने का मतलब यह हुआ कि-पिछले साल जो स्थिति हुई और परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से एक जोन बनवाया । जो खड़े होकर कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग फेल हो गया, राजस्थान सरकार उसमें फेल हो गई तो इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य राजस्थान को बम्बई से लिंक कर देना चाहते हैं । इस तरह की दलील का मतलब और कुछ नहीं है । दलील ही यही है कि स्टेट ट्रेडिंग फेल हो गया तो आपने कह दिया कि मिनिस्टर नाकाबिल हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट नाकाबिल हो गई । इसका मतलब यह होगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह मतलब निकालेगी कि हम ठीक तरह से नहीं चलते हैं तो इनको बम्बई से लिंक कर दो । सदन की जानकारी के लिये कह दूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमें बम्बई से लिंक करना चाहती है । वह अगर कर देती है तो यह बहुत गलत बात होगी और राजस्थान का हित नहीं होगा । अगर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट नाकाबिल है, अनाज नहीं खरीदती है, अनाज के लिये प्रोविजन तो है लेकिन सरकार नहीं खरीदती है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह कहेगी कि आपको बम्बई से लिंक कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चलाकर नहीं करना चाहती है । गवर्नमेंट नाकाबिल है । लेकिन हमको उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिन परिस्थितियों के अन्दर स्टेट ट्रेडिंग की बात कही है और ली गई है । स्टेट ट्रेडिंग का प्रोग्राम बनाया है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वह सारे हिन्दुस्तान के लिए बनाया है । परिस्थिति क्या थी ? पिछले साल भाव इतने तेज थे कि करीब २५ रु०, ३० रु० मन गेहूँ का भाव राजस्थान में रहा और जो गेहूँ की कीमत मुकर्रर की गई,लाल गेहूँ १३ रु० मन, सफेद गेहूँ १४ रु०, १५ रु० मन इस भाव पर कोई काश्तकार देने को तैयार नहीं था, जो उस गेहूँ को बाजार में बेचने के लिये लाता । यह बात सही है कि जब तक काश्तकार बाजार में गेहूँ नहीं लायेगा, तब तक सरकार गेहूँ नहीं खरीद सकती । स्टेट ट्रेडिंग में यह नहीं कहा है कि काश्तकार के घर घर जाकर गेहूँ इकट्ठा करेंगे । काश्तकार जब बाजार में लाये,तभी खरीद सकेंगे । चेयरमैन महोदय, आप उन फिगर्स को देखें तो पता लगेगा कि कोटा मंडी में, जो गंगानगर मंडी के बाद दूसरे नम्बर की मंडी है, उस मंडी में इतना अनाज नहीं आया, जितना वहां के खाने वालों के लिये काफी हो । जब गेहूँ मंडी में नहीं आया तो हम खरीदें कहां से ?

काश्तकार के घर घर जाकर तो गेहूँ इकट्ठा नहीं कर सकते । जितने मंडी के व्यापारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैंने पर्सनली जाकर देखा है गंगानगर और हरएक मंडी में जाकर देखा है, कोटा की हरएक मंडी को देखा है,पर्सनल लेवल पर जाकर बातें की हैं । सरकार का निश्चय था कि १४ रु० मन के भाव से गेहूँ खरीदेंगे जब कि पिछली साल मार्केट में गेहूँ का भाव २० रु०, २५ रु० मन तक रहा, इसलिये काश्तकार ने समझा, यह गेहूँ मार्केट में नहीं लाना चाहिए, इसलिए वह नहीं

लाया और हम उतना अनाज खरीदने में असमर्थ रहे । आज भी कोटा मार्केट में १८ रु०, १६ रु०. २० रु० मन गेहूँ है । दूसरी बात यह है कि पिछली साल, कन्जूमर थे, उनको तेज भाव में गेहूँ खरीदना पड़ा ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जितना माल बाजार में आया, लोगों ने एक साल के लिए खरीदने की कोशिश की। मैं कोटा गया, वहां व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने कहा जितना गेहूँ आता है, खाने वाले इस कोशिश में हैं कि एक साल के लिये खरीद लें क्योंकि आयन्दा न मालूम क्या बात हो, आयन्दा तेज भाव हो गये, तो तेज भाव पर गेहूँ मिलेगा। तीसरी बात हमारे सामने आई, वह यह आई कि पिछली साल मंडी में जितने व्यापारी थे, उनके पास जितना गेहूँ था, वह प्रोक्योर कर लिया था और उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसलिये लोगों ने मंडी में से गेहूँ नहीं खरीदा और जिस समय मंडी में गये, उस समय मई, जून था, तब व्यापारियों ने कहा कि इतना अनाज हमारे पास है, यह देने को तैयार हैं। उनके पास जो स्टाक था, वह स्टाक नेग्लीजिबल स्टाक था। किसी ने स्टाक करके नहीं रखा था। क्योंकि पिछली साल की परिस्थिति की सम्भावना थी। हमने जो अनाज खरीदा है, माननीय चेयरमैन महोदय, मैं अदब के के साथ अर्ज करूंगा कि वह हमने बहुत कोशिश करके, बहुत परिश्रम करके खरीदा था। इन परिस्थितियों में यह कहा जाय कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं होना चाहिये, यह ठीक नहीं है। चौथी परिस्थिति और है, जिसको माननीय सदस्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, वह यह है कि हमने कम्पलीट स्टेट ट्रेडिंग नहीं किया है। कोटा में आज बाजार में गेहूँ आना चाहिए, लेकिन कोटा के काश्तकार बाकी अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गेहूँ के अलावा बाकी जितना अनाज है, वह राजस्थान से एक्सपोर्ट हो रहा है। इस साल सवा लाख मन के करीब चना एक्सपोर्ट हुआ है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) : On a point of order, Sir. माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सवा लाख मन चना मंगाया है। हमारे यहां पर चने का बीज तक नहीं आया। हमने पूछा तो कहा कि चना नहीं आया।

(घंटी)

श्री सभापति : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय चेयरमैन, खाद्य स्थिति पर बहस हो रही है, मैंने बहस सुनी है।

(घंटी)

श्री सभापति : जब कटमोशन रखा गया, उसको आप सपोर्ट कर सकते थे और बोल सकते थे।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब माननीय सदस्य और माननीय मंत्री दोनों की बात मिलान नहीं खाती है तो स्पष्टीकरण करना जरूरी हो जाता है। चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं ....

(घंटी)

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्री महोदय का भाषण सुन लीजिये उसके बाद ....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय चेयरमैन, मंत्री महोदय बता रहे थे ....

(घंटी)

हमें चना खरीदना पड़ा, जब कि ग्राम पंचायत को ....

(घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री हरिप्रसाद यादव : अनाज सड़ रहा है, गल रहा है और ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। यह कोई मौका नहीं बोलने का, इस तरह इन्ट्रप्ट न करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि सवा लाख मन चना बाहर गया है, सरकार ने नहीं खरीदा था। हमने १ लाख मन चना खरीदा था....

श्री हरिप्रसाद यादव : फिर सवा लाख मन चना बाहर क्यों भेजा गया जब राजस्थान में खाद्य स्थिति से हम लड़ रहे हैं ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी भी शिकायत यही है, जो आप कह रहे हैं। राजस्थान में गेहूं के अलाव जितने ग्रेन हैं, मैंने चने के बारे में अर्ज किया, जो हमारे यहां से बाहर जाता है, बाजरा भी हमारे यहां से बाहर गया है और इस समय ज्वार और मक्की राजस्थान से बहुत ज्यादा बाहर जा रही है। वैसे हमारा स्टेट सरप्लस स्टेट है, यह बात ठीक है। लेकिन जब तक हमारे ग्रेन का एक्सपोर्ट बन्द न कर दें और कम्प्लीट स्टेट ट्रेडिंग न कर दें तब तक ग्रेन को पर्चेज करने में कामयाब नहीं हो सकते। पोजीशन यह है कि कोटा डिवीजन में गेहूं खरीदने की बात करते हैं, तो वहां के काश्तकारों ने ज्वार, मक्की खाना बन्द करके ज्वार, मक्की बाहर भेजना शुरू कर दिया और जितना गेहूं उनके पास है, वे खाते हैं। इस तरह जितन अनाज मर्केट में आना चाहिये उतना नहीं आया है। इस परिस्थिति को ध्यान में रख कर यह खयाल करना चाहिये कि हमने जो पर्चेज किया है उसमें कहां तक कामयाब हुए हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग को नई बात थी, उसके अन्दर नई समस्या आई, उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और अभी पर्चेजेज चल रहे हैं। इसलिए नाकामयाब होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहां से गेहूं के अलावा बहुत सा अनाज बाहर गया है। उस दृष्टि से राजस्थान उतना सरप्लस नहीं है जितना माना जाता है। इस खयाल को सामने रख कर विचार करना चाहिए।

अब एक बात रही मुनाफे की। मैं उसके बारे में अर्ज करूंगा कि हमने मुनाफे की दृष्टि से इस काम को नहीं किया लेकिन जो एक्सपेन्डीचर किया है, जितना खर्चा हुआ है, उसका हिसाब लगा कर जो मार्केट प्राइस रखी है, उसको दृष्टि में रखते हुए जो फायदा होने वाला है, वह गवर्नमेंट को होने वाला है। हमने अभी डेफीनेट फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे नहीं किये हैं। वैसे स्टाक लगा रखा है, उसका खर्चा है, गोदामों का किराया है, इधर-उधर भेजने का खर्चा है, इनको देख कर मालूम होगा कि कितना नुकसान हुआ है या कितना फायदा हुआ है। माननीय सदस्य का यह कहना कि गबन हो गया, यह गलत है। अभी सारे अकाउन्ट्स इकट्ठे नहीं हुए हैं, अकाउन्टेन्ट लगा रखे हैं। जब सारे आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद पता लगेगा कि कितना फायदा या नुकसान हुआ है, इसलिए गबन का सवाल पैदा नहीं होता। इस समय हम जो अनाज दे रहे हैं, वह राजस्थान भर में एक प्राइस पर दे रहे हैं। १४ रु० मन में जो गेहूं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

खरीदा, वह जैसलमेर, बाड़मेर, सारे राजस्थान में एक कीमत पर दे रहे हैं। यह हो सकता है कि बीकानेर में जो अनुभव है, उससे ज्यादा हो लेकिन सारे राजस्थान की दृष्टि से देखते हुए कीमत ज़्यादा नहीं है। फिर अगर फायदा होगा वह सरकार को होगा, उसमें गबन की बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उसमें गड़बड़ी की बात नहीं है ....

श्री **मुरलीधर व्यास** : आपसे बातचीत हुई थी। आपने कहा था कि बिना मुनाफे के दे रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी नीति है कि मुनाफा नहीं होना चाहिये, हमने जो हिसाब लगाया वह इसी दृष्टि से लगाया। अब जो फायदा या नुकसान रहेगा वह अकाउन्ट देखने से पता लगेगा। इसलिये आज यह कहना कि गबन हो गया, मुनाफा नहीं है, यह बात ठीक नहीं है।

अब एक बात यह कही गई कि काश्तकार से खरीदना चाहिये था, उसके बजाय व्यापारियों से खरीदा। मैं अर्ज करूंगा माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान के व्यापारियों ने इस मामले में बड़ा सहयोग दिया। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैं और फूड कमिश्नर गये और व्यापारियों को इकट्ठा किया। मैं आपको निवेदन करूं कि एक महीने तक जितना ग्रेन बाजार में आया, उसको गवर्नमेंट ने खरीदा, व्यापारियों ने किसी तरह पर्चेज नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हम जिस प्राइस पर खरीदना चाहते थे, उसके कारण, जहां रोज २० हजार मन मंडी में आता था, वहां दो हजार मन तक रह गया। दूसरी शिकायत यह रही कि जितना आता था, वह गेहूं हम खरीद लेते थे इसलिये दूसरे इलाकों में गेहूं नहीं मिलता था। माननीय सदस्य का कहना था कि बीकानेर में नहीं मिला। इसलिये यह तय किया कि जितना बाजार में आता है, उसमें से आधा गवर्नमेंट खरीदेगी और आधा व्यापारी लोग खरीदेंगे

(४ म० प०)

तो हम व्यापारियों से खरीदते थे और व्यापारी हमारे कमीशन एजेंट थे। अब यह व्यापारियों के देखने की बात है कि वे कितने में खरीदते थे, इस बात की आवश्यकता कैसे हुई कहने कि जब कि व्यापारियों ने वालेंटरीली एग्री किया, इसकी तारीफ करने के बजाय माननीय सदस्य कहते हैं कि ज्यादती की। मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे दफ्तर में किसी व्यापारी की शिकायत नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी तरह की जबरदस्ती की है। हमने बैठ कर बात करके यह बात तय की कि बाहर अनाज भेजने से दिक्कत होती है, इसलिये आधा गेहूँ बाहर भेज दो आधा गवर्नमेंट खरीदेगी। जैसे कि पंजाब में उन्हें मुनाफा दिया जाता है उसी तरह यहां भी मुकर्रर किया था। तो यह बात बिलकुल ठीक बेसिस पर की गई थी, इसके मामले में किसी तरह की दिक्कत शिकायत नहीं होनी चाहिये थी। यह सारी समझने की बात है। अगर माननीय सदस्य समझ नहीं सके थे तो हम समझा देते कि हमने यह रास्ता अख्तियार किया है। वह ठीक रास्ता अख्तियार किया है, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है क्योंकि मार्केट में प्राइसेज बहुत ज्यादा हैं। हमने इरादा किया था कि गंगानगर की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मंडियां से खरीदेंगे पर प्राइसेज बहुत ज्यादा हैं, इसलिये हमने यह फैसला किया। और और एरियाज में गेहूँ पैदा होता नहीं वहां गेहूँ मिलेगा। इन परिस्थितियों में जो कुछ काम हमने किया है, वह बहुत अच्छा किया है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब भी माननीय सदस्यों को शक हो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। कोई लोस की बात नहीं है, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है और कोई इनएफिशियेन्सी की बात नहीं है। परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके प्रभाव से करना पड़ा, मजबूरियां थीं उनमें यह किया है और राजस्थान इसमें कायाम हुआ है।

जिन माननीय सदस्य ने मुझसे नाराजगी जाहिर की, उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेंगे और इस डिमान्ड को पास करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : भावी नीति के बारे में नहीं कहा कि यही नीति होगी या क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार की नीति है वही हमारी नीति है।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान की क्या नीति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही नीति है जो भारत सरकार की है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने जो कहा है उस दृष्टिकोण से मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने मांग संख्या ७७, मेजर हैड ८५ पर पेश किया है, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६७, मेजर हैड ८५ व डिमान्ड संख्या ६८, मेजर हैड ता, स्वीकार किये जायं।

श्री पी० के० चौधरी : have also got a cutmotion.

श्री सभापति : टाइम हो चुका है।

श्री पी० के० चौधरी : I will take only five minutes.

श्री सभापति : I am very sorry. I cannot help it because it has already been decided previously.

श्री पी० के० चौधरी : But Sir I will take only five minutes.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डिमान्ड नं० ६७, मेजर हैड ८५ व डिमान्ड नं० ६८, मेजर हैड ता, स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order Sir. Item No. 67 has not been put to vote.

श्री सभापति : It has been put to vote.

(४.५ म० प०)

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी वादविवाद

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-मु०) : कर लिया है, जरा कान....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir. That a copy of the Appropriation Bill has not yet been circulated to us.

श्री सभापति : Yes. So ?

श्री पी० के० चौधरी : This Appropriation Bill cannot be presented in the House unless a copy of it is circulated to the members.

श्री सभापति : It is being circulated just now.

श्री पी० के० चौधरी : Unless we see it how can we have discussion on it ?

श्री सभापति : A copy of the Bill is circulated only after introduction.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. It is always circulated prior to the introduction.

I draw your attention to Rule 154.

श्री सभापति : Which Rule you are referring ?

श्री पी० के० चौधरी : 154.

श्री सभापति : Yes carry on.

श्री पी० के० चौधरी : This Rule 154 says that subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary. So it applies to all the Bills. A copy of the Bill is supplied to the Members concerned before its introduction.

श्री सभापति : The wording of this Rule are—

"Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary." So herein the discretion is being given to the Speaker

श्री पी० के० चौधरी : But the Speaker's discretion will be used in favour of the Members. The Speaker should not say that it...

श्री सभापति : I am giving my observations that a copy of it should be given just now.

श्री पी० के० चौधरी : But till it is there, we cannot introduce.

४. ८. म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : I think, I will abide by the Ruling given by the Chair. I think the discussion can proceed on now.

श्री पी० के० चौधरी : But we have not yet received the copy of the Bill, Sir.

श्री अध्यक्ष : The Bill is nothing but a summary of the demands that you have discussed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The debate connot proceed on till we receixe a copy. A copp of the Bill should have been circulated before.

श्री पी०के०चौधरी : I hope the Hon'ble Speaker will not use his discretion

श्री अध्यक्ष : At least on this occassion, I will. Though I will see that it does not happen next time.

श्री पी० के० चौधरी : But because we have not yet got the copy how can we know what is the total amount.

एक माननीय सदस्य : Let him read the whole Bill.

श्री अध्यक्ष : If you insist on ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री वित्त) : If the Hon'ble Member is insisting I will do, but it will be a repetition...

श्री अध्यक्ष : Little variation has been allowed because no sort of amendment is contemplated here. In other amendments, we cantemplate some amendments. More or less, it is a formal compliance of the provisions.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : According to the Rules of Procedure, I may submit Sir, that this procedure cannot be waived that a bill is not circulated. After it is circulated, any member can again table an amendment to the Appropriation Bill. The Bill should have been circulated. In the case of financial Bill, it is more so that the Bill should have been circulated before introduction, so that the Hon'ble Members can dicuss it.

श्री अध्यक्ष : The whole thing has a slight variation...

श्री श्रीमानसिंह : But the Bill is not before us.

श्री अध्यक्ष : The Bill is only a summary of the demands that the House has already passed.

श्री पी० के० चौधरी : It is not that...

श्री अध्यक्ष : Mere absence of copy should not interfere with the discretion of the Chair.

श्री पी० के० चौधरी : But a withdrawal of larger amount might also be included in the Bill and that we don't know...

श्री अध्यक्ष : That cannot be done.

श्री पी० के० चौधरी : We will like to have a copy of the Bill.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : But the Bill is ready and that can be circulated.

श्री अध्यक्ष : Yes. Discussion on the Appropriation Bill is in the nature of general things that have not been covered. The Bill is being circulated in the meanwhile.

So everyone seems to be satisfied.

श्री श्रीभान सिंह : I am not satisfied. I will request the Chair that this Bill must be circulated before discussion.

श्री अध्यक्ष : It is being circulated and in the meanwhile we can proceed on the motion.

(४. १३ म. प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५६

(पुरः स्थापन, विचार विमर्श एवं पारण)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड है और उसके लिये यह एप्रोप्रियेशन बिल है उसके सम्बन्ध में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमान्ड आई हैं उनमें जगह जगह (अश्रव्य) है वे इस बात को इन्डीकेट करती हैं कि बजट सिस्टम गलत है।

इसके बाद में मैं समझता हूं कि फरवरी में दूसरी सप्लीमेंट्री डिमान्डस् हमारे पास आनेवाली हैं। जो डिमान्ड हमारे सामने आई उन पर लिखा है–फर्स्ट बैच—It is not the final supplementary grants for this year. We are waiting for the second instalment of the suppltmentary demands .So it reflects on the fina-

Page No.105

(श्री पी० के० चौधरी)

nce ministry as to how the Budgets are prepared.

वैसे तो सप्लीमेंट्री डिमान्ड लाना ही नॉर्मल कोर्स में ठीक नहीं है और जब सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स एट दी एन्ड ऑफ दिसम्बर में हमारे सामने लाते हैं और फिर यह रखते हैं कि यह फस्ट बैच है--This is the first batch. And probably in February, when we will be meeting to pass the next year's budget, there will be another supplementary grant.

अध्यक्ष महोदय, इसमें है—गवर्नमेंट किस तरह से without discretion finance करती है। एक विषय की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोन्स एन्ड एडवान्सेज पर हमको डिस्कशन करने का मौका नहीं मिला। आज हम जो विजय नगर शुगर मिल है उसको हम ३ लाख ८३ हजार लोन का रीपेमेन्ट करने जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने प्रश्न किया था कि विजय शुगर मिल को राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से लोन दिया जा रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट ने Vijay sugar mills के लिये unusual procedure adopt किया।

किसी प्राइवेट कन्सर्न को लोन दिलाने में unsual procedure adopt किया। यह क्या था ? यह था कि यह पांच लाख रुपया शुगर मिल नहीं दे सकेगी तो राजस्थान सरकार पेमेन्ट करेगी। पिछले साल मैंने इस सम्बन्ध में ऑब्जेक्शन उठाया था कि किसी प्राइवेट कन्सर्न के लिये लोन नहीं दिलाना चाहिये और अगर दिलाते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज़ और एसेस्ट्स को देख कर ही उसको लोन दिलाने चाहिये। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिया गया वह सेटिसफेक्ट्री नहीं था। एक साल पहले मैंने फोरकास्ट किया वही सामने आया है। It has been an accomplished fact. वह यह है कि एक साल भर से वह शुगर मिल बन्द पड़ी है। यह टोकन डिमान्ड है। A token demand of Rs 1000/-required in connection with re-payment of a loan of Rs. 3,83,734/-on account of principal and interest charges upto 8th November, 1959 to the Rajasthan Financial corporation, Jaipur on behalf of M/s Vijay sugar mills Ltd, Vijaynagar for which the State stood as a guarentor. The additional amount required will be met by re-appropriation of savings within the grant and token vote only is necessary. Efforts are being made to recover the amount from the concern.

और यह कहा गया कि एमाउन्ट विजय शुगर मिल से रिकवर किया जावेगा और उसके फुट नोट में लिखा है 'It is a loan to the Vijainagar sugar mills on account of repayment of loan with interest granted to them by the Rajasthan Financial corporation, Jaipur.'

यानी इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट पर एक जगह यह कहा गया कि हम रीपेमेंट राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन को करते हैं और दूसरी और बताया गया है कि हम ३।।। लाख लोन का देते हैं। यह जो हमारा, अध्यक्ष महोदय, लोन का तरीका है वह डिफेक्टिव पाते हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

आज विजय शुगर मिल का प्रोप्राइटर है यह विजय नगर कॉटन मिल का भी है। वह आज १॥ साल से बन्द पड़ी है-शुगर मिल एक साल से बन्द पड़ी है। भीलवाड़े में है वह कई सालों से बन्द पड़ी है। इसकी १० लाख की लाइबिलिटी है। उसके कोर्ट से डिक्रीज़ हो गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं शुगर केन ग्रोअर में उनको भी पेमेन्ट नहीं किया। ब्याज का भी पेमेन्ट नहीं किया। आज सरकार हमारे सामने डिमान्ड लेकर आती है कि ३॥। लाख का पेमेन्ट करते and efforts will be made to recover this amount from the Co. नीचे ५ नं० में बताते हैं कि We are advancing it as a loan to the company, interest charges to the Rajasthan Financial Corporation......

क्या हम उसको हैल्प कर रहे हैं या राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन को उसका लोन दे रहे हैं? यह गवर्नमेंट की पॉलिसी में लोन देने का तरीका है। ऐसे को देते हैं जो होपलैस होते हैं। हमें उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी को देखना चाहिये जो हम नहीं देखते हैं और मैं यह कहूँगा कि हमारा लोन देने का तरीका साउन्ड बेसिस पर नहीं है। इस सम्बन्ध में सदन के सामने समय समय पर कई प्रश्न आये हैं कि लोन देन की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रखी है वह ठीक नहीं है। किसी भी कन्डीशन में देते हैं मगर हम यह देखते हैं यह ५ लाख का इन्ट्रेस्ट भी हमारी राजस्थान गवर्नमेंट पे कर रही है इससे तो बहतर यह होता है कि ५ लाख पहले ही एडवान्स कर देते। पांच लाख के ऊपर दो लाख और देते हैं क्योंकि

इस गवर्नमेंट की नीति का मैंने उसी समय विरोध किया था कि किसी प्राइवेट कन्सर्न की गवर्नमेंट को गारन्टी नहीं देनी चाहिये लोन रीपेमेन्ट की। उसको उस समय इन्कार कर दिया। लेकिन उसके एसेट्स पूरी सिक्योरिटी नहीं है उसके बाद भी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट के लिये गवर्नमेंट गारेन्टर बनती है, सिक्योरिटी देती है, यह एक अनयूजअल प्रोसिजर है जिसका साल भर पहले विरोध किया था और आज उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रान्ट मांगते हैं। दो लाख इन्ट्रेस्ट की चर्चा करते हैं। सात लाख रुपया विजय शुगर मिल्स को देते हैं जिसके मैंने आपको एन्टीसिपेन्ट्स बताये थे। विजय कॉटन मिल्स बन्द पड़ा है, महादेव कॉटन मिल्स बन्द पड़ा है। इस तरह से गवर्नमेंट की जो लोन देने की पॉलिसी है वह बिलकुल गलत है।

दूसरी बात है-loans for purchase of loans to the Jagirdars. What is the policy of the Government. यह समझ में नहीं आता है कि What is the policy? राजस्थान ने लोन रेज किया। उसको पर्चेज करने के लिये राजस्थान के जागीरदारों को गवर्नमेंट लोन फ्लोट करे। हमारी समझ में नहीं आता कि what is this poilcy of the Government- हमने लोन फ्लोट किया। इसके लिये to collect funds for our development works. उसको खरीद देते हैं मि. एक्स को, किसी इन्स्टीट्यूशन को देते तो हम समझते। जागीरदारों को इन्डीविजुअल लोन दे रहे हैं ६ लाख रुपया। राजस्थान सरकार ने जो लोन फ्लोट किया

(श्री पी० के० चौधरी)

उसको वे पर्चेज करें और सरकार उनको फाइनेन्स करे लोन के बतौर। विजय शुगर मिल्स के सेट को लोन न देकर राजस्थान कॉरपोरेशन से दिलाया, दो लाख आप इन्ट्रेस्ट का देते हैं। राजस्थान का लोन पर्चेज करने के लिए भी आप जागीरदारों को पैसा दे रहे हैं। पंचायत समिति को देते या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देते तो अच्छा होता। जागीरदारों से कैसे वसूल करेंगे? गवर्नमेंट की यह लोन पॉलिसी पजलिंग मालूम होती है। Where is the Government moving!

दूसरा यह भी मालूम हुआ है कि भोपाल माइनिंग वर्क्स है, वहां पर इन्श्यूलेटिंग ब्रिक्स बनती हैं। पिछले सेशन में सवाल किया था कि आया भिलाई में सप्लाई किये तो बन्द हो गये। आज सुबह ही मेरे पास तार आया है कि १ जनवरी से क्लीयर नोटिस लगा दिया है। इस कन्सर्न को तीन लाख रुपया राजस्थान गवर्नमेंट ने लोन दिया है और गारंटी है। समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे कन्सर्न को लोन दिया जाता है, गारन्टी सरकार स्टेन्ड करती है जो आज नहीं कल बन्द होते हैं और यह बात पहले ही से पब्लिक को मालूम होती है, ले मैन को मालूम होती है कि इस कन्सर्न की क्या हालत है। पब्लिक फन्ड्स का सरकार के हाथों किस तरह से दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है? उसकी काफी तारीफ की गई थी। कहा गया कि भिलाई को काफी लाखों ब्रिक्स जा रही हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि १ तारीख से क्लीयर नोटिस लग गया है। जिस चीज़ को एक ले मैन पहले ही देख सकता है वह चीज सरकार के और उसके इन्डस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के कैसे जानकारी में नहीं आता है। So it is a very sad commentary on the efficiency of the department.

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर बोलने के सिलसिले में एक ही चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि गवर्नमेंट की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट कन्सर्न्स को लोन देने की पॉलिसी है वह हेपहेजर्ड है and it is not judicious and discreet.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी की ओर, विशेष तौर पर इन्डस्ट्रियल लोन किस प्रकार से दिया जाता है, इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस बिल के अन्दर एक कोटा की नैलोन फैक्ट्री को भी सरकार के द्वारा २० लाख रुपये की सहायता देने का उल्लेख आया है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय सबसे पहली बार इस बात की सूचना मिली थी कि कोटा के अन्दर एक नैलोन फैक्ट्री की स्थापना होगी तो सबको इस बात की खुशी हुई थी कि राजस्थान में एक अच्छी फैक्ट्री की शुरुआत होगी। यह फैक्ट्री सिंघानिया ब्रादर्स ने एस्टेब्लिश करने के बारे में सरकार से कोई एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अनुसार यह शर्त रखी गई कि जब सिंघानिया ब्रादर्स की तरफ से २० लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया जायेगा उसके बाद सरकार की ओर से २० लाख रुपये की सहायता दी जावेगी। सरकार ने एक डिमान्ड रख दी और उस समय रख दी जब सरकार ने आर्डर

(श्री भैरोंसिंह)

इश्यु कर दिये कि २० लाख रुपये की सहायता उन्हें देनी है। यह प्रश्न आता है कि सरकार ने सहायता देने के लिए सप्लीमेंटरी डिमान्ड रखी तो वह एग्रीमेंट के अनुसार आनी चाहिये थी या नहीं? माननीय मन्त्रीजी, उप-मन्त्रीजी की जानकारी में है कि उस फैक्ट्री की तरफ से २० लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसका कोई स्टेटमेंट और इस बात का स्टेटमेंट कि प्रेक्टिकली इन्वेस्टमेंट २० लाख का किया जा चुका है ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार के सामने एक स्टेटमेंट जरूर आया है, उसमें लिखा है कि फलां फर्म से इतने रुपयों का माल खरीदने की कोरस्पोन्डेन्स चल रही है, उस कन्सर्न से इतनी मशीनरी खरीदने की बात चल रही है और उसका टोटल करके २० लाख की रकम बता दी, और माननीय उप-मन्त्रीजी कोटा के लिए इन्ट्रेस्टेड हैं उनके सामने वह स्टेटमेंट पेश कर दिया। इस स्टेटमेंट के पेश होने पर कई डिफरेन्स आफ ओपिनियन रही हैं और वे ज़्यादातर इस बात की थी कि जिनकी अभी तक फर्म से बातचीत ही चल रही है, माल पहुंचा भी नहीं है और २० लाख का उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष हुआ दिखाई नहीं देता है उसको २० लाख का लोन किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता। जब इस प्रकार की ओपिनियन बनने लगी तो सिंघानिया साहब को चिन्ता हुई कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो २० लाख का लोन किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है तो फिर कुछ और फर्म से कोरेस्पोन्डेन्स की और कुछ स्टेटमेंट के साथ और भी स्टेटमेंट पेश कर पेश कर दिया, इस दृष्टि से कि प्रत्यक्ष में यदि इस तरह से न हो तो और इतना स्टेटमेंट दे दिया कि इस प्रकार से यह चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने माननीय उप-मन्त्रीजी की ओपिनियन से इक्तिफाक नहीं किया और इक्तिफाक न करने से वाउचर्स शामिल कर दिये कि हमारी जो कोरस्पोन्डेन्स चल रही है उसमें इतनी कीमत की मशीनरी फलां फर्म से खरीदने का तय कर चुके हैं। माल आने वाला है। इस तरह के कुछ कागज और शामिल कर दिये। हालांकि माल प्रत्यक्ष में आया नहीं, मशीनरी ली नहीं, प्रेक्टिकल इन्वेस्टमेंट की कोई बात नजर नहीं आई, पर कागजों में यह हुआ। आपका ऑर्डर पहुंच गया है। ऐसा पत्र मंगवा लिया और उन कागजों में इसे शामिल करवा दिया। इसमें भी इस बात का कहीं उल्लेख नहीं कि आर्डर मन्जूर कर लिया गया है और फलां तारीख को माल डिस्पेच कर रहे हैं, या कि माल के अगेन्स्ट में आपका अर्नेस्ट मनी मिल गया है, माल आपको फलां तारीख तक पोर्ट पर मिल जावेगा, या मालगाड़ी में रख दिया है फलां तारीख तक डिलीवरी हो जावेगी, बुकिंग की रसीद भेज रहे हैं-इस तरह का कोई एश्योरेन्स नहीं। बस इतना सा पत्र लिखा कर सेठ साहब सेक्रेटरियेट में पहुंच गये और लोन लेने की ताकीद करने लगे। अब इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी कोई डिपार्टमेंट अपने पर लेने को तैयार नहीं हुआ। फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी बचाने के लिये मामले की राय जानने के लिये लॉ डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया। मन्त्रीजी इन्कार करें या हां करें। पर लॉ डिपार्टमेंट की भी ओपीनियन दो

(श्री भैरोंसिंह)

तरह की आई यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। पहली बार ओपीनियन जब ली गई तो इन्कार किया कि इस एग्रीमेंट के अनुसार जितना इन्वेस्टमेंट सेट साहब की ओर से जिस तरह होना चाहिये वह उतना उस रूप में नहीं हुआ इसलिये यह लोन नहीं दिया जा सकता है। पर दूसरी बार जब ओपीनियन के लिये भेजा गया तो ओपीनियन आ गई कि लोन दिया जा सकता है। दूसरी बार जो ओपीनियन आई, मैं समझता हूं, उन आधारों पर नहीं दी गई जिन पर लोन दिया जा सकता था या दिया जाना चाहिये था या नहीं दिया जाना चाहिये था। एग्रीमेंट भेज दिया गया और नोट पुट अप कर दिया कि यदि इन्वेस्टमेंट इस तरह से, इस शकल में किया गया है, माल पहुंच रहा है उस सूरत में गवर्नमेंट लोन दे दे। इस पर सरकार ने अपना डिस्क्रीशन यूज करके लोन दे दिया।

मैं समझता हूं कि आज इन्डस्ट्रियलिस्टों का यह एक दृढ़ मत बनता जा रहा है कि अपना पैसा नहीं लगाया जावे, सरकारी पैसे पर इन्डस्ट्री चलाई जावे। अब प्रत्यक्ष में वे इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं इसकी बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये सरकार से २० लाख का लोन ड्रा कर लेते हैं और उस पर अपना सारा काम धन्धा चला करके आगे की कार्यवाही सेट साहब करते हैं।

इसका मैं समझता हूं कि उप–मन्त्रीजी ठीक तरह से जवाब देंगे। पर मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह जो सेठ साहब की ओर से इन्वेस्टमेंट होना चाहिये था, नहीं हुआ और जो मशीनरी वगैरह सामान आ रहा है या आवेगा उसका पेमेन्ट सेठ साहब के पास से नहीं होकर इस सरकार की लोन वाली रकम में से होगा। सेठ साहब अपनी जेब से कुछ भी खर्चा करने वाले नहीं हैं। विश्वास भी कर लें कि इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो भी उस मशीनरी आदि का पेमेन्ट जो होगा वह सेठ साहब की जेब से नहीं होगा। सेठ साहब सरकार के लोन में से ही भुगतान करेंगे। वरना वे भुगतान भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि उनके द्वारा शर्त के अनुसार जितना इन्वेस्टमेंट होना आवश्यक था वह नहीं हुआ और लोन उनको दे दिया गया। मैं मानता हूं कि यदि उस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से स्टडी किया जावे और उसे हाउस की टेबल पर रक्खा जावे तो हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट पहले सेठ साहब द्वारा इस शर्तनामे के अनुसार हो जाना चाहिये था वह नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ और जबर्दस्ती सरकार ने २० लाख रुपया उनको दे दिया ताकि उसके बेसिस पर इन्डस्ट्री चालू की जा सके। पहला प्रश्न यह आया।

अब दूसरा प्रश्न आता है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डस्ट्रियल लोन ठीक तरह से नहीं दिया जाता। मैं इसके सपोर्ट में एक छोटी सी घटना बताता हूं। जयपुर में कई दिनों से एक फर्म में हड़ताल चल रही है। इन्डस्ट्रियल लोन जिस फर्म को दिया गया है, उस संस्था के अगेन्स्ट में हड़ताल चल रही है। मज़दूरों ने तालाबन्दी कर रक्खी है। जयपुर में पिछले कुछ रोज से जुलूस निकलते हैं, मशाल जुलूस निकलते हैं उस फर्म के एक्शन के खिलाफ, उनके प्रबन्धकों के

(श्री भैरोंसिंह)

खिलाफ । उस फर्म को हमारी सरकार ने १५ हजार का लोन दिया । लोन किस प्रकार से दिया जाना चाहिये, क्या शर्त है कानून के अनुसार.......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): कौन फर्म है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं बता दूंगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : पहले बता दीजिये तो मेहरबानी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : सारे फैक्ट्स बताकर मैं नाम भी बता दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नाम से आप बिदक जावेंगे ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : उस फर्म को १५ हजार का इन्डस्ट्रियल लोन दिया गया । पर लोन देने से पहले शर्तों के अनुसार सिक्योरिटी मेजर्स एडोप्ट करने पड़ते हैं.......

श्री मुरलीधर व्यास : आप नाम तो बतावें ।

श्री भैरोंसिंह : नवयुग । आप चिन्ता न करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : नवयुवक ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : नवयुग प्रेस । १५ हजार का इन्डस्ट्रियल लोन दिया है उसको सरकार ने । मैं पूछता हूं कि इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी आपने क्या क्या ली । आप यह कहें कि मशीनरी को मोरगेज किया है तो इसकी वेल्यूएशन कितनी है ? उनके बेसिस पर इन्डस्ट्रियल लोन इतना दिया जा सकता है या नहीं और दिया भी तो आपने कौनसी फर्म को दिया ? जिनमें मजदूरों में असन्तोष है, हडतालें करते फिरें, जिनको समय पर वेतन न दिया जाए । मांग करें तो निकाला जाए । उस कन्सर्न को इन्डस्ट्रियल लोन देकर चलाने की बात करते हैं आप । मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बारे में भी पक्षपात अच्छी तरह से किया जाता है । दूसरी बात दूसरे प्रेस या कन्सर्न उनको नहीं मिलते । लोन ऐसे को दिया जाता है जहां लोगों को तनख्वाह न मिले, लोगों को निकाला जावे, वर्किंग जर्नलस्ट एक्ट लागू न किया जावे, स्टेन्डिंग ऑर्डर इश्यू नहीं किये जावें, वेजेज एक्ट लागू नहीं किया जावे, फैक्टरी एक्ट के जितने इन्सपैक्शन, लाइसेन्स रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन आदि होने चाहिए वे ये सारे कानून लागू न हों । उस संस्था को १५ हजार का इन्डस्ट्रियल लोन केवल इसलिए दिया जावे कि उस नवयुग प्रेस से एक नवयुग समाचारपत्र निकलता है जिसमें सरकार के अफसरों की और सरकारी मन्त्रियों की तारीफें होती हैं, उनके फोटोज छपते हैं । मैं समझता हूं कि तारीफ करने वालों को मदद देने के लिये इन्डस्ट्रियल लोन न देकर एक अलग महकमा खोल देना चाहिये था सरकार को और एक अलग महकमा खोलकर १५ हजार बीस हजार, पचास हजार जितना आपकी तारीफ पर लगे या आप लगाना चाहें वह खर्च कर दिया जावे, इनको दे दिया जावे । पब्लिक संस्था के नाम से इन्डस्ट्रियल लोन दिया जावे तो कम से कम यह देखा जावे कि

(श्री भैरोंसिंह)

पब्लिक का क्या भला इससे होने वाला है, इससे मजदूरों का क्या हित होता है। जनता का तो नहीं, पर कम से कम मजदूरों का तो हित करें। यदि इस प्रकार के दृष्टान्त आपके सामने आवें तो लोन देने की इस प्रकार की नीति जिसके द्वारा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो वह नीति सरकार की घातक है, इससे जनता का किसी प्रकार से हित नहीं हो सकता। इसलिए मैं माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जानकारी दें कि इस तरह जो संस्था हड़तालों की नौबत लाती है, महीने की तनख्वाह नहीं चुकाई जाती, ठीक प्रकार से रूल्स और रेग्यूलेशन्स को फोलो नहीं करती, कागजों का ब्लेक मार्केट करती है इस प्रकार की सारी स्थिति में १५ हजार का लोन उस संस्था को किस प्रकार से दे दिया? मैं ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि सिंघानिया का पक्ष लें या नवयुग का लें यह तो आप जिसका चाहेंगे लेंगे, पर इस प्रकार का पक्ष लेने से इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट जो आप करना चाहते हैं, कैपिटल को जो आप राइटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं जनता की बहबूदी और भलाई के लिए वह होने वाला नहीं है और उस स्थिति में महज़ रुपये का मिसयूज़ होता है। यह स्पष्ट है।

इस सारी स्थिति पर विचार करके- इन्डस्ट्रियल लोन को सही प्रकार से किस ढंग से यूटीलाइज़ किया जा सकता है-इसके बारे में अच्छी तरह विचार कर के इन्वेस्टमेन्ट करें तो अच्छा है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं कि पहले से ठीक प्रकार से एस्टीमेट करके बजट बनाया जाये तो सप्लीमेंटरी की नौबत नहीं आवे। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में सप्लीमेन्टरी डिमान्ड हर साल आती रहती हैं और इसलिये रखनी पड़ती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें केन्द्र से अनुदान अपने को मिलता है और उसके देर से मिलने के कारण हमें अपने पास से पहले खर्च करना पड़ता है और इसके लिये सप्लीमेंटरी डिमान्ड की जरूरत हो जाती है। दूसरे, कुछ ऐसे भी खर्चे करने पड़ते हैं कि जो उस वक्त हमारे अन्दाज में नहीं आ सके थे, या हमारी कोई नई योजना होती है या और कोई ऐसी ही बात होती है जिसमें सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के लिये सदन की अनुमति लेना जरूरी है। यह स्थिति हर स्टेट में और पार्लियामेंट में भी होती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नया बैच कब आवेगा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वास्ते इसमें ऐसी कोई बुराई की बात नहीं है। इस पर बहस होती है, विचार विनिमय होता है, यहां पर पास होता है।

श्री पी० के० चौधरी : When is the second batch coming?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That will come in time. दूसरी बात विजयनगर शुगर मिल के बारे में कही गई। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कि गत साल विजयनगर के आसपास गन्ने की काफी फसल हुई है और उसको पेलने का कोई जरिया नहीं होने से काश्तकार काफी परेशान होते थे। उधर एक भोपाल सागर शुगर फैक्ट्री और है पर वह इस सारे गन्ने को पेल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इसलिये यह सोचा गया कि यह मिल जो बन्द पड़ी है इसे किसी तरह चलाया जावे और किसानों को राहत पहुंचाई जावे। इस सूरत में उस मशीन को ठीक करने के लिये और मिल चालू करने के लिये करीब करीब पांच लाख की माग की थी और राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन में दरख्वास्त दी थी। उसने सारा एस्टीमेट और तखमीना करवाया और इसके बाद में यह कहा कि ठीक है तखमीना तो तो ठीक है जिस पर लोन एडवान्स कर सकते है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसमें गारन्टी कर दे तो लोन दिया जा सकता है। आखिर उसमें भी रुपया ज्यादा सरकार का ही है। उस विषय में बात की थी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की जितनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में जितनी स्कीमें हैं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को गारन्टी देने के सुझाव दिये जाते हैं उद्योग को पनपाने व प्रोत्साहन देने हेतु। तो गवर्नमेन्ट अपने कन्सोलीडेटेड फण्ड से कोई रकम देते हुए नहीं मगर किसी बैंकिंग इन्स्टिट्यूशन से या इन्स्टिट्यूशनल फाइनेन्सिग एजेन्सी से गारन्टी करके रकम दिलाई जा सकती है वरना आपकी इन्डस्ट्रीज किसी तरह से पनप नहीं सकती। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, विजयनगर शुगर मिल चले, यह मन्शा थी और बिलकुल नेक मन्शा थी कि वह अच्छी तरह से चले तो अच्छी बात होगी। ठीक है उसने उसे वापिस चलाई और चलाने के बाद में उसे काफी घाटा हुआ और उसका कुछ रुपया काश्तकारों को भी देना रह गया परन्तु बाद में उसने वह रुपया भी अदा कर दिया....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अदा नहीं किया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अदा कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : अदा नहीं किया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कहता हूं कि कर दिया है। आप इसको मानकर चलिये कि अदा कर दिया है। अगर आप इस स्टेटमेंट को चेलैन्ज करते हैं तो गलत बात है। एग्रीकलचरिट्स के जितने रुपये थे वह उसने अदा किये और फिर बाद में यह सवाल आया कि जो रुपया उसको किश्त का देना था वह उसने नहीं दिया। राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की गारन्टी है और गवर्नमेंट एज श्योरिटी होकर वह गवर्नमेंट को कोर्ट आफ लॉ में कभी नहीं ले जा सकता था। अगर हमने गारन्टी दी है और रकम हमें देनी पड़ी है लेकिन we will realise that amount under the Land Revenue Act as arrears of land revenue. तो यह कार्यवाही सारी की सारी चल रही है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज के अन्दर सिर्फ यही मकसद था कि काश्तकार का गन्ना पिल जाय। आखिर को वह मिल क्लोज थी और उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए अगर सहायता दी गई है तो उसमें कौन सी बेजा बात

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हुई यह समझ में नहीं आया। यह ठीक है कि वह नहीं चल सकी और नहीं चल सकने के कारण उपस्थित हो गये लेकिन जो आरोप लगाया गया यह ठीक नहीं है। कोशिश हमने बही की थी कि वह चले और जब क्लोज्ड फैक्ट्री को चलाने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करने पर भी नहीं चलती है तो सदन में कहा जाता है कि कोशिश सरकार नहीं करती है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अगर नहीं चलती है तो साथ ही साथ यह कहा जाये कि कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी इस तरह के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर यही बात रही तो कोई भी इन्डस्ट्रियलिस्ट आपकी स्टेट में आने वाला नहीं है। अगर इस तरह के गलत अर्थ लगाकर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ आरोप लगाये तो यह अच्छी परम्परा नहीं है। वैसे भी आपकी स्टेट मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है और सरकार जिन लोगों को यहां लाने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट गलत पालिसी से लोन देकर यहां पर उनको लाना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह : इनको तो आप बाहर से नहीं लाये थे, the mill is already there. Yoy did not bring it from anywhere,

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Please hear me patiently first.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But you give strange procedure of the Goverrment.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): The charge was that we have guaranteed this party without verifying its assets and liabilities. You gave guaranty for a wrong party.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I hope the Hon'ble Member will hear me patiently.

श्री श्रीभानसिंह : How can the Hon'ble Member be patient when you are laying down new conventions ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is a policy of the Government to give loans.

श्री श्रीभानसिंह : It is never the policy of the Government to secure scraps.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Certainly not. But it is not a scrap.

श्री पी० के० चौधरी : Not a single new machinery was purchased form out of the loan amount.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The assets are sufficient for the protection of the loan.

श्री श्रीभानसिंह : If the assets were sufficient, why did not the Finance Corporation guaranty the loan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल. : They might have refused it because by giving that much amount he would

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

not have been able to modernise the mill. At the most he would have been able to re-start it. Therefore, they said that the State may also guaranty it. After making a full assessment of their assets, the Government and the Rajasthan finance Corporation were convinced that it was sufficient for the repayment of the loan.

श्री पी० के० चौधरी : Is it within the knowledge of the Hon'ble Minister.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आप बार-बार कहेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं जो कुछ कहता हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह : समझते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समझते नहीं हैं यही तो मुश्किल है।

श्री श्री भानसिंह : And if he pays the same compliment to you, then ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Very well if you pay me that compliment, I will accept it. so far as your heads are alright.

इसलिये इस दशा में इसको चालू करने के लिए दिया गया था। ठीक है अगर पेमेंट नहीं किया तो वह रिकवर होगा। कौन सा वह कहीं भाग कर चला गया है ? कौन सी शुगर फेक्ट्री को उठा कर चला गया है। Property is mortgaged and steps are g taken and we will see that it is recovered.

इसी प्रकार से यह कहा गया है कि जागीरदारों को जो लोन दिया गया है उसमें भी गड़बड़ी हुई है और उसके बारे में भी सरकार पर आरोप लगाये हैं। मैं सदन को बताऊं कि जो जागीरदारों को लोन दिए गए हैं वह उनके बांड्स के अगेन्स्ट दिए गए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है।

दूसरे भूपाल माइनिंग को लोन दिया गया है उसमें भी गारन्टी दी है तो उसने जो लोन लिया है वह फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से लिया है। सरकार से कोई लोन नहीं लिया है और न गारन्टी दी है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जमीन दी है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जमीन के बारे में तो माननीय सदस्य ने नहीं पूछा। आप प्रश्न करते तो जवाब दे देता।

नैलोन फैक्ट्री के लिए जो यहां पर आरोप लगाये हैं-मैं सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि किसी भी इन्डस्ट्री को लगाने के लिए शुरुआत के पहले ही इतने आरोप और प्रत्यारोप उसके खिलाफ कर दिये जाते हैं तो मैं समझूंगा कि अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्री के खिलाफ नहीं, गवर्नमेन्ट के खिलाफ हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गवर्नमेंट के खिलाफ का ही जवाब दे रहा हूं। आपने

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जो यह कहा है कि नैलोन फैक्ट्री को लोन दिये जाने के सिलसिले में जो रुपया दिया गया है उसमें एक शर्त थी कि वह पार्टी उसी हद तक जिस हद तक दिया जाये वह इन्वेस्ट करेगी। लोन करीब २० लाख का था। उसमें दो बातें थीं-वह इनवेस्ट करेगी या लाइबिलिटी इन्कार करेगी। उस एग्रीमेंन्ट को देखे बिना यहां आकर सदन के सामने किसी चीज के बारे में एतराज करना और उस चीज को नहीं समझना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपने एग्रीमेंन्ट को देखा नहीं है और आपको जो कुछ ब्रीफ किया गया वह गलत तौर पर किया गया है........

श्री पी० के० चौधरी : वह एग्रीमेंट तो सदन के सामने आपने पढ़कर सुनाया था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शायद आपको एग्रीमेन्ट की शर्तें याद नहीं रहीं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास उस एग्रीमेंन्ट की कॉपी है और उसको देखा है और देखकर ही कह रहा हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लाइबिलिटी इन्कार के सिलसिले में जब यह बात पूछी कि लाइबिलिटी इन्कार की है या नहीं उन्होंने, they have already opened a letter of credit to the tune of Rs. 20 lakhs with a Bank of Tokyo and on that basis उसने जो कि फॉरन फर्म है मशीनरी का ऑर्डर प्लेस किया और वह आर्डर १ करोड़ ७ लाख की मशीनरी का है। उसका आर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको उस फर्म ने कन्फर्म भी कर दिया और उसके बाद में letter of credit with the bank उसने ओपन किया। इस बेसिस पर यह राय रही कि इन्होंने लाइबिलिटी इन्कार कर दी है वह अगर मशीनरी का पेमेन्ट नहीं करता है तो then the bank is liable to pay that amount. Therefore, the liability has been incurred..

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन देने की जो कन्डीशन थी उसका फुलफिलमेंट करने के लिए सारी की सारी बातें हुई और होने के बाद में लोन एडवान्स किया गया। इसमें क्या बुराई है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ नहीं।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें समझ में नहीं आया कि ५४ के एग्रीमेंट के अनुसार, जो उनके साथ में हुआ था, उसकी टर्म के अनुसार यह सारी की सारी बातें पूरी की गई। उस चीज़ को नहीं करके किसी टर्म के एक पैराग्राफ या कुछ एक वर्ड्स को रखकर क्रिटिसाइज़ करें यह ठीक बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ी, एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि जिस फर्म के अन्दर उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जिसके पास ऑर्डर्स प्लेस किये हैं मशीनरी के लिए उस फर्म के वे एजेन्ट हैं या नहीं, और उस फर्म में उनके शेयर्स है या नहीं? यह जानकारी दे दें। जिस फर्म से मशीनरी वगैरह लेनी हैं और जिसको पेमेन्ट करना है तो उस फर्म में उनके शेयर्स हैं या नहीं, और वे यहां पर उनके एजेन्ट हैं या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिस फर्म से वे मशीनरी ले रहे हैं वह फॉरेन कन्ट्री की

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

फर्म है, स्वीट्ज़रलैण्ड की फर्म है जो कि नैलोन फैक्ट्री के प्लान्ट में एक्सपर्ट है, और इसके लिए एक पर्टिक्यूलर तरीके की जो मशीन बनती है वह सिर्फ उसी फर्म में बनती है ।

श्री भैरोंसिंह : वह एजेन्ट है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौन एजेन्ट है ?

श्री भैरोंसिंह : जे० के० ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनकी एजेन्सी का क्या सवाल है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको जानकारी दे दूं कि वे उस फर्म के एजेन्ट हैं और वे उस फर्म से मिलकर धोखा देंगे और जब चाहेंगे ऑर्डर को विड्रॉ करा लेंगे ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे खयाल में आप स्पेशल कोई अर्थ लगायेंगे तो यह आपका खयाल होगा । यह सब आपके कहने की बात है । मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि वह जो फर्म है वह नैलोन फेक्टरी के प्लान्ट को मेनुफेक्चर करने में एक्सपर्ट फर्म है । वही प्लान्ट बनाती है । उसको ऑर्डर प्लेस किया गया है । उसके कन्फर्मेशन को देखकर लोन दिया है । मैं समझता हूं कि जो कुछ गवर्नमेंट ने दिया है वह सही तौर पर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या एक बात की माननीय मंत्री महोदय जानकारी देंगे that it is not a firm order and it is liable to alteration still.

श्री अध्यक्ष : Pardon ?

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that it is not a firm order yet and it is liable to alteration? The order is still open to variations. There is clause in that order that the order is liable to alteration subsequently.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is merely your conjecture, and has no basis.

श्री पी० के० चौधरी : It is not a conjecture. Are You aware of it ? Have You seen the order ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is nothing of that sort. He has placed the order to the tune of Rs.—1.07 Crores.

श्री पी० के० चौधरी : Did you see the terms and conditions of the order ?

श्री अध्यक्ष : He says that he is sure of it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरी बात मैं जो यहां पर कही गई है उसके उत्तर में मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी लोन दिये जाने का सवाल है वह काफी तरफ से एग्ज़ामिन करके शर्तों के मुताबिक लोन दिया गया है और उसकी पूर्ति वे करेंगे । मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि नैलोन फैक्ट्री बराबर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कोटा के अन्दर स्थापित होगी और आप कुछ अर्से के बाद में देखेंगे और देखने के बाद यही कहेंगे कि वाकई में ठीक ही हुआ।

श्री भैरोंसिंह : वह चलेगी आपने २० लाख रुपया दिया है एडवान्स में उसी से।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब वह नहीं चलेगी उस वक्त ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री श्रीभानसिंह : The credit will be yours as minister of Inoustries and Finance both.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The credtt will be of Rajasthan Government.

नवयुग प्रेस के बारे में यह कहा गया, जो कुछ भी कहा गया उसमें ज्यादातर राजनैतिक ही राजनैतिक है। उसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी हड़ताल इस वक्त हो रही है और लोन दिया गया है-करीब-करीब ६, ७ या ८ महीने पहले दिया गया है-उस वक्त कोई अन्दाज नहीं किया गया था कि नवयुग में ८ महीने बाद हड़ताल हो जायगी और जो बराबर चलती रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी बराबर सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी की तस्दीक हुई है कायदे के अनुसार और सिक्योरिटी की तस्दीक होने के बाद में लोन दिया गया और जो कुछ भी आरोप लगाये गये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल सत्य नहीं हैं और ठीक प्रकार से उन्होंने इस लोन का प्रयोग किया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो कुछ भी बातें कहीं गई हैं वे दुरुस्त नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनिट में ठोक दूंगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या ठोकेंगे साहब ?

श्री अध्यक्ष : भाषण।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नवयुग के संबंध में माननीय उपमंत्री महोदय ने अपने प्रत्युत्तर में यह कहकर टालने की कोशिश की कि लोन पहले दिया गया था और हड़ताल आज हो रही है और सरकार को नहीं मालूम हो सकता था कि हड़ताल होगी, इसलिए लोन दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक में पंचायत समितियों को ७०,५०,०००) रु० हस्तान्तरित किये जाने के बारे में एक प्रावधान है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : १७ लाख है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में सदन को यह जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जिन पंचायत समितियों को इतनी बड़ी धनराशि देने की व्यवस्था की है लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्घाटन के अवसर पर २ अक्टूबर को जो..के नागौर में हुआ, और उस अवसर पर जितना अपव्यय हुआ उसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल एक घटना की ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में आपकी बहस का जवाब दिया उस समय आप सदन में उपस्थित नहीं थे। अगर होते तो कहने की जरूरत नहीं आती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यहां पर इस समय यह नहीं कहने जा रहा हूं कि उसमें १, ४६,०००, रु० का खर्चा हुआ उद्घाटन में उसके बारे में नहीं कहने जा रहा हूं। मैं एरोड्राम के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं केवल एक बात के बारे में कहना चाहता हूं कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्घाटन के अवसर पर नवयुग ने एक विशेषांक निकाल दिया जिसकी कीमत २॥)रु० रखी और २००० कापी के लिए ५०००) रु० का पेमेन्ट नवयुग को किया। ५ हजार रुपये का पेमेन्ट किया था उस समय और वे दो हजार कापियां आज तक राजस्थान गवर्नमेंट को और राजस्थान पंचायत समितियों को सप्लाई नहीं की गई। राजस्थान पंचायत समितियों ने लिख दिया कि हमें कॉपियां नहीं चाहिए। उनको पेमेन्ट एडवान्स में कर दिया गया और वे कापियां अभी तक अजन्ता प्रेस में बाइंडिंग के लिए पड़ी हुई हैं। आज तक सप्लाई नहीं की गई हैं। जो नवयुग प्रेस एडवान्स पेमेन्ट लेकर और धोखा देकर सप्लाई नहीं करने की कोशिश करे और आप यह कहकर उसको बचाने की कोशिश करें कि लोन पहले दिया था और हड़ताल आज हो रही है? उन्होंने कुछ कॉपीज़ दी वे डेवलपमेंट के कमिश्नर के पास में रखी है उन कॉपीज़ में और जो कॉपीज नमूने के तौर पर प्रेषित की गई थीं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को और माननीय प्रधान मंत्री महोदय को, उन कापीज में और अब जो सप्लाई की गई हैं उन कॉपीज़ के अन्दर काफी फर्क है। उनमें न तो नक्शे हैं और न चार्ट हैं जो कि नमूने की कॉपियों में बतला गये थे। कॉपियें पूरी सप्लाई नहीं की गई और पेमेन्ट पहले कर दिया। जब लोन का सवाल खड़ा होता है तो इस तरह का जवाब देते हैं और लीपा पोती करके बचने की कोशिश करते हैं He shoulb try to face facts.

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जानकारी दें कि जिन पंचायत समितियों को इतनी विपुल धनराशि इस प्रकार से हस्तान्तरित करने जा रहे हैं उन पंचायत समितियों को यह कहा गया है कि उनको नवयुग अखबार मंगाना पड़ेगा। आज नवयुग में हड़ताल चल रही है तो पंचायत समितियों को वह कैसे पहुंचेगा, शिक्षण संस्थाओं में कैसे पहुंचेगा। वह नहीं पहुंचेगा तो उनके बिलों में कटौती नहीं होगी। अखबार नहीं जावेगा क्योंकि प्रेस बन्द है, वहां पर हड़ताल है। तो वह शिक्षण संस्थाओं में पहुंचेगा नहीं, पंचायत समितियों में पहुंचेगा नहीं। उसको एडवान्स पेमेन्ट हो गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसमें कटौती नहीं होगी। इस प्रकार से अखबार पहुंच नहीं सकता और पेमेन्ट कर दिया जायगा। उसका क्या जवाब है उनके सामने ? तो मैं निवेदन करूंगा कि इस इस संबंध में यहां पर आप जब उत्तर दें उसके बाद में यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विनयोग बिल के सिलसिले एक दूसरी नयी चीज लाकर रख दी में फिर है....

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : Point of or der, Sir. According to our schedule it is time for voting and no reply should be allowed now.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : If you don't require a reply, thank you very much. I am not very keen about it.

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे दें संक्षेप में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यही उत्तर दूंगा कि जो फैक्ट्स आपने बताये हैं उनकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। आपने जो बातें बताई हैं उनकी जानकारी कर लेंगे।

(करतलध्वनि)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनयोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९५६ पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है। (तदन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर २ मिनिट पर बुधवार, दिनाङ्क १६ दिसम्बर ५६ को प्रातः ११ बजे के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, दिनांक १५ दिसम्बर, १६५६)

Page No.121

स्कम्भ

खसरा गिरदावरी-लूणकरणसर
रतनगढ़ एस० डी० एम० द्वारा
फैसला दो बार लिखा जाना
विभिन्न कार्यों की फीस

अल्पकाल सूचना प्रश्नो के शीर्षक २७१६
ग्राम मंडावरी तहसील फागी के
हरिजनों को सरपंच ग्राम मेंदवास
द्वारा परेशान किया जाना

स्कम्भ

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक २७३३

१. राज्य बुनकर सहकारी संस्थाओं की बकाया रकम

२. पाली तहसील में खातेदारी हक

३. बूल प्लांट

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० २७३६

(प्रथम खण्ड) पर मतदान

निम्नांकित मांगें सदन द्वारा विचारार्थ ली जाकर स्वीकार की गई:—

१.	मांग संख्या	६२	मुख्य शीर्षक	५७—विविध
२.	,,	४३	,,	१०—वन
३.	,,	४५	,,	१२-क—बिक्रीकर
४.	,,	४६	,,	१३-अन्य कर और महसूल
५.	,,	४७	,,	१८—अन्य राजस्व व्यय जिसके लिए साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है।
६.	,,	४८	,,	२५—सामान्य प्रशासन
७.	,,	४९	,,	२७—न्याय प्रशासन
८.	,,	५१	,,	३६—वैज्ञानिक विभाग
९.	,,	५२	,,	३७—शिक्षा
१०.	,,	५३	,,	३८—चिकित्सा
११.	,,	५४	,,	३९—जन स्वास्थ्य

१२.	,,	५६	,,	४१—पशु पालन
१३.	,,	५७	,,	४२—सहकारिता
१४.	,,	५८	,,	४३—उद्योग तथा रसद
१५.	,,	५६	,,	४७—विविध विभाग
१६.	,,	६०	,,	५०—नागरिक निर्माण कार्य
१७.	,,	६१	,,	५१, ख—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से संबंधित अन्य राजस्व व्यय
१८.	,,	६३	,,	६३ ख—सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास निर्माण कार्य।
१६.	,,	६४	,,	६८—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल-निकास निर्माण [वाणिज्यिक]
२०	,,	६५	,,	७०—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।
२१.	,,	६६	,,	८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा।
२२.	,,	६७	,,	८५ का—सरकारी व्यापार की राज्य योजनाओं पर पूंजी की लागत।
२३.	,,	६८	,,	ग—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम।

तदुपरान्त उप-मन्त्री, वित्त विभाग ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५६ को पुनः स्थापित किया।

विधेयक सदन द्वारा विचारार्थ लिया जाकर पारित भी किया गया।

कार्य-सूची

बुधवार दिनांक १६ दिसम्बर, ५६ की कार्य सूची

[अ] प्रतिवेदन का उपस्थापन

१—जन लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन

२—आश्वासन सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदन

३—कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन

[ब] कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श एवं स्वीकृति-
गैर सरकारी संकल्प

[स] राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा दिये जाने सम्बन्धी संकल्प

[द] सरकार की सहकारिता आन्दोलन तथा उसकी कार्य प्रणाली सम्बन्धी नीति के निरीक्षण हेतु पांच सदस्यों की समिति की नियुक्ति

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७? का उत्तर देखिये)

राजस्थान में तहसीलवार औसत वर्षा व इस वर्ष हुई वर्षा के तुलनात्मक आंकड़े

नाम डिविजन	नाम जिला	नाम तहसील	औसत वर्षा इंचों में	इस वर्ष हुई वर्षा इंचों में
१	२	३	४	५
अजमेर	अजमेर	१ अजमेर	१८.६७	२६.५७
		२ ब्यावर	२०.२०	२०. ६
		३ केकड़ी	२५.००	३१.६८
		४ किशनगढ़	२०.३६	३०.६४
		५ सरवाड़	२३.००	२६.१०
		६ अराई	२०.४७	२३.०५
		७ रूपनगढ़	१५.००	१६.५०
	जयपुर	१ जयपुर	३०.४०	२३.५१
		२ सांगानेर	२७.५०	२५.१६
		३ बस्सी	२५.५६	२६.२४
		४ चाकसू	३४.६७	३४.००
		५ आमेर	३०.१६	२५.८८
		६ जमवारामगढ़	२७.८०	२७.५१
		७ दौसा	२६.४१	११.२६
		८ लालसोट	३१.५१	२८.११
		९ बसवा	१५.१५	४६.६१

१	२	३	४	५
		१० कोटपूतली	२४.५०	२७.३२
		११ फुलेरा	२१.६८	२०.१७
		१२ बैराठ	२७.१५	२६.७७
		१३ फागी	२२.५२	१८.८१
		१४ दूदू	२४.६६	२०.६१
	अलवर	१ अलवर	३४.०१	२३.०१
		२ राजगढ़	३५.४१	३०.७४
		३ थानागाजी	२६.४०	२७.२५
		४ बानसूर	२७.७६	१५.५३
		५ बहरोड़	२३.१२	१६.०१
		६ मूडावर	२६.०७	२८.५५
		७ तिजारा	२६.८२	३२.४५
		८ लछमनगढ़	२६.५०	१६.४१
		६ किशनगढ़	२८.८८	१७.७७
	भरतपुर	१ बयाना	३४.००	२४.०६
		२ रूपबास	३८.००	२३.५०
		३ बैर	२८.००	२२.५५
		४ भरतपुर	२६.००	१६.८२
		५ नदबई	३६.००	१६.३६
		६ डीग	२८.००	२०.७१
		७ कामा	३१.००	१६.३८

१	२	३	४	५
		८ नगर	२६.००	१७.२५
		६ वाड़ी	३६.००	२७.४८
		१० बसेरी	३८.००	२८.६४
		११ धौलपुर	३६.००	२०.०१
		१२. राजाखेड़ा	३२.००	१६.४८
	सवाई माधोपुर	१ सवाई माधोपुर	३६.००	५१.३१
		२ खंडार	२६.००	३८.४६
		३ बूंली(बौंली)	२६.००	३६.३३
		४ गंगापुर	३२.००	२७.४२
		५ बामनवास	२६.००	२७.८६
		६ नादौती	२७.००	२६.५१
		७ हिन्डौन	२५.००	१७.६४
		८ महुआ	१६.००	सूचना प्राप्त नहीं हुई
		६ टोडाभीम	२३.००	२२.३४
		१० करौली	२७.००	३०.२६
		११ सपोटरा	३०.००	३६.००
	झुंझुनू	१ झुंझुनू	१५.००	१५.१८
		२ चिड़ावा	१५.०१	१०.००
		३ खेतड़ी	२०.००	१६.००
		४ उदयपुरा	१८.००	१६.००

१	२	३	४	५
	टोंक	१ टोंक	२६.००	३४.००
		२ निवाई	२६.५०	३३.००
		३ उनियारा	२४.००	४२.००
		४ मालपुरा	२१.००	३२.००
		५ टोड़ा	२२.५०	२६.००
		६ देवली	२३.००	३४.००
	सीकर	१ सीकर	२०.६८	१८.८७
		२ फतेहपुर	१८.६६	१६.८३
		३ लछमनगढ़	२०.६५	२१.६२
		४ दातांरामगढ़	२२.८२	२४.५३
		५ नीमकाथाना	२४.६३	२०.३५
		६ श्रीमाधोपुर	२१.६६	२५.२१
जोधपुर	नागौर	१ नागौर	१३.६६	१२.७७
		२ जायल	१३.७२	१२.७६
		३ मेड़ता	१६.८७	१८.८१
		४ डेगाना	१६.६८	१४.४७
		५ डीडवाना	१६.६६	१६.६२
		६ लाडनू	१७.५०	१२.६८
		७ परबतसर	१७.४६	१७.३६
		८ नावां	२३.४८	२७.११

१	२	३	४	५
	बाड़मेर	१ बाड़मेर	११.६०	११.६८
		२ शीव	७.६६	१४.६६
		३ चोहटन	८.४६	१६.४१
		४. पचभद्रा	११.०२	२१.१८.
		५ शीवाना	११.६४	२१.८६
	जैसलमेर	१ जैसलमेर	८.००	६.१२
		२ रामगढ़	६.००	६.६०
		३ सम	६.००	४.१५
		४ फतेहगढ़	८.००	८.४१
		५ पोकरन	६.००	७.१३
		६ नाचना	८.००	८.८८
		२ जोधपुर	१३.००	१७.००
		३ शेरगढ़	१.००	६.००
		४ श्रोसिया	१४.००	१५.००
		५ फलौदी	५.००	६०.००
	सिरोही	१ श्राबूरोड	३५.००	४८.०७
		२ मूडवारा	२६.००	३७.०८
		३ खेदर	२६.००	४२.४३
		४ शीवगंज	२६.००	३४.१५
		५ सिरोही	२५.००	३२.६७

१	२	३	४	५
	जालौर	१ जसवन्तपुरा	२१.१४	१४.०४
		२ आहोर	१७.७६	६.२५
		३ सांचोर	१४.००	१७.६०
		४ जालौर	१८.८०१	१६.१०
	पाली	१ बाली		१६.७७
		२ देसूरी		१३.५५
		३ जैतारन		५.२४
		४ रायपुर		१२.१३
		५ पाली		१३.४४
		६ खारची		१६.३५
		७. सोजत		१३.२७
उदयपुर	उदयपुर	१ भीम	१६.६६	३१.१७
		२ देवगढ़	२०.३६	३३.०२
		३ कोटड़ा	३१.८५	४६.६०
		४ फलासिया	३२.१५	४१.००
		५ आमेट	१८.५१	२६.२८
		६ कुशालगढ़	२६.६७	४२.३६
		७ रेलमगरा	२४.३६	२६.३६
		८ राजसमद	२३.६६	३०.४६
		९ खेरवाड़ा	२६.५०	३६.७०
		१० सलूम्बर	२७.०१	४२.१७

१	२	३	४	५
		११ सरांड़ा	२१.५४	३३.३०
		१२ उदयपुर	२६.६०	३४.४४
		१३ गोगून्दा	२४.७०	२६.६८
		१४ नाथद्वारा	२०.१३	२८.३७
		१५ भोपालसागर	२७.७६	४०.३६
		१६ लसाड़िया	२७.६४	३४.१३
		१७ मांवली	२६.३२	२६.६८
		१८ वल्लभनगर	२७.३०	३१.६६
	भीलवाड़ा	१ भीलवाड़ा	३३.१७	३४.१३
		२. बहाड़ा	३४.१४	३५.८५
		३ रायपुर	२२.६४	३०.१६
		४ मांडल	२४.११	२७.६२
		५. बनेड़ा	३१.८३	३६.३३
		६ माडंलगढ़	३०.७२	३३.७२
		७. कोटड़ी	३७.७६	३८.२०
		८ शाहपुरा	३३.६०	३२.२६
		६ जहाजपुरा	३४.६६	४२.६५
		१० आसीन्द	२३.२३	२३.३०
		११ हुड़ी	३०.३१	३२.११
	चित्तौड़गढ़	१ चित्तौड़गढ़	३३.४२	४२.२०
		२ गंगरार	३१.४५	३३.१७

१	२	३	४	५
		३ कपासन	२५.४७	३३.४४
		४ रासमी	३३.५२	४२.७५
		५ बेगू	२८.४८	३३.६६
		६ भैंसरोड़गढ़	३८.१२	३८.३६
		७ प्रतापगढ़	३८.०१	५२.३५
		८ अचनारा	४१.२४	५०.७७
		६ निम्बाहेड़ा	३१.०५	४२.८६
		१० भदेसर	३१.७५	४१.१०
		११ डूंगला	४०.४३	४४.३३
		१२ बड़ी सादड़ी	३४.४४	३६.६३
		१३ छोटी सादड़ी	३३.६६	४१.६२
	डूंगरपुर	१ डूंगरपुर	३०.००	४१.००
		२ सागवाड़ा	३०.००	३६.००
		३ आसपुर	३०.००	४३.००
	बांसवाड़ा	१ बांसवाड़ा	३६.००	५७.०२
		२. घाटोल	४०.००	५०.३०
		३ घड़ी	३२.००	४०.७३
		४ बागीदौरा	३८.००	६३.४८
		५ कुशलगढ़	४३.००	६७.७५
	कोटा	१ कोटा	३३.६६	प्रत्येक तहसील में इस वर्ष
		२ लाड़पुरा	३३.५३	औसतन वर्षा ३८-४८ है

१	२	३	४	५
		३ दीगोद	३७.०६	प्रत्येक तहसील
		४ बड़ोद	३६.३४	में इस वर्ष औसतन
		५ इटावा	२८१६	३८.४८ है
		६ पीपल्दा	३२.६१	
		७ इन्दरगढ़	३२.२७	
		८ बारां	३४.४५	
		९ अन्ता	३५.७२	
		१० मांगरोल	३१.६६	
		११ किशनगंज	३५.७०	
		१२ शाहबाद	४१.३१	
		१३ छबड़ा	४३.३६	
		१४ छीपा बड़ोद	३६.४०	
		१५ अटरू	३५.४१	
		१६ रामगंज मंडी	३६.३४	
		१७ चेचट	३७.४८	
		१८ कनवास	३४.३१	
		१९ सागोद	३६.२४	
बूंदी	...	१ बूंदी	३८.००	३०.६४
		२ पाटन	४२.४०	४०.८५
		३ तालेड़ा	३३.००	३०.७४

१	२	३	३	५
		४ नेनवा	३०.००	३१.४७
		५ हिंडोली	४२.००	३६.४५
	झालावाड़	१ अकलेरा	४५.००	३९.००
		२ बकानी	४२.३८	३८.००
		३ खानपुर	३६.००	३५.००
		४ मनोहरथाना	४३.००	४२.००
		५ डग	३९.००	४१.००
		६ गंगधार	३६.००	४२.००
		७ झालरापाटन	३९.००	२९.००
		८ पचपहाड़	३५.००	३१.००
		९ खुड़ावा	३८.००	३५.००
बीकानेर	बीकानेर	१ बीकानेर	९.५८	२१.७८
		२ नोखा	८.९२	६.२०
		३ लूनकरणसर	९.७९	१०.९५
		४ कोलायत	६.९४	३.५१
	चुरू	१ चुरू	१२.८५	१५.३२
		२ सरदारशहर	१५.२२	१८.०२
		३ राजगढ़	१४.७१	७.४१
		४ तारानगर	१३.८८	११.५९
		५ रतनगढ़	२१.५०	१२.०२

१	२	३	४	५
		६ सुजानगढ़	२५.६८	११.०८
		७ डूंगरगढ़	१८.१५	१०.८०
	गंगानगर	१ गंगानगर		
		२ तारागढ़		
		३ सूरतगढ़		
		४ करनपुर		
		५ उदयपुरा		
		६ घाघरा		
		७ नौहर		

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ का उत्तर देखिये)

लिस्ट आसामियान १६५७–५८

क्र० सं०	नाम आसामियान	खसरा नं०	रकबा०
१	२	३	४
१	१ हनीफ पुत्र हासम	६६१	१२।।१
	२ गफूर पुत्र हनीफ	६०६	३।।१
	३ बकूर पुत्र हनीफ व्यापारी साबि,	६०८	२।२
२	मोहसिंह पुत्र हिमतसिंह राजपूत	८७	२५
	बिचौनाक	१२१	४)३
३	उरजा पुत्र रूगनाथ बावरी	१०४	१०
४	रामूका जसिया पिसरान ,,	१४३	३)१
	तेजा गगरवान सा० बिचौनाक	१४५	४)
५	धीसा पुत्र बीजा कीर सा० ,,	५३५	७।।२
६	रामलाल पुत्र मगा सरगरा सा० ,,	१५७	१४
७	धीसा पुत्र जोरा कीर ,,	१६०	१)
		१६१	१)।
८	श्रीकृष्ण पुत्र दधिमत ब्राह्मण विलाड़ा ,,	१५७	१५)
९	अमृतलाल मंगलदास सादू विलाड़ा	१५७	१५)
१०	धनणा धर्मनारायण सरगरा स्त्री	१५७	१०)
११	करणा पुत्र मदरूप बावरी विलाड़ा	१५८	३।४
		१६४	१)२
१२	पुकराज पुत्र हुकमा राव राजपूत भांवी	१४८	४)२
		१४६	३
		१५१	४)
१३	रफीअहम्मद पुत्र हुसेन वली पठान विलाड़ा	१५२	३।।२
		१५३	४)

१	२	३	५
१४	मोहन पुत्र लिछमण सरगरा बिलाड़ा	१५४	२॥४
		१५५	॥४
		१५६	१)
१५	मोहम्द हुसेन पुत्र मोहम्मद मुसलमान	१३५	१।४
	बिलाड़ा	१३६	॥
१६	रावत पुत्र गणेश रायाणा राजपूत मावी	६२३	४॥३
१७	भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल	६८	३)
	बिलाड़ा	६६	५॥
१८	कमरकराम पुत्र कुंना		
	२ केसराम पुत्र उंकार	१३६	३।)
	३ मंगानिया पुत्र भैरा		
	४ दगलिया पुत्र भैरा हर्याना विचीनाक		
१६	भंवरा पुत्र भाना कीर विचनाक	६२	७॥)
२०	मोहनसिंह चारण सा० बड़ी	१५७	१०)
	मांगू पुत्र किसना कीर विचीनाक		
२१	शिवालाल पुत्र भोलाराम	६३३/६	६६।२
	२ भंवरलाल पुत्र गणेशराम		
	३ कानाराम पुत्र हजारी कौम खराल		
	पनालाल पुत्र बद्रीनारायण बिलाड़ा	४७५/४५०	४)

संघ जसवन्तसागर में एलोटमेन्ट किया गया १६५८-५६.

१	गोविन्दसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत	१५७	१२)
	शिवलाल पुत्र बालूसिंह लोहार बिलाड़ा	६००	३)४
२	मांगीलाल	२६६	४)
	कन्हैयालाल चोपाजी	४६६	४)
	रोड	१८४	२॥)४
		१५५	॥)४
		१५६	१)
४	हणुमान पुत्र सुजानमल	४३८	४)
		४४७	४)

४	पन्नालाल पुत्र बद्रीनारायण	४१६	४)
	सा० बीचीनाक		
५	गुप्तीया पुत्र देवां हरिजन	५३५	७॥)२
	सा० बीचीनाक		
६	पुरखा पुत्र माणा सिखी	२०३	२॥)
	सा० बीचीनाक	२०४	१।)४
७	चतरा पुत्र देवा	५९३	३।॥)
८	अलकंवर स्त्री इन्द्रराज ओसवाल	६३५।२	२८
९	भोमराज पुत्र पृथ्वीराज ओसवाल	६३५।३२	
१०	शंकरी जोजे जुगराज ब्राह्मण	९३	१४।)४
	सा० बिचीनाक		
११	लाबुड़ी स्त्री शिवनारायण ब्राह्मण		
	सा० बिचीनाक	६२७	९)
१२	बस्तोया पुत्र नवला १/२	६३५।१	१६)
	बदरिया पुत्रनवला १/२		
	खोरीया सा० बिचीनाक		
१३	हरजी पुत्र सदावीर		
	सा० बिचीनाक	१५८	३)४
१४	मु० ईमरती सा० टीकमकुमार सा० बिलाड़ा	१९७	३।॥)४
१५	अखीया पुत्र कुना	१६८	४)
	हरीजन सा० बिचीनाक		
१६	जसा पुत्र बलदेव कीर	१५७	७)
	सा० बिचीनाक	१८३	।॥)१
		३२८/१	॥)४
१७	करना पुत्र परसा कीर		
	सा० बिलाड़ा	४८८	४)
१८	उस्मान पुत्र अलारख पिलाड़ा	४९७	५००)२
१९	पुरखा पुत्र मोला खोराल सा० बीचीनाक	४७४	४)
२०	छोगीया पुत्र ऊंकार हरिजन सा० बीचीनाक	१६४	१)२
२१	ननूराम पुत्र भोमाराम साद	६२६/५	१७)४
२२	रामसिंह पुत्र मोहबतसिंह राजपूत	५७०/४	१०॥)
२३	मोहनलाल पुत्र गोपीलाल	६३२/१	५)
२४	रावतसिंह/रामसिंह राजपूत	१५७	८)
२५	नन्द कंवर जोजे स्त्री पुजराजसिंह सा० बिलाड़ा	६२९/५	१७।)

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

पिछले पांच सालों में समाज कल्याण विभाग में गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्टों पर की गई नियुक्तियों की संख्या एवं उनमें नियुक्त हरिजन और आदिवासियों की सूची

क्र० सं०	वर्ष	गजेटेड: कुल नियुक्तियां	गजेटेड: अनुसूचित जाति की संख्या	गजेटेड: अनुसूचित जन जाति की संख्या	नॉन–गजेटेड: कुल नियुक्तियां	नॉन–गजेटेड: अनुसूचित जाति की संख्या	नॉन–गजेटेड: अनुसूचित जन-जाति की संख्या
१.	१९५५	४	—	—	१६६	२०	१०
२.	१९५६	१२	—	१	२३१	३२	११
३.	१९५७	५	—	—	२५७	३३	२६
४.	१९५८		—	—	२८७	४३	३९
५.	१९५९ नवम्बर तक :	४	—	—	३६७	७९	३९
	योग	३२	—	१	१३३८	२०७	१२५

परिशिष्ट ४

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ३३६ का उत्तर देखिये)

A DISTRICT WISE LIST OF THE SCHOOLS IN CONNECTION WITH THE ENROLMENT DRIVE CAMPAIGN SHOWING INCREASE IN PERCENTAGE.

Sl.No.	Name of the School				Increase of students in percentage.
			CHURU INSPECTORATE		
1.	Govt. Primary School, Ghaghu				21
2.	,,	,,	,,	Satu	20
3.	,,	,,	,,	Ridi	25
4.	,,	,,	,,	Pabusar	30
5.	,,	,,	,,	Bhimsar	12
6.	,,	,,	,,	Barasar chota	12
7.	,,	,,	,,	Phagwas	10
8.	,,	,,	,,	Changoi	75
9.	,,	,,	,,	Bayala	90
			BUNDI DY. INSPECTORATE.		
1.	Primary School,			Matunda	117
2.	,,	,,		Pali, Basawara	165
3.	,,	,,		Pipaliya	122
4.	,,	,,		Bajad	106
5.	,,	,,		Gothada	150

UDAIPUR INSPECTORATE.

1.	Primary School	Agaria	34
2.	" "	Nilod	63
3.	" "	Thikarwas	116
4.	" "	Chitaradiya	225
5.	" "	Surajpol	95
6.	" "	Semad	62
7.	" "	Kelwara	59
8.	" "	Jura	78
9.	" "	Nayagaon	82
10.	" "	Kun	50
11.	" "	Jiwana	180
12.	" "	Jalon ka Madar	66
13.	" "	Madara	180
14.	" "	Piyawari	90
15.	" "	Kotri	487
16.	" "	Pal Limboda	66
17.	" "	Karawali	56
18.	" "	Kundaie	91

BARMER INSPECTORATE

1.	Govt. Primary School,	Lilsar	266
2.	" "	Shiv	233
3.	" "	Rakhi	82
4.	" "	Dolikalla	70
5.	" "	Koja	200

JALORE INSPECTORATE

1.	Govt. Girls Middle School, Jalore		9
2.	,, ,,	Ramseen	40.7
3.	,, Primary School	Parhwa	70.5
4.	,, ,, ,,	Jahanwa	210
5.	,, Girls ,,	Sanchore	64.5
6.	Govt. Primary School	Thalwara	247
7.	,, ,, ,,	Beriya	67
8.	,, ,, ,,	Khanpur	166
9.	,, Girls ,,	Chandrai	80
10.	,, ,, ,,	Sankar	92.8

NAGORE INSPECTORATE

1.	Govt. Primary School No. 2		45
2	,, G. Bhagwan ,, No. 1		170
3.	,, Primary School	Sukhwas	30
4.	,, ,, ,,	Khajuwana	50
5.	,, ,, ,,	Merata City	46
6.	,, ,, ,,	Talora	65
7.	,, ,, ,,	Vadayali	32
8.	,, ,, ,,	Harsor	60
9.	,, ,, ,,	Parwatsar	40
10.	,, ,, ,,	Jasari	39
11.	,, ,, ,,	Vaisi	74
12.	,, ,, ,,	Barwali	89
13.	,, ,, ,,	Nawa	23
14.	,, ,, ,,	Kankanwali	60

15.	,,	,,	,,	Palra	282
16.	,,	,,	,,	Nimbod	21
17.	,,	,,	,,	Kerap	44
18.	,,	,,	,,	Dayalpura	34
19.	,,	,,	,,	Sanari	139
20.	,,	,,	,,	Riga	81

DUNGARPUR DY. INSPECTORATE.

1.	Gram Deval Distt.	Dungarpur	80
2.	Gram Jasela Tehsil	Sagwara	68
3,	Gram Bodigama Chotha Teh.	Aspur	45

CHITTORGARH INSPECTORATE

1.	Middle School		Salamgarh	33
2.	Middle School		Kanera	24
3.	Primary School		Arniya	251
4.	,,	,,	Ajoliyan	129
5.	,,	,,	Chechi	57
6.	,,	,,	Budhakhera	62
7.	,,	,,	Rood	63
8.	,,	,,	Kulthana	109
9.	,,	,,	Arnod	44
10.	,,	,	Amirama	73
11.	,,	,,	Ambawli	84
12.	,,	,,	Lothiyana	42
13.	,,	,,	Menuna	64
14.	,,	,,	Eaklingpura	90

JHUNJHUNU INSPECTORATE

1.	School	Churela	95
2.	,,	Jakhoda	151

3.	:	Beelwa	137
4.	,,	Chelasi	205
5.	,, Girls	Derwala	300
6.	,,	Kashni	350
7.	,,	Meenawali Dhani	100
8.	,,	Chinwara	1000
9.	,, (Harijans) enrol. of	Nandwas	400
10.	,,	Jakhoda	160
11.	,,	Beelwa	37.6
12.	,,	Mainpura	300

JHALAWAR INSPECTORATE

1.	Primary School	Osaw	182.05
2.	,, ,,	Guradkhera	133.33
3.	,, ,,	Todarijagannath	122.22
4.	,, ,,	Danwar	49.45
5.	,, ,,	Aklera	48.44
6.	,, ,,	Dudhalia	45.23
7.	,, ,,	Rajbhawan	36.009
8.	,, ,,	Rajendrapurmandi	35.61
9.	,, ,,	Bhawanimandi	32 15
10.	Middle School	Ratlai	88.77
11.	,, ,,	Raipur	58.82
12.	,, ,,	Manoharthana	23.76
13.	,, ,,	Dahikhera	21.62
14.	,, ,,	Garnawad	19.38
15.	,, ,,	Awar	19

16.	,,	,,	Dag	17.85
17.	,,	,,	Bhalta	17.35
18.	,,	,,	Mishroli	16.21
19.	,,	,,	Taraj	13.79
20.	,,	,,	Jawar	13.4
21.	,,	,,	Sunel	11.33
22.	,,	,,	Saroln	8.56
23.	,,	,,	Jhalawar	6.87
24.	,,	,,	Moti jua	5.91
25.	,,	,,	Pachphar	3.75
26.	,,	,,	Gangdhar	2.81
27.	,,	,,	Harigarh	2.41
28.	,,	,,	Hameda	

GANGANAGAR INSPECTORATE

1.	School	Mamar	425
2.	,,	Sadhwali	215-38
3.	,,	S. H.H. Teh. Gang.	150
4.	,,	Bhutiwala	22.72
5.	,,	Chak 2 X Teh. Karanpur	155.55
6.	,,	2 O Teh. Karanpur	114.48
7.	,,	Ratanpura	192.85
8.	,,	Dingarh	173.33
	,,	Pakka Bhadwan	136
10.	,,	Arwan Raisinghnagar	261.53
11.	,,	10 T.K. Raisinghnagar	226
12.	,,	Lakha Hakim	250
13.	,,	Dhamba	143.24

14.	"	Rajiasar	134.56
15.	"	Ghamandia	67.56
16.	"	46 G. B. Anupgarh	172.50
17.	"	40 G. B. Anupgarh	48
18.	"	72 G. B. "	40
19.	"	49 R. B. Padampur	157.14
20.	"	5 N.N. "	93.29
21.	"	2 R. B. "	81.71
22.	"	Parlika Parlika	100
23.	"	Nohar	65.98
24.	"	Ujjawalwas	53.48
25.	"	Suratpura	180
26.	"	Kirada ada	172.72
27.	"	Mulkhisar	63.93

JODHPUR INSPECTORATE.

1.	School	Sohantra	339

SIKAR INSPECTORATE

1.	School	Kuli	372
2.	"	Puranabas	317
3.	"	Harsawa	155
4.	"	Govindpura	56
5.	"	Khirwa	64
6.	"	Phagalwa	220
7.	"	Samer	210
8.	"	Narsingapuri	233
9.	"	Khatikan Fathepur	100
10.	"	Sri Madhopur	260

11.	,,		Bidodhi Badi	300
12.	,,		Sani	200
13.	,,	Girls	Dhingpur	303
14.	,,		Puranawas	312
15.	,,		Asapura	150
16.	,,		Patoda	320
17.	,,		Dujod	260

BHILWARA INSPECTORATE

1.	P. S.	Bhadu	300
2.	Primary School	Tharoda	250
3.	,,	Deoria	133
4.	,,	Amra	84
5.	,,	Sadri	80
6.	,,	Bhimganj	59
7.	,,	Barsani	50
8.	,,	Gangapur	48
9.	,,	Kundgate Shah.	31
10.	,,	Jahazpura	26
11.	,,	Banera	14

JAIPUR EAST INSPECTORATE

1.	Primary School	Gullana	425
2.	,,	Bhaipura	400
3.	,,	Bandikui	182
4.	,,	Baswa	166

KOTA INSPECTORATE

1.	M. S.	Pipalda	20
2.	,,	Kishanganj	16

3.	"	Atru	18
4.	"	Baran	14
5.	H. S.	Anta	52.83
6.	P. S.	Kachri	125
7.	"	Nanta	6.25
8.	"	Borkhandi	96
9.	"	Badgaon	31
10.	"	Mangrol	40
11.	"	Bohat	65.54

SIROHI INSPECTORATE

1.	School	Achpura	48.14
2.	"	Ishara	36.36
3.	"	Nandwara Mer.	96.82
4.	"	Rampura	68.33
5.	"	Bhatta	66.66
6.	"	Moongthala	315
7.	"	Jeorwal	155
8.	"	Dak	77.71
9.	"	Alpa	92.94
10.	"	Las	48.45

JAIPUR WEST INSPECTORATE

(List sent to Dev. Committee)

1.	Govt. Primary School	Ramjipura	300
2.	"	Devkabas	300
3.	"	Karansar	250
4.	"	Bhadewa	200
5.	"	Ghasipura	142

6.	,,		Kant	127
7.	,,		Kariri	105
8.	,,	No. 2	Sambhar	100
9.	,,		Jagdishpura	100
10.	,,		Sewa	100
11.	,,		Mahadevpura	100
12.	,,		Goneda	83
13.	,,		Kalhrori	80
14.	,,		Rampura	71
15.	,,		Tholai	70
16.	,,		Sangtheda	66
17.	,,		Chandrkalan	61
18.	,,		Rundal	60
19.	,,		Alisar	55
20.	,,		Marwa	55
21.	,,		Chitore	54
22.	,,		Chawandiya	53
23.	,,		Pipla	48
24.	,,		Khetrai	43
25.	,,		Sawarda	40
26.	,,		Banra	39
27.	,,		Amarsar	34

BHARATPUR INSPECTORATE

(List sent to Dev. Committee)

1.	Primary School	Sewla	133
2.	,,	Eakran	256
3.	,,	Panri	316

4.	„	Sahshan	103
5.	„	Palki	150
6.	„	Jotroli	520
7.	„	Samri	130
8.	„	Jaah	158
9.	„	Basaighiyaram	380
10.	„	Singorai	400
11.	„	Basaidang	320
12.	„ Girls	Barolichar	198
13.	„	Senthra	300
14.	„	Chattabhawan Dit	12
15.	„	Sawlana	27
16.	„	Punaya	19
17.	„	Jotroli	160
18.	„	Samri	425
19.	„	Randhirgarh	1200
20.	„	Samona	2000
21.	„	Pipron	480
22.	„	Vishnoda	600
23.	„	Nawar	600
24.	„(Harijan)	Bhabira	400
25.	„	Mathuragate	850
26.	„	Chattadit	51
27.	„	Kaman	6
28.	„	Bhulpada	13
29.	„	Shahpana	6

30.	,,	Ayana	40
31.	,,	Musapur	50
32.	,,	Chilachon	20

BIKANER INSPECTORATE

1.	School	Shareran	Distt. Level. Prize

JAISALMER DY. INSPECTORATE

(List sent to Collector)

1.	Gandhi Balmandir,	Jaisalmer	35
2.	Buniyadi Pathshala	Badodagaon	48
3	Govt. P. S.	Baramsar	86
4.	,,	Pokaran	16
5.	,,	Minyana	112
6.	,,	Khetolaye	78
7.	,,	Sankra	11
8.	,,	Bhensara	85
9.	,,	Chayan	54
10.	,,	Khetolai	78
11.	M. S.	Ramgarh	10
12.	P. S.	Tejmalot	121
13.	2	Nachna	12
14.	,,	Lunar	28

BIKANER DISTT.

1.	Primary School	Shereran	513
2.	,,	Malsisar	191
3.	,,	Nokhra,	363.6
4.	,,	Kudsee	363

———

परिशिष्ट ५

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF ACTIVITY FEES.

S. No.	Name of the Institution.	Classes.	Games fee	Library fee.	Reading room fee.	Magazine fee.	Union fee.	Entertain-ment fee	Handwork fee.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Govt. Girls Multi-purpose Higher Secondary School, Beawar.	VI to VIII	-/6/- p. m.	1/- p. a.	2/- p. a.	1/- p. a.	1/- p.a.	1/- p.a.	-/8/- p.m.
		IX to XI	-/6/- p. m.	1/- p. a.	2/- p. a.	1/- p. a.	1/- p.a.	1/- p. a.	-/8/- p.m.
2.	Govt. Girls Higher Secondary School, Sardarpura, Jodhpur.	VI to VIII	4/8/- p. a.		2/- p. a.		1/- p.a.		
		IX to XI	4/8/- p. a.	1/- p. a.	2 - p. a.	1/- p. a.	1/- p.a.	1/- p. a.	6/- p.a.
3.	Govt. Girls Multi-purpose Higher Secondary School, Jaipur.	VI to VIII	-/6/- p. m.	1/- p. a.	2/- p. a.	1/- p. a.	1/- p.a.	1/- p. a	-/8/- p.m.
		IX to XI	-/6/- p. m.	1/- p. a.	2/- p. a.	1/- p. a.	1/- p. a.	1/- p. a.	-/8/- p.m.
									Budget fee 1/- p. 1/- p.
									Music fee. 3/- p. a.
4.	Central Girls Higher Secondary School, Ajmer.	VI to VIII	2/- p. a.		1/- p. a.				
		IX to XI	4/- p. a.		2/- p. a.		1/- p. a,	1/- p. a.	-/8/- p.m.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
EDUCATION 'B' DEPARTMENT.

No. F. 20 (2) Edu/B/553 Dated 6-7-57

ORDER.

In supersession of Government orders No. s. F. 20 (14) Edu/II/54, F. 16 (9) Edu/II/50, dated 24-6-51 and 12-6-50 and all other orders on the subject, the Governor has been pleased to order as follows :—

1. Education will be free in all Government educational institutions upto and including class VIII.
2. As to classes above VIII, tuition fees will be charged at the rates given in the enclosed statement. No. s. I in all Government educational institutions including those of erswhile Ajmer State.
3. As regards girl students studying in Government Educational institutions, the rate of tuition fees will be at half the rates of those levied for male students.
4. Besdies the tuition fees the rate for other charges will be as given in the enclosed statement II. This will apply equally to male and female students.

The new schedule of fees comes into force from the 1st July, 1957.

Sd/- Mohinder Singh
Dy. Secretary to Government.

No. F. 20 (2) Edu/B/543 Dated :—

Copy forwarded to :—

1. The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Principals of all Post Graduate & Degree Colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur. for information and necessary action.

5. Copy with one spare copy forwarded to the Supdt. Government Central Press, for arranging publication in the next issue of the Rajasthan Rajpatra.

Sd/- Mohinder Singh
Dy. Secretary to Government.

STATEMENT No. I

STATEMENT SHOWING TUITION FEE WHICH WILL BE CHARGED IN ALL GOVT. SCHOOLS & COLLEGES IN RAJASTHAN WITH EFFECT FROM 1-7-57.

Classes		Tuition fees per month.
Higher Secondary		
Class IX	Rs.	3/- P. M.
Class X	"	3/8 P. M.
Class XI	"	4/- P. M.
Colleges		
Ist Year	"	6/- P. M.
2nd Year	"	6/- P. M.
3rd Year	"	8/- P. M.
4th Year	"	8/- P. M.
5th Year	"	12/- P. M.
6th Year	"	18/- P. M.
Research Scholars	"	15/- P. M.
Law	"	12/- P. M.

Sd/- B. N. Mathur,
Asstt. Secretary to Govt.

Statement No. II

STATEMENT SHOWING FEES OTHER THAN TUITION FEES WHICH WILL BE CHARGED IN ALL GOVERNMENT SCHOOLS AND COLLEGES IN RAJASTHAN FROM 1-7-57.

S. No.	Particulars	College Section	School Section
1.	Admission Fee.		
	(a) Institution	2/-	1/-
	(2) Hostel	2/-	1/-
2.	Science Laboratory Fees.		
	(a) Physics)	2/-p.m.	-/8/-0 p.m.
	(b) Botany)		
	(c) Chemistry)		
	(d) Zoology)		
3.	Commerce (Typewitring Fee)	1/-p.m.	-8-p.m.
4.	Games Fee	1/-p.m.	-6/-p.m.
5.	Library Fee	2/-p a.	1/-p.a.
6.	Reading Room Fee	4/-p.a.	2/-p.a.
7.	Leaving Certificate	2/-	1/-
8.	Duplicate copy of (7)	1/-	-8-
9.	Magazine Fee	3/-p.a.	1/-p a.
10.	Union Fee	2/-p.a.	1/-p.a.
11.	Entertainment Fee	2/-p.a.	1/-p.a,
12.	Handwork Fee	—	-/8/-p.a.
13.	Caution money (Refundable)	10/-	5/-

14.	Examination Fee	2/-per Exam.	1/-per Exam.
15.	Practicals fee for Ex-students	Tution fee plus as in (2) above.	
16.	Hostel		
	(a) Room Rent single seated	7/-p.m.	3/p.m.
	,, ,, others	5/-p.m.	2/-p.m. per seat
	(b) Light and Water Charges	1/-p.m.	-/8/-p.m.
	(c) Common room fee	2/-pa.-	1/-p.a.
	(d) Utensils fee	-/4/-p.m	-/2/-p.m.
	(e) Caution money (refundable)	5/-	5/-

B. N. Mathur
Asstt. Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

From

The Secretary to Government,
Education Department,
Rajasthan, Jaipur.

To

The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated 2.8.57

Office bearers of the various students unions waited on the Chief Minister, Rajasthan and submitted that a number of students find it difficult to pay fee tution and other fees — at a time because it amounts to a sufficiently big sum. They requested that fees which are paid for specific activities and are spent by the College/School authorities in consultation with the students may be revised.

It would have been in fitness of things if other fees as prescribed by the Govt. recently were available to school and college authorities for arranging games, libraries and reading rooms and such other activities which now form an important part of the Educational Programme.

Govt. have considered this question of other fees and feel that if in a particular institution the Headmaster or Principal of that institution in consultation with students finds that the boys are not in a position to pay fees at the enhanced rate he may charge fees at the old rates. i.e. those prevelent before July, 1957, or at the rate as agreed upon between Headmaster and students between the old rates and newly prescribed rates on any of the following items. The old rates are the minimum which have to be charged and the newly prescribed rates are the maximum and the ideal ones and the Heads of the Institutions can fix the rates of any item between the two rates. The Headmasters of Higher Secondary Schools are authorised to determine these rates with the prior concurrence of the Dy. Director concerned and in the case of Inter colleges with the prior consent of the Director of Education. This order will cover the following items of fees only.

(1) Games fee (2) Library fee (3) Reading room fee (4) Magazine fee (5) Union fee (6) Entertainment fee.

परिशिष्ट :

Sd/- S. P. Singh Bhandari
Secretary to Government
Dated 2.8.57

No. F. 20 (2) Edu/B/57

Copy forward to the :—

1. Dy. Directors of Education.
2. Inspectors of Schools and Dy. Inspectors of Schools incharge Distts.
3. Principals of Intermediate colleges.

Sd/- S. P. Singh Bhandari
Secretary to the Government.

———

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Education 'B' Department

Dated 27 8-1957

No. F. 20 (2) Edu/B/53

ORDER.

In partial modification of Government order of even number dated the 6th July, 1957, the Governor, after considering the different points of view put forth by the representatives of students and in consultation with the Chatterji Committee, recently constituted to advise Government on the question of fees, has been pleased to order that :—

1. The fees at enhanced rates will be charged from the wards of those persons who pay income-tax and that the wards of those who do not pay income-tax be required to pay fees only at the rate obtaining before July, 1957, in all Govt. colleges and schools.
2. The first two children of a person who pays income-tax will pay fees at the enhanced rates while the remaining children will be required to pay fees at the old rates only. This concession will however not apply to Technical and Professional colleges.
3. No tuition fees will be charged from girl students.

S/d- S. P. Singh Bhandari,
Secretary to the Government.

Dated 27-8-57

No. F. 20 (2) Edu/B/53.

Copy forwarded to the :—

1. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Principals of Degree and Post-Graduate Colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Inspectors of Schools and Dy. Inspectors of Schools in charge of Districts.
5. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur for information and necessary action.
6. Superintendent Govt. Central Press, Jaipur for arranging publication in the next issue of the Rajasthan Rajpatra.

Sd/- B. N. Mathur,
Asstt. Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated 30.11.1957

ORDER

Ref.: Govt. orders of even number dated 6-7-57, 27-8-57 and 14-9-57.

Where as some doubts have arisen in connection with recoveries of fees, sanctioned under orders referred to above, the Governor has been pleased to order that :—

1. Tuition fee will be recovered in all Govt. Colleges and schools for full twelve months.

2. The Principals of Govt. Post-graduate and Degree colleges are authorised to charge Games fee, Entertainment fee, Magazine fee, Union fee, Reading Room fee, and Library fee at Higher rates than those prescribed under Govt. order No. F. 20 (2) Edu/B/53 dated 6-7-57. The rates at which these fees may be charged will be fixed by the Principal, of the college with the consent of students of the College. The rates will be determined by the Principal, subject to the minimum which was being charged before the fees were revised.

3. Miscellaneous fees which are charged on yearly basis may be realised in one bulk while those fees which are being charged on monthly basis may be realised with other regular monthly fees or quarterly fees as the case may be.

4. Typewriting fee Rs. 1/- p. m. for the colleges and Rs. -/8/- p.m. for schools may be credited to Govt. Treasury. Entertainment fee will be credited to local funds.

5. Students reading in schools will have to pay hostel room rent at the rates prescribed for the schools while students reading in colleges will have to pay it according to the rate prescribed for colleges even though they (i. e. Students both from a college and a school as in the case of Intermediate colleges) may have the same type of accommodation. The Principals of such Intermediate colleges where there are no separate hostels for college and school sections will see that the students paying more fees are given better accommodation without in any way impairing the cordial atmosphere of the hostel.

6. In all Govt. Post-graduate and degree colleges in Rajasthan tuition fee will be charged according to the rates prescribed under Government orders of 6-7-57 and 27-8-57 on a uniform basis.

7. All Misc. Fees, except hostel room rent, light and water charges are to be paid for 12 months.

8 Reading rooms fee can also be used for the activities of the Common Room if desired by ths head of the institution and students.

9. Utilisation of the Entertainment fee will be entirely at the disposal of the Head of the Institution and this is to be used for various functions of the college/school and other activities which provide for entertainment.

10. There will be no exemption from payment of Misc. fees as they pertain to particular services and facilities.

11. The new rates of fees do not in any way interfere with the facilities accorded by the Government in favour of the student of sheduled Castes, Scheduled Lribes and other Backward classes.

12. Hostel room rent is to be credited to Govt. and no part of it is to be used for the maintenance and upkeep of the hostel building/-Buildings.

13. Laboratory fee is to be recovered on monthly basis.

By order
Sd/- S. P. Singh Bhandari,
Secretary to the Government.

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated 30-11-59

Copy forwarded to the :—

1. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Principals of Degree and Post-Graduate colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Principals of All Govt. Intermediate Colleges in Rajasthan for information and necessary action.

Sd/- Radha Krishna Vyas
Asstt. Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Education 'B' Department

No. F. 20 (2) Edu /B/53 Dated 17.12.57

ORDER

In continuation of Government order of even number dated 30.11.57 the Governor has further been pleased to order that :—

1. Government order No. F. 20 (2) Edu/B/53 dated 6.7.57 covers both the statements attached to it.

2. The concession of 10% freeships and 10% half freeships still stands, but these are to be restricted only to those students whose parents/guardian do not pay income tax.

3. Laboratory fee, typewriting fee, and light and water charges will be charged from the students concerned according to the scale fixed by the Government. A reduction can, however be made in fees mentioned in Education Department letters No. S. F. 20 (2) Edu/B/53 dated 26.1.57 and 2.8.57 respectively, in consultation with students.

4. Hostel room rent will be charged at old rates from those students whose parents/guardians do not pay income tax.

5. Govt. order No. F. 20 (2) Edu/B/53, dated 1.8.57 still stands.

By order,
Sd. Niranjan Singh
Dy. Secretary to Government.

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated
Copy forward to the :—

1. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. The Principals of Degree and Post-graduate colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Inspectors of Schools and Dy. Inspectors of schools in charge districts.

For information and necessary action.

Sd. Radha Krishan Vyas,
Asstt. Secretary to Government

———

Copy of circular No. EDB/ Aca (B)/1+30/5/58 dated 17-2-58 from the Director of Education, Rajasthan, Bikaner to all the Heads of the department.

It has been observed that some institutions are feeling difficulty in the realization of fees in the face of various circulars issued from time to time. To meet their difficulties in this respect following clarifications are notified :—

1. Tuition fee is to be charged monthly or quarterly, according to convenience.

2. No tuition fee is to be charged upto class VIII. Activity fee is to be charged on old rates. Heads of institutions vide circular letter No. F. 20 (2) Edu./B/53 dated 30-11-57, were empowered to determine the rates of Activity fees with the concurrence of the students. Union and the Heads of the Institutions can use their discretion in the case of classes IX to XI only.

3. Activity fee which is charged on yearly basis as shown in the scheduled of rates may be collected once only in the beginning of the session, while those fees which are being charged on monthly basis may be realised with the tuition fee monthly or quarterly.

4. Hostel room rent will be charged at old rates from those students whose parents/guardians do not pay income-tax.

5. Concession of 10% freeships and 10% half freeships in the case of tuition fee only still stands but it is restricted only to those students whose parents/guardians do not pay income-tax.

6. No concession of freeships or half- freeships is permissible in the case of Activity fee which is to be paid by all.

7. Tuition fee is to be charged for 12 months.

8. Examination fee is to be realised for each examination and not in one instalment.

9. Students reading in schools will have to pay hostel room rent at the rates prescribed for the schools, while students reading in colleges will have to pay it according to the rates prescribed for the colleges even though they may have the same type of accommodation. This applies to Intermediate Colleges where students colleges section and of schools section reside in the same hostel.

10. Fee can also be used for the activities of the common-room if desired by the Heads of the Institutions and the students.

11. All miscellaneous fees, except hostel room rent and light changes are to be paid for 12 months.

12. Utlization of the entertainment fee will be entirely at the disposal of the Head of the Institution and this is to be used for the Unions functions of the college/school and other activities which provide for entertainment.

13. The new rates of fees do not in any way interfere with the facilities accorded by the Government in favour of the students of scheduled castes, scheduled tribes and other bak-ward classes.

14. Following fee will be credited into the Government Treasury.

    1. Tuition fee.
    2. Admission fee-Institution.
    3. Admission fee-Hostel.
    4. Transfer certificate fee.
    5. Duplicate copy of the above.
    6. Type writing fee.
    7. Hostel room rent fee.
    8. Light and water-charges (Hostel)

    All other fees are to be credited to Boy's fund.

15. The students reading in the ordinary schools and not special schools like Public Schools and Montessory Schools whose fathers are Government Servants and are drawing salary less than Rs. 250/-p.m. will be exempted from payment of tuition fee only. They will have to pay all other fees.

16. In case of Intermediate Colleges, the Principals should inconsultation with the students' repersentatives, decide the rate of fees to be charaed

in the light of Government order and should send their recommon-dation for confirmation.

16. As regards fees other than tuition fees in classes upto VIII Government Order No. F. 1(992) Edu/B/57 dated 2-1-58 is very clear on the point which says that fee should be charged at the old rates for the time being.

Page No.166

Statement for item No. 3 of the S. Q. No. 1/CM asked by Major Shri Fateh Singh.

A sum of Rs. 48.48-49 was collected as Activity Fee during the session 1958-59 in the Govt. Girls' Multipurpose Higher Secondary School, Beawar. Details showing income and expenditure for each type of Activity Fee are given below :—

S. No. Type of Activity Fee.	Income during the session.	Expenditure during the session.
1. Library	306.00	58.39
2. Games	1416.70	1014.27
3. Reading Room	639.00	88.58
4. Magazine	314.64	—
5. Union	312.00	190.05
6. Entertainment	348.15	398.67
7. Hand work	1512.00	66.55

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department.

No. F. 1 (127) Edu/B/56 Dated 12-5-59

ORDER.

The Governor has been pleased to order that wards of Government servants who are entitled to exemption from payment of tuition fees, in terms of Government order No. F. 1 (127) Edu/B/56 dated 9.7.56. but may not be given admission in Govt. Colleges at Jaipur, for want of seats in the colleges, may be given exemption from payment of tuition fees in the non-Govt. colleges of Jaipur City only. The amount of tuition fee so exempted will be reimbursed to the non-Govt. Colleges by the Director of Education.

The above exemption will be subject to the following conditions :-

(1) This exemption will not permit any relaxation in the admission restrictions.

(2) A no vacancy certificate will be given by the Principal of Govt. Colleges as early as possible in the month of July or in any case by 31st July.

(3) The Non-Govt. colleges shall keep some vacancies upto 15th August for admission of ward of Govt. employees who are given certificates as in (2)

(4) The Non-Govt. Institutions shall not charge tuition fee directly from the wards so admitted but they will claim reimbursement from the Director of Education on the basis of the no vacancy certificates. Suitable forms of no vacancy certificate as well as a claim certificate for Non-Govt. Institutions may be prescribed by Director of Education.

This order will take effect from the Academic Session 1958-59.

The expenditure on this account will be charged to the head -37-Education-E-General-C-Scholarships-2-Scholarships and aid for studies in India.

By order,
V. D. Sharma
(Vishnu Dutta Sharma)
Secretary to the Government.
12-5-59

No. F. 1 (127) Edu-B/56

Copy forwarded to :—

1. The Finance Department Raj. Sectt. with two spare copies with reference to their U. O. No. ID/2410/F. D. (E) 59 dated 1.5.59.
2. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. The Director of Education, Rajastan, Bikaner.
4. The Addl. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
5. The Principals of All Govt. and Non-Govt. Colleges in Japur
6. Dy. Director of Education, Jaipur.

Shankar Lal Vyas
Asstt. Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

No. F. 1 (127) Edu/B/56 Dated. 25.7 58

ORDER

The Govt. of Rajasthan has given concession of 'free Education to the children of Government servants getting a salary of Rs. 250/- or less per month. It has been found that some difficulty is being experienced by such Govt. servants in getting their children admitted to Govt. institutions with the result that they have to get them admitted to private institutions where they have to pay higher rates of fees and the concession so given by the Government is there by nullified.

It is, therefore, ordered that if the children of such Govt. servants are otherwise eligible for admission, preference should be given to them provided they produce a certificate from the Heads of offices in which they are working that their parents are getting Rs. 250/- p. m. or less as pay.

Sd/-

Dy. Secretary to Government.

No. Dated.

Copy forwarded :—

1. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. All Principals of Degree and Post-Graduate Colleges in Rajasthan,
3. All Principals of Technical Colleges in Rajasthan.
   (i) Principal M. B. M. Engg. College, Jodhpur.
   (ii) Principal S. M. S. Medical College, Jaipur.
   (iii) Principal Govt. Veterinary College, Bikaner.
   (iv) Principal Govt. Agriculture College, Udaipur.
   (v) Principal S. K. N. Agriculture Institute, Jobner.
4. Chief Secretary to Government.
5. All Secretaries to Government.
6. Secretary to the Governor of Rajasthan.
7. Secretary to the Chief Minister.
8. Private Secretries to all Ministers.
9. All Heads of Departments.
10. All Sections and offices of the Sectt.

11. All Commissioners.

12. Director of Public Relations, Jaipur,

13. All Dy. Directors of Education

14. All Inspectors of Schools and Dy. Inspectors of Schools for information and early necessary action

15. Director, Govt. Central Press, Jaipur for publication in next issue of Rajasthan Gazette.

Sd-

Dy. Secretary to Govt.

Copy also forwarded to :—

1. Secretary, Rajasthan Lagislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.
3. Registrar, Rajasthan High Court Jaipur/Jodhpur.

Sd-

Dy. Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

From

The Secretary to Government,
Education Department,
Rajasthan, Jaipur.

To

The Principal,
S. M. S. Medical College,
Jaipur.

No. D. 1012/F. 7 (4) Edu/B/58 Dated 14-11-59

Sub : Exemption from tuition fees to students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

Ref. : Your memo No. 1119/MC/58 dated 23-1-59.

I am directed to say that this Department order No. F./20 (2) Edu II/54 dated 31.7.56 (copy enclosed) is clear on the subject and action may kindly be taken by you accordingly.

Any certificate from the Collector about means is not necessary for purposes of granting exemption from the tuition fees to students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward Classes.

A. L. ROONGTA,
Dy. Secretary to Govt.

No. Dated 15-11-59

Copy with copy of encl. forwarded to :—

1. The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Addl. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
3. Principals of All Degree and Post-Graduate Colleges, for information and necessary action.

SHANKER LAL VYAS
Asstt. Secretary to Govt.

परिशिष्ट

(Enclosure)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Education 'B' Department

Office Order

No. F. 20 (2) Edu/II/54 Dated 31-7-56

It has come to the notice of the Govt. that the cases regarding exemption from tution fees to Sch. Castes and Sch. Tribes and other Backward Classes, and in matters regarding grant of free-ships and half free-ships to poor and deserving students, no uniform policy is followed by the Principals of Degree and Post-Graduate Colleges in Rajasthan, Government is therefore, pleased to order that the following uniform practice may be observed and strictly adhered to :—

1. Students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes be exempted from the payment of tution fees, even when they are receipents of Scholarships, granted either by the Govt. of India or the State Govt.
2. The Certificate for being a member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward classes in Rajasthan, be obtained from the 1st Class or 2nd Class Magistrate of the District.
3. The percentage of 10% of freeships and 20% of half freeships be calculated for each class after deducting the number of Girl students from the total number of students in the classes as the girl students are already exempted from payment of the tution fees.

The total number of freeships and half freeships may be calculated in the case of classes with two and three years' courses on the total number of students taken together for the total number of the years of each class as a separate class by itself.

Sd/-

Secretary to Government

No F. 20 (2) Edu/II/54 Dated 31-7-56

Copy forwarded to :—

1. All Principals of Degree and Post-Graduate Colleges.
2. The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
3. The Director, Social Welfare Deptt. Rajasthan, Jaipur.

Sd/-

Dy. Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

No F. 1 (127) Edu/B/56 Dated 3-2-5

ORDER.

The Governor has been pleased to order that the concession of exemption from payment of fees be allowed in the case of brothers of Government servants in terms of Government Order of even number dated 9th July, 1956 with effect from July, 1959 on the following conditions :—

(i) A Govt. Servant applying for such concession will submit at least once an affidavit to the effect that his ward (Brother) in respect of whom the concession is sought has been and is wholly dependent upon him for financial support.

(ii) For all future years he will fill a declaration that such ward continues to receive the assistance and support from him as his elder brother.

This is in supersession of this Department order. No. F. 1 (127) Edu/B/56 dated 24th May, 1957.

By order,
S. P. SINGH,
Secretary to Government.

No. Dated

Copy forwarded to

1. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Addl. Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
3. All Principals of Degree and Post—Graduate Colleges in Rajasthan.
4. All Principals of Technical Colleges in Rajasthan.
   1. Principal M. B. M. Engg. College, Jodhpur.
   2. Principal S. M. S. Medical College, Jaipur.
   3. Govt. Veterinary College, Bikaner.
   4. Govt. Agriculture College, Udaipur.
   5. Govt. S. K. N. Agriculture College, Jobner.
5. Chief Secretary to the Government of Rajasthan
6. All Secretaries to Government.
7. Secretary to the Governor.
8. Secretary to the Chief Minister.
9. All Commissioners.
10. All Heads of Departments.
11. Secretaries to all Ministers.
12. All Sections of the Secretariat.

13. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
14. Director of Public Relations, Jaipur.
15. Finance Department with one spare copy.
16. All Dy. Directors of Education.
17. Director, Govt. Central Press, Jaipur for publication in the next issue of Rajasthan Gazette.

Copy also forwarded to :—

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.
4. Secretary, Rajasthan Ministerial Services Association, Jaipur.

Sd/—

Asstt. Secretary to Govt.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण १५ दिसम्बर, १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२६४६	शीर्ष	[सख्या १२	[संख्या १२
२६४६	१५	का ज्या ।	को ज्यादा
२६५०	प्रथम	अनुगय	अ
२६५६	६	शलाओं में	शालाओं में
२६६०	६	A wer recenty	Ajmer recently
२६६१	२	स्टफ का	स्टाफ का
२६६४	१४	दिय गया	दिया गया
,,	२४	लास हुआ	लौस हुआ
२६६५	१६	लास न	लौस नहीं
,,	२२	इन डयू	इन ड्यू
२६६६	६	ह आर	है और
२६६७	शीर्ष	(श्री शंकरलाल)	(श्री सोहनलाल भटनागर)
,,	अन्तिम से ६	में सेक्टर था	सेक्टर में था
,,	अन्तिम	स्कोया को बढ़ाने क ।विचार	स्कोप को बढ़ाने का विचार
२६७०	अन्तिम से ६	धार वाल	धारीलाल
२६७५	,, ,, ११	accoring to	according to
,,	,, ,, ७	diffrent	different
,,	,, ,, ४	orde	Order
२६७७	शीर्ष	१५–दिसम्बर	– १५ दिसम्बर
२६८६	अन्तिम से ११	In includes	It includes
,,	,, ,, ५	is a hire	is hire
२६९२	प्रथम से ऊपर	—	रावराजा सरदारसिंह
२७०८	११	Enquirys hould	enqueiry should
२७०८	८	के बीस में बोलने	के बीच में बोलने को खड़े होने पर)
२७११	१४	Kers, ruling	ker's ruling.
२७१५	शीर्ष	—	श्री भैरोंसिंह
,,	१४	V	We

१	२	३	४
२७१६	अन्तिम से ७	ओंकार	ओंकार
२७१७	प्रथम	रही।	रही है।
२७१८	१२	शार्ट नोटिस	शोर्ट नोटिस
२७१९	अन्तिम से ३	कन्वेशेन	कन्वेन्शन
,,	१७	मंगव	मंगवा
२७२२	२०	Corre-c	correct
,,	अन्तिम से ६	t at	that
२७२४	१२, २८	tution	tuition
,,	१२	charged	charged.
२७२५	३	tutiou	tuition
२७२६	१८	'O rates'	old rates'
२७२७	अन्तिम से ३	thatamendmnet	that amendment
२७२८	६	Ques tion	Question is
,,	१०	students' nions	Students'unions.
,,	अन्तिम से १०	Wha	What
,,	,, ,, ६	classe	classes
,,	,, ,, ५ व ६	cleasses	classes
२७२९	७	beings'	being'
,,	९	which ar	Which are
,,	१९ व २४	Rs.	Re.
,,	अन्तिम से ६	differnce	defference.
२७३०	प्रथम	No Ser	No Sir.
,,	१०	6 July	circuler-of 6th July.
,,	अन्तिम से १	No no	No, not
,,	अन्तिम	is a only	is only
२७३१	५	been nodified	been monified
२७३१ के पश्चात	शीर्ष	२७३१, २७३२	२७३२अ, २७३२ब।
२७३२-ब	शीर्ष ४	क्लेरिफाइंग	क्लैरिफाइंग
२७३७	२०	the sancton of	the senction' of
२७३८ पश्चात	शीर्ष	२७४६	२७३९
२७४०	१८	(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष	(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष

१	२	३	४
२७४२	प्रथम	Other Con	Other com-
,,	३	Whe there	Whether
२७४३	२	agreable	agreeable
,,	७	कास्ट्रेक्चर	का स्ट्रक्चर
,,	अन्तिम से २	मेग्जीम ऑफ	मेग्जीमम ऑफ
२७४६	१३	be out	be the out
२७४७	१६	हालांकि अरण्ड	हालांकि अग्ण्डर
२७४८	२५	था, यह	यह
,,	२६	छोड़ करना,	[illegible]
२७५०	२२-२३	अकाउनिंग	अकाउन्टिंग
,,	२६	Will de	Will be
२७५१	१६	thy are	they are
,,	अन्तिम से ८	बताय t gives	बताया this gives
,,	अन्तिम	pan this	plan this
२७५२	१४	फार बीकिंग	फोर बेकिंग
२७५४	८	purchase amore	pnrchased move
२७५६	अन्तिम से ५	बोलते ता	बोलते तो
२७५८	अन्तिम	(par) व्यक्ति	per व्यक्ति
२७६४	२१	गबन ह गया	गबन हो गया
२७७३	१३	the dev'opment	the development
,,	१४	induries	industries
,,	१७-१८	calcula at	calculated at
२७८१	२	अनुदान मांग	अनुदान की मांग
२७८८	२१ व २२	बागड़	बांगड़
२७९४	१२	one motion	one cut motion.
२८०३	अन्तिम	insti' Ution	institution'
२८००	अन्तिम से १०	ऑफसर वैसे	ऑफिसर है वैसे
२८०६	अन्तिम से ७	मिन्ट्स	मिनिट्स
२८११	१२	जह पर	जहां पर
,,	२१-२२	डवेलपड एरया	डेवलप्ड एरिया
२८१२	२५	प्राग्रेस को	प्रोग्रेस को

१	२	३	४
२८१५	४	य म	यहं मुनासिब
,,	१०	इंन अन्वेलड	इन अनडेवलपड
२८१६	अन्तिम	शीषक....परय जनाओं	शीर्षक...परियोजनाओं
२८१८	११	शीर्षक ८–	शीर्षक ८५८
,,	अन्तिम से३	समझता कि	समझता हूँ कि
२८१९	३	कन्ट्रालं कर	कन्ट्रोल कर
,,	१६	१० लाव रुपये	१० लाख रुपये
२८२०	२०	प्रति बिन्ध	प्रतिबन्ध
२८२१	५	लोगा के	लोगों के
,,	अन्तिम से६	। धें भाव में	बंधेभाव में
,	अन्तिम से४	व्यापारयां	व्यापारियों
२८२५	,, १२	सरकार नीति	सरकार की नीति
,,	,,	म कहना	मैं कहना
२८२६	१	चहा कि	चाहा कि
,,	,, ५	द्वरा	द्वारा
२८२९	११	खरीदने क	खरीदने को
२८२९	अन्तिम से७	कोशश करनी	कोशिश करनी
,,	,, ,, ५	माध्यम वर्ग	मध्यम वर्ग
,,	७	एन्जन्टा	एजेन्टों
२८३१	८	कलक्टर	कलेक्टर
२८३३	२२-२३	आकी	आपकी
,,	अन्तिम से२	not thing	Nothing
,,	अन्तिम से६	अध्वत्त पीठ	अध्यक्ष पीठ
२८३९	अन्तिम	तक बरं	तक सारे
,,	प्रथम	तरह जितन	तरह जितने
२८४०	शीर्ष	मर्केट	मार्केट
२८४१	१८	(श्री बद्री प्रसाद	(श्री बद्रीप्रसाद
२८४२	२१	में कि ी	में किसी
,,	प्रथम	क बाहर	कि बाहर
२८४३	१३	मडिया	मंडियों
,,	१२	कायाम	कामयाब
२८४६	१६	the prions	the provisions
२८४७		the demauds	the demands

१	२	३	४
२८४७	२०	We receixe	we receive
,,	२१	Copp of	Copy of
२८४८	२३	श्री अध्वद्द	श्री अध्यक्ष
२८४८	६	cantemplater	contemplate
२८४८	अन्तिम से १०	dicussit	discuss it
२८४६	१५	che	the
२८५१	अन्तिन से ७	unsual	unusual
२८५२	१२	Charges opto	Charged up to
,,	१७	guarentor	guarantor
२८५४	२०	o ans	loans
,,	२२	policy	policy
,,	२६	pailcy	policy
२८५५	१४-१५	इन्श्यूलेटिंग	इन्स्योलेटिंग
२८५७	११	ऐ ।	ऐसा
,,	अन्तिम	पेश कर पेश	पेश
२८५८	७	इक्तफाक	इत्तिफाक
२८६३	९	क्या ला	क्या माना
२८६३	१८	एग्रीकलचरिटस	एग्रीकल्चरिस्ट्स
२८६८	४	guarenty	gnarantee
२८६८	अन्तिम से ५	sufficient	suffecient
२८६६	४	guaranty	guarantee
,,	७	alrjght	all right
२८७०	प्रथम	taken	being taken
२८७४	अन्तिम से ७	इसरी	दूसरी
२८७५	११	inostries	industries
,,	१३	credlt	credit
२८७८	२०	shoulb	should
२८७६	२	नहा	नहीं
,,	४	कि इस	कि
,,	८	सिल सिले	सिलसिले में फिर
,,	६	रख दी नें फिर है	रख दी है
२८८०	अन्तिम से ३	तदन्तर	तदनन्तर
२८६८	सीरियल १०	चनगा	चनगा पलि
,,	,, १२	राव	रावणा

१	२	३	४
२८९९	,,१५	मोहम्द	मोहम्मद
,,	,,१६	रायाण	रावणा
,,	,,१८	केसराम	के साराम
,,	,,१९	माना	भंवा
,,	,,२१	शिवायाल	शिवलाल
२९००	,,२६	कीर	कौर
२९०२	प्रथम	संख्या ३३६	संख्या ३६२
२९०२	सीरियल २२	saloln	Sarola
२९०७	,,२२	Parlika Parlika	Porlik
,,	२४	Kirda ·ada	Kirda bade
,,	२७	339	337
२९०९	३	३०३	३१०
,,	अन्तिम से२	M. S.	Middle school
२९१२	सीरियल	460	430
२९१३	अन्तिम से३	Malsisar	Malkisar
२९१५	५	Noss	Nos.
,,	१६	Besdies	Besides
२९१७	VI Year के सामने	18/- PM	12/- P.M.
२९२४	१४-१५	Sheduled.	scheduled
,,	१५	Lribes	Tribes